खण्ड-169, अंक-1
सोमवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(19 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 169 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE L
25 JUL 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13091

सोमवार, १९ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८१)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसराउल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री

जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचंद, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दानदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी श्री

मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल , श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर , श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह , श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लालाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्दिलश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र विक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री

शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास श्री, दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १९ मार्च, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मनौली और लाल डिग्गी बांध टूटने की जांच रिपोर्ट

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या निर्माण मंत्री २१ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि मनौली और लालडिग्गी बांध के टूटने के कारणों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास कब आयी ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—कमेटी की रिपोर्ट सरकार को १९ नवम्बर, १९५५ को प्राप्त हुयी थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि अभी तक कमेटी की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने नहीं लायी जा सकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, सही नहीं है । मंत्रिमंडल के सामने रिपोर्ट जा चुकी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, यह भी ठीक है । कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मंत्रिमंडल ने इसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया है, वह सदन की मेज पर रखी जायगी और इसके अनुसार लाल डिग्गी बांध और आजमगढ़ में पुल तथा सड़क का निर्माण होना है ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के टूटने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका मुख्य कारण स्लुईस गेट था, उसके आगे पानी चला गया। ख्याल यह था कि पानी रुकेगा। ऐसा भी ख्याल है कि अगर दीवार बनायी गयी होती और अन्य कार्य किया गया होता तो ठीक रहता। यद्यपि यह भी ठीक है कि जितना जल आया उसके लिये बांध नहीं बना था। ऐसी दशा में बांध का स्थिर रहना कठिन था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी में कितने व्यक्तियों की गवाही ली गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कुछ व्यक्तियों की गवाहियां हुयीं जिनमें जिले के अधिकारी भी थे और जनता के लोग भी थे।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांध के टूटने से आजमगढ़ को कितना नुकसान हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---धनराशि में तो नुकसान आंका नहीं गया, वैसे अधिक नुकसान हुआ हो ऐसी बात नहीं है ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस लाल डिग्गी बांध के टूटने के कारण टोंस नदी का पानी शहर में आ गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सारे शहर में नहीं, कुछ हिस्सों में रह गया था जहां पानी नहीं पहुंच पाया । लेकिन कुछ हिस्सों में चला गया था ।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनौली बांध कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मनौली बांध पर कार्य चल रहा है और ७५ फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी कुछ कार्य बाकी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि लालडिग्गी बांध के टूटने के सम्बन्ध में गैर सरकारी व्यक्तियों ने यह साबित किया है कि सरकारी व्यक्तियों की असावधानी के कारण ही बांध टूटा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बहुत सी गवाहियां इस प्रकार की हुयी और इसके विपरीत भी हुयी हैं और जिन्होंने सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा की है ।

जलालपुर, जिला जौनपुर में एलोपैथी डिस्पेंसरी की इमारत की आवश्यकता

२---श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जलालपुर, जिला जौनपुर में एलोपैथी डिस्पेंसरी का भवन बनाने का निर्णय कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका काम कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---जी नहीं ।

श्री लालबहादुर सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन समिति ने इसको बनाने की प्राथमिकता के लिये सिफारिश की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी, इसकी अभी कोई सूचना नहीं है ।

जालौन जिले में कौंच तहसील को बिजली देने की मांग

**३---श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन के अन्तर्गत कुल चार तहसीलों में से कालपी, उरई और जालौन में बिजली लाने की व्यवस्था इस वर्ष हो रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जी हां ।

**४---श्री चित्तरसिंह निरंजन (अनुपस्थित)---यदि हां, तो तहसील कोंच ही जो झांसी कमिश्नरी में द्वितीय नम्बर का बाजार एवं व्यवसायिक मंडी है, इस महत्वपूर्ण योजना से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस समय कोंच के सम्बन्ध में यह विचार है कि उसको जहां तक हो, दूसरी पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) के समय में बिजली दी जाय ।

लखनऊ में रोडवेज कर्मचारी द्वारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के घर पर धरना

**५---श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ नगर में रोडवेज के जनरल मैनेजर के आफिस के सामने गत १ मार्च से किसी रोडवेज कर्मचारी तथा उनकी पत्नी द्वारा सत्याग्रह चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---लखनऊ रोडवेज के एक कर्मचारी जो कि सेलेक्शन कमेटी द्वारा जूनियर स्टेशन इंचार्ज के पद पर तरक्की न पा सके, १ मार्च से तथाकथित सत्याग्रह कर रहे हैं । उन्होंने इस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के घर पर धरना दे रखा है ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि धरना प्रारम्भ करने के पहले उस सत्याग्रही ने माननीय मंत्री जी के पास इस आशय की कोई रिपोर्ट या सूचना दी कि बहुत से अयोग्य आदमी जो उससे जूनियर थे, उससे सीनियर पदों पर नियुक्त किये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उन्होंने जो अपना कार्यक्रम निश्चित कर रखा था वह भेजा था, लेकिन यह बात सही नहीं है कि बहुत से अयोग्य आदमियों को उनके ऊपर तरजीह दी गयी । उनसे योग्य आदमियों को ही तरक्की दी गयी और प्रमोशन में अब अकेली सीनियारिटी का ख्याल नहीं रखा जाता बल्कि योग्यता का भी ध्यान रखा जाता है ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस समय जो सत्याग्रही सत्याग्रह कर रहा है उसके साथ उसकी बीबी और ३ महीने का एक बच्चा भी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---शायद ऐसा है, एक दो महीने का एक बच्चा है वह उन्होंने साथ में रखा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार उनकी शिकायत पर दुबारा जांच कराने के लिये उद्यत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शिकायत का नहीं, प्रोमोशन का मामला था। जब उन्होंने यह दरख्वास्त दी कि उनको सही प्रोमोशन नहीं दिया गया तो उनको कहा गया कि १९५५-५६ की रिपोर्ट आने पर पुनर्विचार होगा लेकिन उसका उन्होंने इंतजार नहीं किया। अब जो उन्होंने ऐक्शन लिया है उससे माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि वह दरअसल इस पद के योग्य नहीं थे जो वह चाहते थे और अब वह उन्हें मिल भी नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उन सत्याग्रही महाशय को एक पत्र लिख कर यह बतलाने की चेष्टा करेगी कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और वह अपने काम पर वापस चले जायं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

[१२ मार्च, १९५६ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

* * * *

लखीमपुर जिले में कोलोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत दी गयी भूमि

*४—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जिला खीरी-लखीमपुर में कोलोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि सरकार की ओर से दी जा चुकी है और कितनी और देनी है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—लखीमपुर जिले में कोलोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत अब तक ९६० एकड़ भूमि पुनर्वासितों को दी जा चुकी है। भविष्य में ६,५४० एकड़ भूमि और देने का विचार है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह जो ६,५४० एकड़ भूमि और देने का विचार है यह किसको दी जायगी और किन शर्तों पर ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह भूमि जो है उसमें से १,२२० एकड़ तो एजूकेटेड अनइम्प्लायड को और बाकी भूमि भूमिहीनों को दी जायगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या इसके लिये प्रार्थनापत्र लिये जा रहे हैं और यदि हां, तो कितनी-कितनी जमीन एक-एक व्यक्ति को दी जायगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, प्रार्थना-पत्र आते हैं और इसमें शिक्षित लोगों को २० एकड़ और भूमिहीनों को १० एकड़ दी जाती है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अधिक से अधिक कितने एकड़ भूमि किसी एक आदमी को दी गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह तो बतला दिया गया कि २० एकड़ एजूकेटेड अनइम्प्लाइड को और १० एकड़ लैंडलेस को दी जाती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—भूमिहीन में क्या सारे सूबे के भूमिहीन हैं या जिनकी भूमि बाढ़ आदि में नष्ट हो गई है या किसी खास जगह के लोगों के लिये यह है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह अभी गोरखपुर डिवीजन में जो भूमिहीन हैं उनको दी जा रही है।

*५-६—**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)——[२ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

* * *

कृषि इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक्टरों के खाली रहने पर आपत्ति

*१०—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि इंजीनियरिंग विभाग में इस वर्ष कितने ट्रैक्टर खाली रहे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—१९५५ वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में राज्य ट्रैक्टर संगठन, कृषि इंजीनियरिंग विभाग के खाली रहे ट्रैक्टरों की संख्या यह है:—

१-१-१९५५ से ३१-३-५५	२२
१-४-१९५५ से ३०-६-५५	१६
१-७-१९५५ से ३०-९-५५	४
१-१०-१९५५ से ३१-१२-५५	५

*११—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितनी जमीन ट्रैक्टरों द्वारा सरकारी फार्मों पर खेती योग्य बनायी गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—राज्य ट्रैक्टर संगठन के ट्रैक्टर तो प्रायः कालोनाइजेशन क्षेत्रों में ही काम करते रहे और ४४८३.१५ एकड़ भूमि खेती योग्य बनायी जिसमें ३३००.१५ एकड़ अफजलगढ़ व काशीपुर क्षेत्र में और १०४८.७५ एकड़ लखीमपुर-खीरी में शामिल है। इनके अतिरिक्त जो ट्रैक्टर मेकैनाइज्ड स्टेट फार्म (Mechanized State Farm) और स्वायल कंजरवेशन फार्मों (Soil Conservation Farms) पर साधारण जुताई-बुवाई के हेतु स्थित है उनके द्वारा २४५.५० एकड़ नई भूमि खेती योग्य बनाई गयी है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ट्रैक्टर इतने दिनों तक क्यों खाली पड़े रहे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—एक तो यह कि ट्रैक्टरों के इस्तेमाल का वक्त होता है। बाज तिमाही में काम नहीं होता। जैसे पहली तिमाही जनवरी से लेकर मार्च तक कम जुताई की जरूरत पड़ती है इसलिये खाली रहे, और यह भी होता है कि कुछ ट्रैक्टर बेकार हो जाते हैं उस वक्त उनको बनने के लिये वर्कशाप में भेजा जाता है, इस वजह से भी वह खाली पड़े रहें।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी जमीन ट्रैक्टर से बोने के काबिल बनायी गयी ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह ट्रैक्टर लोगों को व्यक्तिगत रूप से किराये पर भी दिये जाते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक हमारे स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन की बात है उसमें हम अब तो नहीं देते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो जमीन कालोनाइजेशन फार्म में ४॥ हजार एकड़ तोड़ी गयी उसमें स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन के कितने ट्रैक्टर काम में लगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के कितने और भारत सरकार के कितने ट्रैक्टर उसमें काम में आ रहे हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसके लिये भी नोटिस की जरूरत होगी।

रुद्रपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने का सुझाव

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने रुद्रपुर में कोई कृषि महाविद्यालय खोलने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्वीकृत सम्पूर्ण योजना को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अभी ऐसी कोई योजना तैयार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि रुद्रपुर तराई स्टेट फार्म बिलकुल पास होने के कारण वहाँ कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिये बहुत उपयुक्त स्थान है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—राज्य सरकार की यह राय जरूर है कि वहां अच्छी जगह है और कृषि विद्यालय खुल सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार भविष्य में वहां कृषि विद्यालय खोलने का है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—योजना अभी तैयार नहीं है लेकिन विचार किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार का विचार है कि कानपुर से कृषि विद्यालय हटा कर रुद्रपुर में ले जाया जाय ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुये इस सम्बन्ध में भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन से परामर्श कर के शीघ्र योजना कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री बलवन्तसिंह—कानपुर एग्रीकल्चरल कालेज को जिस स्थान पर वह इस समय स्थित है वहां से हटाने का तो कोई इरादा नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसा कोई इरादा नहीं है।

* * * *

देवरिया जिले में पटू की उपज

*१४—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में सरकारी पटू प्रोडक्शन योजना के अनुसार सन् १९५४-५५ में अलग-अलग कितने एकड़ पटू की खेती की गई और उसमें कितनी पटू तैयार हुई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—राजकीय जूट विकास योजना के अन्तर्गत जिला देवरिया में १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६ में की गई पटू की खेती तथा उपज का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़ में)	उपज (मनों में)
१९५३-५४	१,३४०	१३,४००
१९५४-५५	२,४३८	२४,३८०
१९५५-५६	१,२१६*	१५,६४९*

*संख्या अनुमानित है चूंकि खरीफ की परताल तथा पटू की बिक्री अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और वर्षा के कारण फसल को अधिक हानि हुई है।

*१५—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार पटू और सन की खेती करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये वहां सन और पटू का कोई कारखाना खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब और कहां?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष १९५५-५६ में पटू की खेती कम क्यों हुई?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—पिछले साल उसका भाव बहुत गिर गया था और भाव का असर खेती पर पड़ता ही है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या कमी के कारण बिक्री की ठीक व्यवस्था न होना और क़र्जा आदि न देना थे?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, यह कारण भी हो सकते हैं। हमारे यहां जूट की पैदावार पहले अच्छी नहीं होती थी मगर इस साल खासी अच्छी है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—१९५४-५५ और १९५५-५६ के भावों में कितना अन्तर था?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—बहुत काफी था। बिलकुल ठीक तो नहीं बता सकता लेकिन कम से कम १३ रुपये मन तक उसका भाव गिर गया था और पहले २४ रुपये तक था।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—बाढ़ क्षेत्रों में जूट की उपयोगिता को देखते हुये क्या सरकार वहां के लोगों को कर्ज देने और जूट बिकवाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, पंचवर्षीय योजना में हम अपनी जूट की खेती काफी बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे क्षेत्रों में अवश्य कोशिश की जायगी।

*　　*　　*　　*

इलाहाबाद में गो-घाट से त्रिवेणी घाट तक मछली तथा कछुओं के शिकार को रोकने की मांग

*३७—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में गो-घाट से लेकर त्रिवेणी घाट तक मछली तथा कछुओं के शिकार को कानूनन मनाही होते हुये वहां पर कछुओं तथा मछली का शिकार बहुत जोरों पर होता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक सरकार को ज्ञात हुआ है गौ-घाट से किले की दीवार के प्रारम्भ होने तक मछली व कछुआ मारने का कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। किले की दीवार से लेकर त्रिवेणी घाट (संगम) तक माघ मेला नियम नं० २२ के अन्तर्गत मछली व कछुआ मारना मना है और वहां कछुआ व मछली नहीं पकड़ी जातीं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार बतावेगी कि नियम २२ के विरुद्ध कितने आदमियों का चालान किया गया और कितनों को सजा दी गई?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह इत्तला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार माघ मेला नियम २२ में बड़ाघाट को शामिल करने की कृपा करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मक्खी मारने की इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत छोटी चीज है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मरे हुये कछुओं का क्या उपयोग होता है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास दफा २२ के विरुद्ध काम करने की कोई शिकायत आई है ? यदि आई है तो कैसी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---मुमकिन है कि शिकायत आई हो लेकिन इस समय मुझे बिलकुल ठीक पता नहीं है।

कम्पनीबाग, इलाहाबाद में हरमत निकेतन समिति को जमीन देने के लिये सिफारिश

*३८---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद के कम्पनी बाग में कौन-कौन संस्थाओं को इमारतें बनाने की आज्ञा सरकार की ओर से दी गई हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इलाहाबाद के कम्पनी बाग में निम्नलिखित संस्थाओं को इमारतें बनाने की आज्ञा सरकार की ओर से दी गई है :---

(१) प्रयाग संगीत समिति,
(२) महिला क्लब,
(३) झा मेमोरियल लाइब्रेरी,
(४) जिमखाना क्लब,
(५) पब्लिक लाइब्रेरी,
(६) म्युनिसिपल बोर्ड, इलाहाबाद।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार के पास प्रयाग की हरमत निकेतन समिति ने जो फ़िजीकल कल्चर कालेज खोलना चाहती है उसके लिये कोई आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---आवेदन पत्र आया होगा, लेकिन अब फैसला यह हो गया है कि वहां जमीन इतनी कम रह गयी है कि अब किसी को नहीं दी जावेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार इस समिति को जमीन देने की कृपा करेगी

श्री अध्यक्ष---जवाब आ चुका है कि अब वहां किसी को जमीन नहीं दी जावेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिन संस्थाओं को कम्पनी बाग में जमीन दी गई है वह कुल कितनी जमीन दी गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इस जमीन में प्रयाग संगीत समिति को ५.२ एकड़, महिला कालेज को १ एकड़, झा मैमोरियल को १ एकड़, जिमखाना क्लब को १५ एकड़, पब्लिक लाइब्रेरी को २ एकड़ और म्युनिसिपल बोर्ड को १६.७९ एकड़ जमीन दी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी बाग का कुल कितना क्षेत्रफल है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---कुल रकबा इस वक्त नहीं बतलाया जा सकता है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार को पता है कि कम्पनी बाग में चन्द्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी और उनके नाम पर इसका नाम चन्द्रशेखर आजाद पार्क रखने के लिये लोगों ने सुझाव भेजे हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—भेजें होंगे ।

[१९ मार्च, १९५६ के लिये रखे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में गांव समाज के पक्ष में निर्णीत मुकदमे

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में अब तक कितने-कितने मुकदमे गांव समाज के पक्ष में निर्णीत हुए और कितने दूसरों के पक्ष में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील के जो मुकदमे गांव समाजों के पक्ष मे निर्णीत हुए और जो दूसरों के पक्ष में निर्णीत हुए उनकी सूची प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१ पर ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी यह बताने को कृपा करेंगे कि यह मुकदमे अदालत में किसकी ओर से दाखिल किये गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह गांव समाज की तरफ से दाखिल होते हैं और प्राइवेट पार्टी भी दाखिल करती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार पता लगायेगी कि बहुत से मुकदमे लेखपालों की ओर से दाखिल किये गये हैं और गांव समाज के प्रधानों की राय नहीं ली गयी है और उनको इत्तला है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मुकदमे गांव समाज की ओर से दाखिल होते हैं और बहुत से मामले गांव समाज के पक्ष में फैसल हुए हैं । ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव समाज के प्रधानों को पता न हो और उनकी राय न ली गयी हो ।

आजमगढ़ जिले में गोशालाओं तथा दुग्धशालाओं की सहायता के लिये मांग

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन गोशालाओं को सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आजमगढ़ जिले के दो गोशालाओं में से किसी को भी गत दो वर्षों में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के कितने व्यक्तियों को दूध उत्पत्ति बढ़ाने के लिए विगत दो वर्षों में कितनी-कितनी सहायता दी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आजमगढ़ जिले में गत दो वर्षों में किसी व्यक्ति को दुग्धशाला के लिए सहायता नहीं दी गयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की दो गोशालाओं में से किसी को सहायता प्रदान नहीं की गयी है, इसका क्या कारण है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—गोशालाओं को सहायता देने का कोई प्राविजन नहीं था सर्फ इतना होता है कि ५० रुपये देकर सांड़ ले सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के कितने व्यक्तियों ने गोशाला खोलने के लिए आवेदन-पत्र दिये थे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---कितनी तादाद में अर्जियां आयीं, इसके लिए सूचना की जरूरत होगी, क्योंकि कोई रकम देनी नहीं थी, इसलिए तादाद भी पता नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोशालाओं के प्रबन्धकों की ओर से कोई सहायता मांगी गयी थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, अक्सर ऐसी दरख्वास्तें आती रहती हैं ।

*४-५---**श्री सुरेंद्रदत्त बाजपेयी**---[२ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये ।]

सिटी बस सर्विस में ड्राइवरों व कन्डक्टरों के काम का समय

*६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत रोडवेज की सिटी बस सर्विस में कार्य करने वाले ड्राइवर कन्डक्टरों से ५ घन्टे की लगातार ड्यूटी लेने के बाद आध घंटे का विश्राम दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें कोई ओवर टाइम भत्ता दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---रोडवेज की सिटी बस सर्विस में कार्य करने वाले ड्राइवर, कन्डक्टरों से ५ घन्टे की लगातार ड्यूटी कभी नहीं ली जाती है । इसलिए उन्हें कोई ओवर टाइम भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*७---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग ड्राइवरों से एक दिन में कितने मील तक अधिक से अधिक बस चलवाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---रोडवेज विभाग में ड्राइवरों से एक दिन में अधिक से अधिक १९० मील बस चलवायी जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि सिटी बस सर्विस के ड्राइवर तथा कन्डक्टर से लगातार कितने घंटे की ड्यूटी ली जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सिटी बस सर्विस का ऐसा हिसाब है कि हर १५-२० मिनट के बाद सिटी बसेज खड़ी रहती हैं दस पन्द्रह मिनट के लिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक बार में २० या ३० मिनट ही इन लोगों को काम करना पड़ता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी उनकी ड्यूटी की परिभाषा बताने की कृपा करेंगे, वह ओवर आल ड्यूटी है या स्पेरिंग ड्यूटी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उनकी ड्यूटी के माने हैं जितनी देर वह काम करते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह १९० मील जो अधिक से अधिक ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वह कौन से रूट पर चलती हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा केवल आगरा रीजन में हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि १९० मील प्रति दिन गाड़ी चलाने में कितने घंटे लगते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह हमेशा की बात नहीं है, यह तो इतना किसी वक्त में हो गया होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो १९० मील एक ड्राइवर अधिक से अधिक चला लेता है, वह कितने घंटे में चला लेता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—किसी हालत में भी ६ घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, लम्बे से लम्बा १६० मील का रन हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश देने की कृपा करेंगे कि किसी हालत में भी इतनी ड्यूटी से अधिक एक ड्राइवर से न ली जाय, जिसमें १६० मील रोजाना गाड़ी चलाना पड़े ?

पाल मंत्री (श्री चरणसिंह)—इसकी तो कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, आगरा बस सर्विस ही इतनी चली और तो सब उससे कम चलती हैं, ६ घंटे से कोई ज्यादा ड्यूटी न दे ऐसा आर्डर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अनुसार सिटी बस सर्विस के ड्राइवर और कन्डक्टर्स को भी ८ घंटे का कोई मुकम्मिल रेस्ट दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—इससे भी ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि वह ८ घंटे से ज्यादा लगातार एक बार में नहीं चलाते, २० या ३० मिनट चलाने के बाद उनको हर बार करीब दस मिनट का रेस्ट मिल जाता है।

रोडवेज विभाग में सेंट्रल तथा रीजनल सेलेक्शन कमेटियां

*८—श्री नारायण दत्त दिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में सेन्ट्रल तथा रीजनल सेलेक्शन कमेटियां सरकार के किस आदेश के अन्तर्गत बनीं और उनका कार्य-क्षेत्र क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कमेटियां पहिले पहल सन् १६४८ में बनीं परन्तु इनके सदस्यों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। यह कमेटियां नये रूप से सरकारी पत्र सं० १६०३/टी०/३ एक्स—२०६० टी०/५१, दिनांक २१ जुलाई, १६५४ के अनुसार नियुक्त हुई और उनके कार्यक्षेत्र में रोडवेज के निम्नलिखित पदों के लिए चुनाव करना है—

सेन्ट्रल सेलेक्शन कमेटी

(१) सीनियर फोरमैन।
(२) सीनियर व जूनियर स्टेशन इंचार्ज, जूनियर फोरमैन व हेड मेकैनिक,
(३) ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर के दफ्तर व रीजनल, ट्रांस्पोर्ट आफिसर्स के दफ्तरों के लिए क्लर्कों व इन्फीरियर स्टाफ एकाउन्टेन्ट्स, कम्पिटेन्टट ड्राफ्ट मैन, स्टाफ गाड़ियों के लिए ड्राइवर और क्लीनर्स
(४) हेड क्लर्क, स्टोरकीपर्स, कैशियर, रोडवेज के लिए।
(५) मेकैनिकल एलेक्ट्रिशियन और असिस्टेंट एलेक्ट्रिशियन रोडवेज के लिए।
(६) स्टोर एकाउन्टेंट और एकाउन्टेंट्स रोडवेज के लिए।

रीजनल सेलेक्शन कमेटियाँ

(१) स्टेनोग्राफर्स, जनरल क्लर्क्स एकाउन्टेंट क्लर्क्स, बुकिंग क्लर्क्स, पैट्रोल क्लर्क्स, टाइम कीपर्स, स्टैटिस्टिकल क्लर्क्स, असिस्टेंट स्टोर कीपर्स, असिस्टेंट कैशियर्स और असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर्स।
(२) टीन स्मिथ्स, असिस्टेंट मैकैनिक्स, बैलकनाइजर्स, असिस्टेंट बेलकेनाइजर्स, कारपेन्टर्स, पेंटर्स, अपहोल्सटर्स, टरनर्स, ब्लैकस्मिथ्स, मोचीज, हैंगरमैन वेल्डर्स, फिटर्स, क्लीनर्स, वर्कशाप के लिए और सर्विस वैनेजर के लिए अर्दली चपरासी।

(३) असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क्स, कन्डक्टर्स, क्लीनर, कन्डक्टर्स, कन्डक्टर सीटी बस सर्विस, मिस्त्रीज, ड्राइवर्स, दफ्तरीज, चपरासी, मेल्टर, वाटरब्वायेज, चौकीदार्स, मजदूर अर्दली, पियुन्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए, और जमादार जनरल मैनेजर के लिए, क्लीनर्स ट्रैफिक साइड।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इन कमेटियों का कार्य नये लोगों का चुनाव करना है या जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, उनको एप्रूव करना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सारा कार्य होता है। जो नये एप्वाइन्टमेंट्स होते हैं, उनको ये रिकमेंड करती हैं और फिर उनकी नियुक्तियां होती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ये कमेटियां जो सन् ४७—४८ से काम कर रहे हैं उनका भी चुनाव करने का कार्य कर रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उनके ऐप्रूवल होंगे और उनके ऐप्रूवल के लिए ये रिकमेंड करेंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो व्यक्ति सन् ४७—४८ से लगातार काम करते चले आ रहे हैं, और जिनका सर्विस रेकार्ड में कोई धब्बा नहीं है, लेकिन कमेटी उनको ऐप्रूव नहीं करती तो सरकार फिर क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा तो होना सम्भव नहीं है, यह हाइपाथिटिकल चीज आपने कही है। ऐसी चीज होगी, तो जरूर रिकमेन्ड किया जायगा।

देवरिया जिले में कपास की उपज

*९—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार यह बतायेगी कि देवरिया जिले के अन्दर रुई की कितने एकड़ खेती होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—देवरिया जिले में, सन् १९५४-५५ में केवल ५२ एकड़ भूमि पर कपास बोया गया था। इस वर्ष के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कपास की खेती में कमी को देखते हुए अर्थात् अधिक कपास की खेती को बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यों तो अगली पंचवर्षीय योजना में कपास की पैदावार जरूर बढ़ायी जायगी, लेकिन वहां होगी या नहीं होगी, यह निर्णय वहां जो गल्ला और गन्ना पैदा होता है, उसमें कोई कमी न हो, इसे देख कर किया जायगा।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां कपास की खेती करने लायक जमीन है और ज्यादा कपास की खेती हो सकती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मैंने कहा कि इसको देखा जायगा।

*१०—**श्री झारखन्डेराय** (जिला आजमगढ़)——[१६ मार्च, १९५६ को प्रश्न २५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ में जूट की खेती न होना

*११—**श्री ब्रजविहारी मिश्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ में सन् १९५४ तथा सन् १९५५ में कितने एकड़ में जूट की फसल बोयी गयी थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ में अभी तक कोई भी जूट की खेती नहीं हुई।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि सनई या सन जो वहां बहुत अधिक पैदा होता है, वह भी एक प्रकार का जूट ही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---यह मालूम है कि सन् बहुत पैदा होता है उधर, लेकिन जहां सन पैदा होता है, वहां जूट पैदा नहीं हो सकता।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मन्त्री को मालूम है कि हजारों मन सन इस क्षेत्र से बाहर कलकत्ते को और दूसरे जगहों को प्रति वर्ष भेजा जाता है ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे पैदा नहीं होता।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---लेकिन उन्होंने सन के लिए तो स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष---आपने जूट के बारे में पूछा था कि जूट और सन एक ही चीज है। उन्होंने कहा कि वे अलग-अलग चीजें हैं। अब आप सन के बारे में नये प्रश्न पूछने लगे, यह नहीं हो सकता।

आजमगढ़ जिले में ग्राम समाजों की बैठकें

*१२---**श्री ब्रजविहारी मिश्र**---क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ जिले में करीब ९० प्रतिशत ग्राम समाजों की बैठकें अब तक नहीं हुई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं। बल्कि सरकार को तो यह मालूम हुआ है कि अब तक जिले में ग्राम समाजों की लगभग २०,००० बैठकें हो चुकी हैं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने ग्राम समाज बने हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---४,५१९।

बलिया जिलान्तर्गत टोंस नदी की बाढ़ के सिलसिले में भाड़े पर ली गयी नावें

*१३---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया के अन्तर्गत टोंस नदी के बाढ़ के सिलसिले में कितनी नावें भाड़े पर ली गयी थीं और सरकार का कितना धन भाड़े के रूप में व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह---बलिया जिले के अन्तर्गत टोंस की बाढ़ के सिलसिले में ५० नावें भाड़े पर ली गयी थीं और सरकार का कुल रुपया ५,५८०-३-६ भाड़े के रूप में व्यय हुआ।

*१४---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि बहुत-सी नावों का भाड़ा अभी तक मल्लाहों को नहीं मिला है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

*१५---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[१ मई, १९५६ के लिए प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६---१७---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[१६ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

आजमगढ़-दोहरीघाट रोड पर रोडवेज बस से श्री अर्जुनराम की मृत्यु के फलस्वरूप सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तारीख २०-७-५५ को आजमगढ़ से दोहरीघाट (जिला आजमगढ़) को जाने वाली सड़क पर दाऊदपुर के पास राजकीय रोडवेज बस से दब कर श्री अर्जुनराम, ग्राम ढोलीपुर, थाना जियनपुर की मृत्यु हो गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*१९—श्री विश्रामराय—यदि हां, तो क्या सरकार इस परिवार को क्षति-पूर्ति के निमित्त कोई सहायता देने का विचार रखती है, और क्या इस सम्बन्ध में मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मामला विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भी आया था।

श्री विश्रामराय—क्या माल मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रार्थनापत्र कब आया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—६ अक्तूबर, १९५५ को शायद आया था।

श्री उमाशंकर—(जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र कब तक विचाराधीन रहेगा अभी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आने पर इसका फैसला होगा। उनसे रिपोर्ट मंगायी गयी है।

परसरामपुर, जिला आजमगढ़ में पशु-चिकित्सालय खोलने का आदेश

*२०—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में पशु चिकित्सालय के खोलने की योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में परसरामपुर नामक गांव में एक पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। आशा है कि उक्त पशु चिकित्सालय शीघ्र ही चालू हो जायगा।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय कृषि मन्त्री बतायेंगे कि पिछले सत्र में उन्होंने जो जवाब दिया था कि सरकारी चिकित्सालय तहसील के किसी सुन्दर स्थान पर खोला जायगा, उस व्यवस्था को क्यों उन्होंने बदल दिया और जो स्थान बीच में पड़ता है, वहां चिकित्सालय नहीं रखा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस पर काफी सोच-विचार और विवाद रहा है और यही जगह सब से मुनासिब मालूम हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जहां पर यह पशु चिकित्सालय खोलने का आदेश दिया गया है, यह पश्चिम में पड़ता है, बीच में नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मैंने पहले ही कह दिया कि सब बातों को सुनने के बाद यही जगह मुनासिब पायी गयी।

बस स्टेशनों के हिसाब की जांच

*२१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस स्टेशनों के हिसाब-किताब की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बस स्टेशनों के हिसाब- किताब की जांच स्टेशन इंचार्ज, एकाउन्ट्स अफसर तथा असिस्टेंट जनरल मैनेजर करते हैं।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त सरकारी आडिटरों से क्यों नहीं जांच करायी जाती ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---आडिट पार्टी जाती है, वह सब हिसाब देखती है।

मत्स्य विभाग, जिला झांसी की राजकीय दुकान

*२२---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मत्स्य विभाग, जिला झांसी की राजकीय दुकान पर औसतन प्रति दिन कितने मन मछलियां पकड़ कर लाई जाती हैं और उनकी सप्लाई किन-किन जगहों को की जाती है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---झांसी जिले के मत्स्य विभाग के निहित जलाशयों से गत वर्ष प्रति दिन औसतन् ३ मन २६ सेर मछली पकड़ी गयी। राजकीय मछली दुकान झांसी से बची मछली इलाहाबाद, आगरा, बनारस आदि अन्य सरकारी दुकानों पर भेज दी जाती हैं तथा सरकारी दुकानों की आवश्यकता से बची मछली ठेकेदारों को बेच दी जाती हैं।

*२३---**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मछलियां उक्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा पकड़ी जाती हैं या पकड़ने का ठेका दिया जाता है, या खरीदी जाती हैं तथा जिले के किन-किन तालाबों से किस-किस मौसम में पकड़ी जाती हैं अथवा किस -किस समय ठेके नीलाम किये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---मछुओं की टोलियां द्वारा मछलियां पकड़वाई जाती हैं। आवश्यकतानुसार मछली साल भर पकड़ी जाती है। साधारणतः मछली के ठेके का नीलाम १ सितम्बर से ३१ अक्तूबर तक होता है।

*२४---**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)---[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२६---**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)---[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८---**श्री रामेश्वरलाल**---[१ मई, १९५६ के लिये प्रश्न १८--१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बदायूं जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

*२९---**श्री चुन्नीलाल सगर** (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि बदायूं जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गिरे हुये मकानों के बनाने के लिये कितनी धनराशि सहायता तथा तकावी के रूप में दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बदायूं जिले के पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिये सरकार ने निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की है :---

	रु०
अनुदान	३०,०००
तकावी	२,३७,०००

इन स्वीकृत धनराशियों में से अन्य सहायता के अतिरिक्त मकानों को फिर से बनाने के लिये भी सहायता दी जा सकती है।

*३०—श्री चुन्नीलाल सगर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने व्यक्तियों को सहायता तथा तकावी के रूप में रुपया जिले बदायूं के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में दिया जा चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब तक बदायूं जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में तकावी तथा सहायता के रूप में ५८१८ व्यक्तियों को १,९४,६०५ रू० १० आना ६ पा० वितरित किया जा चुका है।

श्री चुन्नीलाल सगर—क्या यह सही है कि सरकारी धनराशियों के वितरण के लिये जो आदेश भेजे गये थे उनमें यह नहीं दिया गया था कि मकान बनाने के लिये भी सहायता दी जा सकती है, जिसके कारण बहुत सी दरख्वास्तें खारिज हो गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो बात नहीं है। सारे सूबे को आर्डर्स थे कि तकावियों में से सब काम के लिये रकम दी जा सकती है।

श्री चुन्नीलाल सगर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरसात में बाढ़ से जो मकान गिर गये हैं उनके लिये सरकार की ओर से कोई ऐसे आदेश जारी हो गये हैं कि उनको तकावी या अनुदान के रूप में सहायता मिल सके ताकि वह अपने मकान बना सकें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, वह तो मिल ही सकती थी और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और लिखे तो बराबर यही आर्डर्स दिये जा सकते हैं।

*३१—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—[२२ मार्च, १९५६ के लिये प्रश्न ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२—श्री देवराम—[१६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३३-३४—श्री रामसुभग वर्मा—[१६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में शरणार्थियों के क्वार्टरों का विक्रय

*३५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो शरणार्थियों के लिये क्वार्टर बनाये गये हैं उनको सरकार शरणार्थियों के हाथ बेच रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां।

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलहाबाद के शरणार्थियों की ओर से उनकी सभा ने कोई आवेदन-पत्र इन क्वार्टरों के सम्बन्ध में भेजा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि इन क्वार्टरों की संख्या क्या है और किस रेट से बेंचे जायंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ ज़ाफरी---उस सिलसिले में तो कहा कि उनके हाथ नहीं बेच रहे हैं और संख्या अलबत्ता मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप ने प्रश्न ३५ के उत्तर में बतलाया कि "जी हां" ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, गलती हो गयी, वह "जी हां" है। तादाद यह है कि अलोपी बाग में १३० क्वार्टर्स है और अटाला में दो किस्म के हैं, ए क्लास के ६८ हैं और दो कमरे वाले ७० हैं। नैनी में है २४ और ४०। बाई का बाग में ८ और लूकरगंज में ८।

जो दूसरे के मुताल्लिक है वह यह है कि वहां उसकी कीमत मुकर्रर हो गई है। जो शरणार्थी हैं उनको इसका मौका दिया गया है कि वह उसको इंस्टालमेंट पर खरीद सकें। उसका वक्त मुकर्रर है। उतने दिन में उसका दाम आ जाना चाहिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन क्वार्टरों को शरणार्थियों के अलावा और किसी के हाथ बेचा जायगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जहां तक शरणार्थी लेने के लिये तैयार होंगे, उन्हीं को दिया जायगा। लेकिन अगर नहीं लेंगे और रह जायंगे तो फिर बेचने की कोशिश की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आवेदन-पत्र शरणार्थी भाइयों ने भेजा है, वह क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जो आवेदन-पत्र आये थे उनमें कई एक मांगे थीं। एक तो कीमत में कमी करने की मांग थी। एक यह थी कि उसका इंस्टालमेंट घटा दिया जाय, और उनकी अदायगी का जमाना बढ़ा दिया जाय। तीसरी बात यह थी कि जो किराया उन्होंने दिया है उसको मुजरा किया जाय। ये तीन ऐसी मांगें थीं जो नहीं मानी जा सकीं। एक और मांग थी कि उस की खास मरम्मत की जाय, उनको मान लिया गया है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जो क्वार्टर बेचे जा रहे हैं, उनके बेचने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है या प्रान्तीय सरकार को ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जो यह क्वार्टर हैं यह केन्द्रीय सरकार से कर्ज मिला था और प्रान्तीय सरकार ने बनाये हैं। लिहाजा उनके बेचने के सिलसिले में प्रान्तीय सरकार को हक है।

श्री तेजासिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब इन क्वार्टरों की कीमत को कम करने के लिये कहा जाता है अधिकारियों से तो अधिकारी यह जवाब देते हैं कि यह हमारे अधिकार में नहीं है, सेंटर ही इसको कम कर सकता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---वह बात यह है कि अगर कम करें तो नुक्सान होता है, केन्द्रीय सरकार भी २५ फीसदी उस को देती है और २५ फीसदी खुद बरदाश्त करना पड़ता है। चूंकि केन्द्रीय सरकार को उस नुक्सान को बरदाश्त करना पड़ता है इसलियेमहज प्रान्तीय सरकार कम नहीं कर सकती।

श्री नारायणदत तिवारी---क्या इन क्वार्टरों के बेचने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई आदेश या परामर्श दिया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जितने भी सरकारी क्वार्टर्स हैं या जो इवाक्वी प्रापर्टी है सभी को निस्तारण करके कमपेन्सेशन पूल में रुपया देना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैंने दूसरा सवाल किया था।

श्री अध्यक्ष---आप अपने प्रश्न को साफ कर दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या राज्य सरकार के पास इन क्वार्टरों के बेचे जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश, हुक्म, राय या अन्य कोई पत्र भेजा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा था कि इसके बेचने का हक़ प्रादेशिक सरकार को है। वह जवाब ठीक नहीं था। बात यह है कि चूंकि रुपया केन्द्रीय सरकार का था और उस को हमने खर्च किया तो उसके बेचने का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार करती है। केन्द्रीय सरकार से ही उसका ताल्लुक है।

राजा बीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह शरणार्थी क्वार्टर और जिलों में जो बने हैं उनको भी बेचने का सवाल है या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जितने भी क्वार्टर्स हैं सभी बेचें जायंगे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक क्वार्टर का दाम निश्चित करते समय किन-किन खर्चों को जोड़ा जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---मकानों को बनाने में जो खर्च होते हैं वही सब खर्चे जोड़े जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आवेदन-पत्र इलाहाबाद के शरणार्थी भाइयों ने भेजे हैं उस पर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से कुछ सिपारिश कर वहां से कोई निश्चित आज्ञा मांगने की कृपा करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जहां तक इसका ताल्लुक है इस पर बहुत खतो-किताबत हो चुकी है कम करने की और दर घटाने की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार इजाजत देगी कि डायरेक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास खरीदने के लिये दख्वास्त भेजी जायं ?

श्री अध्यक्ष---इसके पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*३७-३८---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

टेहरी जिले के अन्नाभाव क्षेत्रों में सस्ता गेहूं बेंचने की व्यवस्था

*३९—**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि टेहरी जिला के कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में वह क्या कर रही है ?

श्री चरणसिंह—यह सही नहीं है कि टेहरी जिले के कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई है । यह अवश्य है कि जिले के कुछ भागों में खाद्यान्न की कमी पड़ गयी है। वैसे यह जिला कभी अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रहा। इस वर्ष अन्न की कमी को पूरा करने के लिये सरकार की ओर से गेहूं सस्ते मूल्य पर वितरित करने की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में खुलने वाले भेड़ फार्म तथा ऊन विकास केंद्र

*४०—**श्री जयेंद्रसिंह बिष्ट** (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में पशु विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कितने भेड़ फार्म तथा मेढ़ा केन्द्र कब-कब खोले जायेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में पशु विकास योजना के अन्तर्गत जिन जिलों तथा जिन वर्षों में भेड़ फार्म तथा मेढ़ा केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२ पर)

*४१—**श्री जयेंद्रसिंह बिष्ट**—क्या सरकार मेहरबानी कर के बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ तथा ऊन विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कितने प्रसार केन्द्र कब कब खोले जायंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ तथा ऊन विकास योजना के अन्तर्गत जिन जिलों तथा जिन वर्षों में भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है, उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३ पर)

श्री जयेंद्रसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि ऊन तथा भेड़ प्रसार का क्या क्या कार्य होगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जो फ़ार्म होंगे वहां भेड़ों की नस्ल की उन्नति करने की कोशिश की जायगी। ऊन के काटने का सही तरीका बताया जायगा, ऊन की पैदा-

---

नोट—तारांकित प्रश्न ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ब्रार बढ़ाने की कोशिश की जायगी। अच्छे किस्म की ऊन पैदा करने की कोशिश की जायगी। वहां उनके फ़ौडर का इन्तजाम होगा ताकि ठिकाने से उनको खाने को मिल सके।

श्री जयेंद्रसिंह विष्ट--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिले में जहां भेड़, मेढ़ा केन्द्र या प्रसार केन्द्र खोलेंगे उनका स्थान निश्चित हो गया है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जिलों में कितने कितने होंगे, उसका ब्योरा तो दे दिया गया है। जगहों के मुताल्लिक एक दिक्कत होती है कि हमें जिस किस्म की कितनी जमीन की जरूरत होती है वह आसानी से मिलती नहीं। तो जहां जमीन मिलेगी वहां खोला जायगा, इसको देखा जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में भी कोई भेड़ फार्म या मेढ़ा केन्द्र खोलने का निश्चय किया है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उसमें दे दिया गया है जहां जहां हैं। नैनीताल में वह तो नहीं है लेकिन रैम सेन्टर है।

परसपुर घनौरा बांध संबंधित निर्मित मार्ग पर बस सर्विस की आवश्यकता

*४२--**श्री रघुराज सिंह** (जिला गोंडा)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि परसपुर घनौरा बांध के निमित्त जो सर्विस रोड बनी है उस पर सरकार ने बस चलाने का निश्चय किया है?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

चकबन्दी विभाग, जिला जौनपुर में परिगणित जाति के क्लर्क

*४३--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् ५५ ई० में जौनपुर जिला में चकबन्दी के विभाग में जो क्लर्कों के लिए चुनाव हुआ है, उसमें कुल कितने उम्मीदवार लिये गये और उसमें कुल कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री चरणसिंह--जनवरी, सन् १९५५ ई० में जौनपुर जिले में चकबन्दी विभाग के लिए क्लर्कों का कोई चुनाव नहीं हुआ। फरवरी तथा मार्च, १९५५ में क्लर्कों का चुनाव हुआ था जिसमें २६ क्लर्क लिये गये थे। उनमें से ३ परिगणित जाति के थे।

*४४-४५--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--[२३ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि

*४६--**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में अब तक प्रत्येक तहसील से अलग-अलग कितनी कितने एकड़ भूमि "भूदान-यज्ञ" में प्राप्त हुई है?

श्री चरणसिंह--जिला जालौन में भूदान-यज्ञ में प्राप्त भूमि का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :--

जालौन	उरई	कोंच	काल्पी
६५०.०७ एकड़	४५००.८७ एकड़	६२५.८९ एकड़	४२८४.०० एकड़

*४७—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्राप्त हुई उपर्युक्त भूमि में अब तक कुल कितनी-कितनी भूमि तहसीलवार वितरण की जा चुकी है ? उसमें प्रत्येक तहसील में भूमिहीन हरिजनों को कितनी-कितनी भूमि प्रदान की गयी ?

श्री चरणसिंह—उपरोक्त प्राप्त भूमि में से अब तक वितरित की गयी भूमि का तहसीलवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

जालौन	उरई	कोंच	काल्पी
९५.४७ एकड़	५४६.४५ एकड़	४५१.८० एकड़	२६११.७९ एकड़

जालौन व उरई तहसीलों में क्रमशः २४ एकड़ व ३६४.३० एकड़ भूमि भूमिहीन हरिजनों को प्रदान की गयी है। तहसील कोंच व काल्पी में भूमिहीन हरिजनों को वितरित की गयी, भूमि के आंकड़े समयाभाव के कारण अभी प्राप्त नहीं हैं।

*४८—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस भूमि वितरण की कमेटी के पदाधिकारी एवं कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या इस कमेटी ने जिले में कोई आदर्श हरिजन बस्ती बनायी है, अगर हां, तो कहां ?

श्री चरणसिंह—भूमि वितरण कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। इस कमेटी ने मौजा मवई, तहसील काल्पी में शहीदनगर के नाम से एक आदर्श हरिजन बस्ती बसायी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४ पर)।

*४९—श्री रामसुभग वर्मा—[२३ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में पुनर्वासन योजनान्तर्गत ग्राम

*५०—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार बतायेगी कि क्या उसके पास देवरिया जिला में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में किसी ग्राम को पुनः बसाने की योजना है ? यदि हां, तो किस किस ग्राम को ?

श्री चरणसिंह—जी हां, देवरिया जिले में १९ ग्रामों को पुनः बसाने की योजना है जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

गायघाट, नगवा, बनकटी, बेलवनिया टोला, महुई, टोला मलाह, टोली ग्राम भरहे चौरा विन्ध्याचलपूर, धोलहा, राम नगर, सालिकपुर, करमहवा, हनुमानगंज, भइसहवा, माधी, देवीपुर, ज्वालापुर, श्यामपुर, शिवपुर, बसन्तपुर, मरचहवा।

*५१—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—[१६ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किया गया]।

आगरे में राजनीतिक पीड़ितों को पब्लिक कैरियर कथित अस्थायी परमिट

*५२—श्री श्रीनिवास (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आगरा आर० टी० ए० के यहां से २५-९-५४ से २०-४-५५ तक और २०-४-५५ से २०-२-५६ तक अलग-अलग काल में राजनीतिक पीड़ितों के नाम में Temporary permits पर कितने public carriers चल रहे थे ? उनको permanent करने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र कार्यालय में आये और उन आये प्रार्थना-पत्रों में से कितने स्वीकृत किये गये और कितने अस्वीकृत ?

श्री चरणसिंह---कथित अवधि में किसी भी राजनीतिक पीड़ित को अस्थायी पब्लिक कैरियर परमिट नहीं दिया गया। अतः उनको स्थायी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने तथा उन पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

*५३---**श्री श्रीनिवास**---अस्वीकृत किये जाने वाले प्रार्थियों में से कितने S. T. A. कमेटी के सामने गये? S. T. A. कमेटी ने उनमें से कितनों को नियमित मान कर R. T. A. आगरा को विचारार्थ भेजा?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

*५४---**श्री श्रीनिवास**---कितने ऐसे प्रार्थना-पत्रों को R. T. A. आगरा ने बावजूद S. T. A. कमेटी के नियमित माने जाने पर अस्वीकृत कर दिया?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

*५५---५६---**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)---[२३ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

बरेली तहसील में किसानों को भूमिधरी का प्रमाण-पत्र न मिलना

*५७---**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली तहसील भिटौरा सेन्टर पर कितने कृषकों का गन्ना दसगुने में काटा गया था?

श्री चरणसिंह---भिटौरा सेन्टर पर कुल ४९६ कृषकों के गन्ने का मूल्य दस गुने में जमा किया गया था।

*५८---**श्री धर्मदत्त वैद्य**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन कृषकों में कितनों को भूमिधरी का प्रमाण-पत्र मिल गया और कितनों का शेष है?

श्री चरणसिंह---इनमें से ४२८ कृषकों को भूमिधरी का प्रमाण-पत्र मिल चुका है तथा ६८ कृषकों को मिलना शेष है।

*५९---**श्री धर्मदत्त वैद्य**---क्या सरकार इस का कारण बताने का अनुग्रह करेगी कि शेष कृषकों को अभी तक क्यों नहीं भूमिधरी प्रमाण-पत्र मिल सके?

श्री चरणसिंह---शेष कृषकों ने दसगुने का पूरा रुपया नहीं जमा किया था, इस कारण उन्हें भूमिधरी प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा सके।

*६०---**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी**---[१० अप्रैल, १९५६ के लिए प्रश्न ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

डुमरियागंज तहसील में बाढ़ के समय जन-हानि

*६१---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस वर्ष बाढ़ के कारण तहसील डुमरियागंज में कितने व्यक्ति डूब कर मर गये?

श्री चरणसिंह---१९५५ में बाढ़ के कारण तहसील डुमरियागंज में ७ व्यक्ति डब कर मर गये।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनारस के विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश-कार्य में सत्याग्रह में बाधा डालने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-----एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने दिया था हरिजनों के सम्बन्ध में और मैंने यह कहा था कि सोमवार को इस बारे में मैं निर्णय दूंगा। और पहिले माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी जानकारी प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि इसमें कानूनी राय का प्रश्न शामिल और कानूनी प्रश्न उठा भी था । इसलिए सरकार के कानूनी सलाहकारों की राय जानने के बाद निर्णय दूंगा। आज मेरे पास मुख्य मन्त्री जी ने यह कहला भेजा है कि वह प्रश्न कानूनी राय के लिए उन्होंने अपने सलाहकारों के पास भेजा है और जो प्रश्न माननीय राज-नारायण जी ने उठाया उन्होंने उसको उस पहलू से जिस पहलू से कि राजनारायण जी ने बातचीत की थी माननीय मुख्य मन्त्री जी से उस पहलू से देखने की कोशिश की गयी है और कानूनी सलाह लेने के लिए उन्होंने आज्ञा दी है । आज चूंकि उनको बाहर जाना था तो उन्होंने यह भी प्रार्थना मुझसे की है कि आज इस प्रश्न को न उठाकर मंगल को उठाया जाय जब कि वह खुद मौजूद रहेंगे, और जो कानूनी सलाह आयेगी, वह भी इस सदन के सामने उपस्थित करेंगे। उस वक्त राज नारायण जी भी जो कुछ कहना चाहेंगे, कह सकते हैं। इसलिये मैं आज इसका निर्णय नहीं देता हूं ।

शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजदूरों की हड़ताल के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने एक कामरोको प्रस्ताव आज भेजा है, वह यह है कि---

"यह सदन निम्न कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए अपना आज का कार्य स्थगित करता है :---

विगत १४ मार्च से शाहजहांपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजदूरों ने अपनी मांगें मंजूर न होने के कारण पूर्ण हड़ताल कर दी है परिणामस्वरूप :---

(१) कल से वहां की गन्ना मिल बिलकुल बन्द हो गयी है तथा शाहजहांपुर, लखीम-पुर खीरी, सीतापुर जिलों के हजारों काश्तकारों का गन्ना न पेरे जाने के कारण भारी नुकसान हो जाने की सम्भावना है, तथा

(२) शहर के सभी बिजली से चलने वाले छोटे-बड़े अन्य उद्योग धन्धे उदा-हरणार्थ १०० बिजली से चलने वाली चक्कियां भी बन्द हो गयी हैं जिससे शहर की खाद्य स्थिति में असर पड़ रहा है, तथा

(३) हजारों परीक्षार्थी विद्यार्थियों को जिनके इम्तहान शुरू हो चुके हैं, पठन-पाठन में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, एवं,

(४) अन्धकार होने से चोरियों व डकैतियों की तादाद भी वहां एकदम बढ़ गयी है ।"

तो इससे जो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसके ऊपर विचार करने के लिए वह चाहते हैं कि सदन का कार्य स्थगित किया जाय ।

मैं इस विषय में श्रम मन्त्री जी से अगर वह मौजूद हों यहाँ पर तो जानना चाहूंगा कि क्या परिस्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं पहले तो जनाब वाला, आपकी इस तरफ तवज्जेह दिलाता हूं कि यह जो बात इसमें लिखी हुई है, इसका पूरा पूरा सम्बन्ध लेबर से है और लेबर २१ तारीख को बजट की सूरत में यहां बहस में आने वाला है। तो जो कुछ भी मामला है, उसके लिए इस एजर्नमेंट मोशन की तो जरूरत नहीं है।

कुछ सदस्य---२१ को नहीं २३ को है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---२१ से २३ वाले ग्रूप में है और हाउस को अख्तियार है कि पहले उसी को सामने रखे। उसमें यह तो मजबूरी नहीं है कि जिस नम्बर पर लिखा हुआ है उसी पर रहे।

श्री अध्यक्ष---लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि वाकयात के बारे में आप कुछ मालूमात देना चाहते हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अगर मालूमात सदन चाहता है, तो मैं कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो मैं कल इसे ले लूंगा। उसके बगैर मैं इसका फैसला नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि उसकी अर्जेंसी कितनी है, उसका पता तब तक नहीं लग सकता है।

श्री राजनारायण द्वारा बनारस के विश्वनाथ मंदिर आन्दोलन में भाग लेने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी जैसा कि आपने कहा दिल्ली चले गये और यह निश्चित नहीं है कि वह कल आ ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---कल वह आ जायेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वह बहुत महत्वपूर्ण काम से गये हैं। जब वह जा रहे थे, तब भी मैंने उनको फोन किया था क्योंकि हमारी दो-तीन और फाइलें मुख्य मन्त्री जी के पास लटक रही हैं।

श्री अध्यक्ष---वह हवाई जहाज पर ले गये होंगे आप की फाइलें।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप तो जैसा जानते ही हैं कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होता, क्योंकि हम सच्चे सोशलिस्ट हैं, तो मैं तो आज शाम को जाऊंगा, सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, अब माननीय मुख्य मन्त्री जी की या सरकार की जो इच्छा होगी, जैसा वह चाहेंगे.....

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि आपको वापस वहां से बुलवा लूं?

श्री राजनारायण---नहीं। वह तो मैं शाम को जाऊंगा ही, कल १२ बजे रात को मेरे पास फोन आया था और वहां सारा प्रोग्राम बन चुका है। आप जानते हैं मैं वचनबद्ध हो चुका हूं। सरकार जो भी निर्णय करें, बनारस दूर नहीं है।

एक सदस्य---वहां तो प्रवेश हो चुका है।

श्री राजनारायण---परिपूर्णानन्द जी कह रहे हैं कि प्रवेश हो चुका है।

श्री अध्यक्ष---आप अपनी बात कहिये।

श्री राजनारायण---तो मैं तो यह कह रहा था कि सत्याग्रह तो होगा और यदि आवश्यक होगा, तो मुख्य मन्त्री जी के यहां भी धरना हो सकता है और असेम्बली भवन के सामने भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष——मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सी चीजें जो कि विवाद करके, बहस करके, निपटाई जा सकती हैं, उनको प्रत्येक कार्यवाही का रूप नहीं देना चाहिए, यानी डाइरेक्ट ऐक्शन का रूप नहीं देना चाहिए क्योंकि यहां की प्रथा तो यही है कि हम वाद-विवाद के मसले हल कर लें। हम यहां बहस के लिए बैठते हैं जिसमें कोई चीज जो कि नियम के विरुद्ध हो वह कोई न करे। मैं तो कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप यहीं रहें, यहीं प्रयत्न करें और यहां बहस से मत-परिवर्तन कराने की कोशिश करें, यह उचित मार्ग होगा।

बैठक की अवधि के संबंध में परिप्रश्न

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)——मैं यह जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सरकार से कि यह सदन की बैठक कब स्थगित होगी और फिर सदन कब से चलेगा?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)——यह तो बिलकुल निश्चित रूप से २२ तारीख को बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष——२३ तारीख तक का प्रोग्राम इसमें मौजूद है, और इसके बाद ४ अप्रैल से फिर प्रोग्राम है। तो होली के लिए आदरणीय सदन कब उठेगा और कब से फिर बैठेगा, वे यह जानना चाहते हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——खत्म कब होगा यह तो इसमें मौजूद है। २४ तारीख को खत्म है। कब से फिर बैठाया जायगा, उसके लिए तो मैंने अर्ज किया कि २२ तारीख को ही बताया जा सकेगा कि किस रोज बैठाया जायगा।

१६५६ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५५-५६ का द्वितीय पूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष——मैं घोषणा करता हूं कि १६५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५५-५६ का द्वितीय पूरक) विधेयक, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ फरवरी, १६५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ फरवरी, १६५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ५ मार्च, १६५६ को प्राप्त हो गयी और वह १६५६ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

१६५६-५७ के लिये विभिन्न स्थायी समितियों, वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति के निर्वाचन-हेतु कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष——मैं एक सूचना आदरणीय सदन को देना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष १६५६-५७ के लिए मंत्रियों की २४ परामर्शदात्री स्थायी समितियों, वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति जिनका कार्यकाल १३ मई, सन् १६५६ को समाप्त होगा, के लिए सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित करता हूं :——

नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय——६ अप्रैल, १६५६ को ४ बजे सायंकाल तक।

नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय——६ अप्रैल, १६५६ को दिन में ३ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि ११ अप्रैल, १६५६ को सायंकाल के ५ बजे तक। निर्वाचन की तिथि तथा समय एवं स्थान बाद में सूचित किये जायंगे।

इन समितियों में जितने सदस्य निर्वाचित होते हैं वे इस प्रकार हैं:—

२४ स्थायी समितियों में प्रत्येक में २४–२४ सदस्य, वित्त समिति में १४ सदस्य हैं, सार्वजनिक लेखा समिति में २० सदस्य और प्राक्कलन समिति में २५ सदस्य होंगे। इन निर्वाचनों से संबंधित नाम निर्देशन-पत्र विधान सभा के नोटिस आफिस से उपलब्ध होंगे।

१९५६–५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अनुदान संख्या २६ पहले ले ली जाय और इसके लिये साढ़े तीन घंटे का समय रखा जाय और आध घंटे में अनुदान संख्या ११ खत्म कर दी जाय। आज यही दो अनुदान लिये जायं, बिजली सम्बन्धी तीनों कल ले लिये जायं।

श्रीमन्, इसके अलावा एक और निवेदन करना था। वह यह कि जो २१ से २३ तारीख तक का ग्रुप है उसमें तीन मंत्रियों के अनुदान रखे गये हैं। उसमें माल मंत्री जी का है तो दो दिन तो उन्हीं में लग जायंगे, क्योंकि परिवहन है, दुर्भिक्ष है, मालगुजारी है और एक दिन श्रम मंत्री जी का लग जायगा। तो आबकारी नहीं हो सकेगा, क्योंकि आखिरी दिन तो सदन साढ़े तीन ही घंटे बैठेगा और आधे घंटे तो एप्रोप्रिएशन बिल चलेगा। इसलिये मैं समझता हूं आबकारी मंत्री वाला अगर कल ले लिया जाय तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—ग्रुप्स में परिवर्तन नहीं होगा।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान संख्या ५१ और इसके साथ ले ली जाय तो तीन आज हो जायंगे और तीन कल हो जायेंगे ब्याज ऋण वाला सहकारिता के साथ है, इसलिए इसे भी आज ले लेना ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष—आप समय किस तरह से निर्धारित करेंगे।

श्री बलवन्तसिंह—ऋण वाले को आध घंटा दे दिया जाय उसमें से तो तीन घंटे उसके लिये हो जायंगे और आध घंटा दूसरे के लिये हो जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो काम है वह भी महत्वपूर्ण है और आध घंटे में नहीं होगा। इसलिये कल बिजली के तीनों एक साथ ले लिये जायंगे और वह ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है फिर यही रहेगा।

१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—सहकारिता के आधार पर ऋण (लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता) के अन्तर्गत १,०६,८५,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मुझे बड़ी खुशी है कि सहकारिता के बजट में इस साल काफी रुपया रखा गया है। इससे यह साफ-साफ प्रतीत होता ही है कि अब केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का ध्यान इस ओर गया है। इस अनुदान में जो रुपया बढ़ा है वह विशेष कार्यों के लिये बढ़ा है और मुझे आशा है कि इन पांच वर्षों के अन्दर हम अपने देश में काफी प्रगति सहकारिता के आन्दोलन से करने वाले हैं।

[श्री मंगलाप्रसाद]

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि अभी कुछ दिन पहले एक समिति बिठाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दो वर्ष हुए तब निकाली है। कमेटी का यह कहना है कि सहकारिता देश में अभी असफल रही है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता ही एक मात्र ऐसा अस्त्र है, जिसके जरिये से इस देश की आर्थिक दशा बदल सकती है यहां के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो सकता है। उसका नतीजा यह हुआ कि आज इस देश में चारों तरफ सहकारिता का आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। मैं जानता हूं कि सहकारिता के कार्य में काफी त्रुटियां हैं, खराबियां हैं और जगह-जगह पर भ्रष्टाचार भी हैं लेकिन काम इतना जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर से बेरोजगारी दूर हो देश का स्तर ऊंचा हो, रहन-सहन लोगों का सुधरे, यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहां उद्योग-धंधे पनपें, यदि हम चाहते हैं कि कृषि के जरिये से जो पैदावार आज हो रही है उसमें तरक्की हो तो उसके लिये अगर कोई साधन है, कोई तरीका है तो वह सहकारिता ही है। इसलिये जहां इसका इतना बड़ा महत्व है वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि हम उसको काफी महत्व दें। इसके लिये काम करें और जो इसमें दिक्कतें हों, जो इसमें खराबियां हों उनको दूर करने में अपना हाथ बटायें। यह इसके लिये बेइंतिहा जरूरी है।

किसी आंदोलन के चलाने के लिये दरअस्ल जनता के अच्छे-अच्छे कार्यकर्त्ताओं को लगाने की आवश्यकता होती है। यह आर्थिक आंदोलन है और यह देश के आर्थिक ढांचे को बदलने के लिये है। इसमें आवश्यक है कि देश के अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता हिस्सा लें, काम करें और जहां कहीं खराबी हो उसको दूर करने में सहायता दें और उसकी देख-रेख में पूरी मदद करें। इसके साथ ही साथ जो अधिकारीगण हैं उनमें भी एक क्रान्तिकारी बदलाव आने की आवश्यकता है। उनको नान-आफीशियल्स को लेकर आगे चलना है। गांव में तथा शहर में से अच्छे से अच्छे आदमियों को साथ लेने की कोशिश करें। उनके साथ अपना कांटेक्ट बढ़ायें और जितनी खराबियां हैं उनको सख्ती से खत्म करने की कोशिश करें और खत्म ही न करें बल्कि जितनी खराबियां हैं और बुराइयां पैदा हों और जिनसे काम में रुकावट आती हो उनको खासतौर से अच्छी तरह से लगकर दुरुस्त करें और उसे ऐसे रास्ते पर लावें जिससे हमारा काम आगे बढ़ सकता हो।

इस विषय में कुछ माननीय सदस्यों से हमारी बातचीत हुई थीं और उनके जो कमेंट्स थे उनको मैंने बड़े गौर से सुना और उनसे मुझे कुछ लाभ भी हुआ और आयन्दा साल हम इस बात की काफी कोशिश करेंगे कि हम गांवों के आंतरिक जीवन में पहुंच कर उसमें भी परिवर्तन करें। यह आंदोलन जनता का आंदोलन है, इसमें काफी गैरसरकारी आदमी शामिल हों इसका भी हम पूरा इंतजाम करने वाले हैं। एक बात मैं आप से इस वक्त कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन में उसके सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर्स हुआ करते थे। अब हम यह करने जा रहे हैं कि उसके सेक्रेटरी नान-आफिशियल हों। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर खुद डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के कामों को देखें और उसको सुपरवाइज भी करें यह बात कोई बहुत मुनासिब नहीं है। सुपरवाइज करने वाला अलग होना चाहिये, काम करने वाला अलग होना चाहिये, तभी हम काम में काफी देखभाल कर सकते हैं और जो खराबियां हैं उनको रोक सकते हैं और काम को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से और भी नीचे की समितियों में यही करना चाहता हूं जिसमें कि गैर-सरकारी आदमी काफी तादाद में हमारे आंदोलन में शामिल हों। और उसके

लिये पंचवर्षीय योजना में बहुत सी हमारी स्कीमें हैं, उनको आपके सामने मैं रखूंगा और उससे आप यह समझेंगे कि हमारे काम में कितनी तरक्की होने वाली है, कितनी हम देखभाल करने वाले हैं, कितनी हम इसमें प्रगति करने वाले हैं।

मैं अब आपको अलग-अलग चीजों पर थोड़ी-थोड़ी बातें बता देना आवश्यक समझता हूं, जिसमें आपको पूरी तौर से उसका ज्ञान हो जाय। एक मिनट के अन्दर मैं यह कह देना चाहता हूं कि सन् १९४७ से लेकर १९५५ तक क्या फर्क हुआ। हमारी सोसाइटीज १९४७ में १३,००० थीं अब १९५५ में ३८,००० हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि जून तक उनकी संख्या ४१,००० हो जायगी। उसी समय मेम्बरशिप ३ लाख ३१ हजार थी और १९५१-५२ में जब हमने इसको टेकअप किया था तब ९ लाख थी और अब १९५५ में १३ लाख हो गई। इसमें कैपिटल कुल ४९ लाख था १९४६-४७ में, १९५१-५२ में १४७ लाख था और अब २२० लाख हो गया। सोसाइटीज में डिपाजिट का लेखा ठीक नहीं मालूम लेकिन १९५५ में ३१ लाख रहा। सेंट्रल बैंक का शेयर कैपिटल १९४६-४७ में ३२ लाख १० हजार था, १९५१-५२ में साढ़े ५५ लाख था और अब १९५५ में ८४ लाख रहा और डिपाजिट्स १९५५ में ३३७ लाख हो गया। जब कि डिपाजिट्स पहले बहुत कम था। यू० पी० कोआपरेटिव बैंक का शेयर कैपिटल १९४६-४७ में ११ लाख ४० हजार रहा, १९५१-५२ में ४० लाख और १९५५ में ५१ लाख हो गया। डिपाजिट्स १९४६-४७ में ५१ लाख, १९५१-५२ में २६६ लाख और अब १९५५ में ३१३ लाख हो गया, जब कि हाल ही में ७५ लाख केन सोसाइटीज ने विदड्रा (with draw) कर लिया। रेट आफ इंटरेस्ट, जब हमने टेकअप किया था १९५१-५२ में १२ से १५ फीसदी था बाद में यह ९ फीसदी हो गया और इस समय हम इसको ८ १/४ फीसदी करने जा रहे हैं और इस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक वह ६ १/४ परसेंट हो जायगा। सीड स्टोर हमारे १९४६-४७ में ९०२ थे, १९५१-५२ में ९५० हो गये और अब १९५५ में उनकी संख्या १,१७१ हो गई है।

बीज पहले सन् १९४६-४७ में हमारे पास १० लाख मन था, लेकिन अब वह १,८५४ हजार मन हो गया है। इस तरह से आप हर चीज में देखेंगे कि पहले से काफी अन्तर और फर्क हो गया है। लेकिन जितना भी यह हुआ है उससे हमको सन्तोष नहीं है। हमारी प्रगति और तेज होनी चाहिये थी और आइन्दा हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़े।

अब मैं आपको पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो हमारा कार्य होने वाला है उसके बारे में बतलाना चाहता हूं। करजे के सिलसिले में इस रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हर लेविल पर गवर्नमेन्ट का हिस्सा होना चाहिये। सेन्ट्रल बैंक हो या यू० पी० कोआपरेटिव बैंक हो सोसाइटी हो या कोआपरेटिव फेडरेशन हो सब में गवर्नमेन्ट को हिस्सा लेना चाहिये। तो यह तय हुआ है कि गवर्नमेन्ट तीन करोड़ रुपये के शेयर सब में ले और वह लेने वाली है। ७५ लाख रुपये के शेयर यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में और ७५ लाख रुपये के शेयर तमाम सेन्ट्रल बैंक्स में उसकी एक खास वजह है और वह यह है कि रिजर्व बैंक ने यह तय किया है कि वह ३० करोड़ रुपये तक करजा इस प्रान्त को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दे सकता है, लेकिन यदि लेने वाले बैंक आदि की अच्छी हैसियत हो तभी इतना पैसा मिल सकता है। ए०, बी० और सी० तीन क्लास के बैंक होते हैं। ए० क्लास के बैंक के पास जितनी उसकी अपनी पूंजी होती है, शेयर कैपिटल होता है उसका दुगुना उसको रिजर्व बैंक दे सकता है। जितना रुपया पास होता है करीब उतना ही पैसा बैंकों को यू० पी० कोआपरेटिव बैंक दे देता है। अगर किसी

[श्री मंगलाप्रसाद]

बैंक के पास १० लाख रुपया हो जाय तो उसको ३० लाख रुपया बाहर से मिल सकता है। इस प्रकार से करीब कारोबारी धन ४० लाख का हो जाता है। अगर २० लाख रुपये का लोकल डिपाजिट हो जाय तो जो बैंक छोटे भी हैं उनका ६० लाख रुपये का वर्किंग कैपिटल हो जाता है। इस चीज में हमारी मदद रिजर्व बैंक करने वाला है। हम चाहते हैं और माननीय सदस्यों से निवेदन और प्रार्थना है कि इस काम में वह हमारा हाथ बटायें, क्योंकि इसमें हम सारी शक्ति लगाकर इन बैंकों को बढ़ाना चाहते हैं और उनसे अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते हैं। अधिक से अधिक लाभ हम अपने किसानों को देना चाहते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन्हें नहीं दे पायेंगे। अभी हम ५।। करोड़ रुपया कर्जे की शक्ल में नकद किसानों को दिया करते हैं। इसके अलावा १८ लाख ५४ हजार मन जो हम गल्ला देते हैं वह यूनीक चीज है। इस देश में किसी सूबे ने बीज का वितरण इस तरह से नहीं किया है जैसा कि हमारे यहां होता है। यों तो हर जगह कुछ न कुछ खराबी हुआ करती है, लेकिन यह हमारे यहां यूनीक चीज है। हम अपने यहां शान्त में १८ लाख ५४ हजार मन चारों तरफ बीज बांट रहे हैं। इसको हम और बढ़ाने वाले हैं। हमने यह तय किया है कि सन् १९६१ तक ५ १/२ करोड़ से बढ़ाकर ४० करोड़ रुपया कर्जा हम किसानों को, देहात वालों को और हर तरह के काम करने वालों को देंगे।

हम यह भी जानते है कि किसान कम दाम पर गल्ला मई और जून में बेच दिया करता है। चारों तरफ से उस पर मांग होती है। मालगुजारी और तकावी की मांग उस पर होती है। सहकारी विभाग भी अपना पैसा मांगता है और महाजन भी अपना रुपया मांगता है और उसके घर पर खड़ा रहता है नतीजा यह होता है मजबूर होकर किसान अपने गल्ले को बाजार में ले जाता है और औने-पौने दामों में उसको बेच देता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे रुपये में प्रगति होती जायगी हम किसानों का गल्ला अपने गोदामों में रख कर ६०--७० प्रतिशत रुपया उनको दे देंगे जिनमें वे अपना अनाज रोक सकें। इससे उनका काम चलता रहेगा। दो-तीन महीने पीछे उस गल्ले को बेचकर वे अधिक रुपया प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि किच्छा में गल्ला साढ़े सात रुपया मन बिक रहा था। लोगों को ९० हजार रुपया, गल्ला उनका रख कर, कर्जा दिया। नतीजा यह हुआ कि एक-दो काश्तकार को छोड़ कर सबने बाद को गल्ला बेचा और उसे तेरह और साढ़े तेरह रुपया मन बेचा। हमेशा यही होता है कि मई-जून में काफी गल्ला बाजार में आता है और वह सस्ता हो जाता है और हमेशा कुछ समय बाद २०--२५ प्रतिशत दाम बढ़ जाते हैं। उस समय बेचने से किसानों को काफी लाभ हो सकता है।

हम रिजर्व बैंक से भी काफी रुपया लेना चाहते हैं। सन् ५१--५२ में हमने केवल १६ या २० लाख रुपया ही लिया था लेकिन पिछले साल हमने १ करोड़ ७ लाख रुपया कर्जा लिया। इस साल गवर्नमेन्ट जो शेयर लेने वाली है अगर वह ले लिये गये तो हम ४ करोड़ रुपया तक कर्जा ले सकते हैं अगर ऐसा न हो सका तो भी हम २ करोड़ रुपया कर्जा ले ही लेंगे। जो कर्जा हम साढ़े पांच करोड़ दे रहे हैं वह इस साल के अन्त तक ८--९ करोड़ के करीब तक दे सकेंगे।

105A

जो कर्जा हम देने वाले हैं उसमें तीन तरह का रुपया होगा। एक शार्ट टर्म लोन, दूसरा मिडियम लोन, तीसरा लौंग टर्म लोन। रिजर्व बैंक से हमें २५ करोड़ रुपया शार्ट टर्म लोन के रूप में मिलने वाला है, १० करोड़ मिडियम टर्म लोन के रूप में और ५ करोड़ लौंग टर्म के रूप में। इस तरह से ४० करोड़ रुपया हमें रिजर्व बैंक से मिलने वाला है।

इसके अतिरिक्त एक बात और कह देना चाहता हूं कि आजकल मैं सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दे रहा हूं कि बैंकों की स्थिति बहुत तेजी से बढ़नी चाहिये जिससे कि हम काफी रुपया रिजर्व बैंक से ले सकें। आज भी बंबई और मद्रास में १०-११ करोड़ रुपया लिया जाता है और इतना रुपया वे काफी जमाने से रिजर्व बैंक से ले रहे हैं।

कुछ लोगों का ख्याल यह है कि यू० पी० बैंक वाले बहुत सस्ते दामों पर कर्जा लेते हैं और मंहगे रेट पर देते हैं। उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। रिजर्व बैंक कोआपरेटिव बैंक को डेढ़ प्रतिशत पर देता है। ५१-५२ तक हमने केवल १६ लाख रुपया ही उनसे लिया था। अब यू० पी० कोआपरेटिव बैंक जो ज्यादा सूद लेता है उसका कारण यह है कि जिस रुपये को वह देता है उसमें से अधिकांश रुपया साढ़े तीन प्रतिशत की ब्याज का होता है और वह साढ़े चार प्रतिशत पर दे देता है। यह कहना गलत है कि वह ७-८ प्रतिशत पर देता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक और कोआपरेटिव बैंक को हम एक पूल करने वाले हैं और उसके द्वारा जो सूद की दर होगी वह साढ़े तीन प्रतिशत होगी। जैसे-जैसे रिजर्व बैंक से पैसा लेना बढ़ता जायगा वैसे-वैसे सूद भी कम होता जायगा और मैं आशा करता हूं कि तीन-पौने तीन प्रतिशत तक हो जायगा। यह उस रुपये के कारण होगा जो यू० पी० कोआपरेटिव बैंक और रिजर्व बैंक के रुपये का पूल किया जायगा इसलिये जैसे-जैसे हमारा इस्टेब्लिशमेंट कम होता जायगा वैसे-वैसे हम सूद कम करते जायेंगे। असल में यू०पी० कोआपरेटिव सोसाइटी को जो रुपया दिया जाता है वह सेंट्रल बैंक या यू० पी० कोआपरेटिव बैंक से दिया जाता है उस के उसूल को जरा आप समझ लें। इन बैंकों का उसूल आमदनी करना नहीं है, उनका उसूल कोई पैसा पैदा करना नहीं है, उनका उसूल यह है कि हम किसानों को सस्ते से सस्ते दर पर पैसा दे सकें जिस से उन को उन के कारोबार में मदद मिले और वह अपने कामों को और भी अच्छे ढंग से चला सकें और जैसे-जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जायगी वैसे-वैसे हम सूद की मात्रा अपने यहां कम करते जायेंगे और हमारा ध्येय यही है कि हम कम से कम सूद चार्ज करें। इस उसूल पर हमारा काम आगे बढ़ रहा है और रोज बरोज हम सूद कम करते जा रहे हैं। इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम ६ १/४ प्रतिशत तक कर सकेंगे और हो सकता है कि अगली पंचवर्षीय योजना तक हम इससे भी कम सूद की दर पर पैसा दे सकें उन सदस्यों को जो हमारे यहां से रुपया लेंगे।

इसके अलावा हम एक लैन्ड मार्गेज बैंक भी खोलने जा रहे हैं उसके खोलने में थोड़ी सी दिक्कत थी वर्ना हम उसे और पहले ही खोल देते। हमारा जो जमींदारी का कानून है उस में जरा इस सिलसिले में परिवर्तन हो जाय, जिस पर विचार हो रहा है तो आसानी से इस आधार पर लोगों को ज्यादा रुपया दिया जा सकेगा जिस तरह से कि मदरास और दूसरी जगहों पर होता है। जिस तरह से लैन्ड रेवेन्यू वसूल होता है उसी तरह से यह रुपया किसानों से वसूल किया जाने लगे तो वसूली में कोई दिक्कत न होगी। जहां तक भूमिधरों का सवाल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसके सम्बन्ध में तो हाईकोर्ट का फैसला भी हो चुका है लेकिन जो भूमिधर नहीं है उनको अभी पैसा देने में दिक्कत है लेकिन यह प्राविजन किया जा रहा है कि जिन के पास कैश क्राप है उनको उस खड़ी फसल पर पैसा एडवान्स किया जा सकता है और जब फसल तैयार हो तो वह उन से वसूल किया जाय। जिस तरह से लैन्ड मार्गेज बैंक और प्रान्तों में है उसी तरह से यहां भी चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है इसके लिये एक गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी स्कीम है और गालिबन तमाम सूबों में यह चलायी जायगी।

अब मैं थोड़ी बहुत बात मार्केटिंग के विषय में भी करना चाहता हूं। हमारे यहां मार्केटिंग का काम पहले से भी थोड़ा बहुत चल रहा था और जो थोड़ा बहुत चल रहा था उस का एक इतिहास है। और वह यह कि जब यहां कंट्रोल हुआ उस जमाने में काफी काम सहकारी विभाग

[श्री मंगलाप्रसाद]

या सहकारी सोसाइटी को दिया गया और उसके बाद थोड़ा बहुत काम चलता रहा लेकिन अब जो मार्केटिंग का काम हम चलाने वाले हैं वह जरा गहराई में जाने वाला है और काफी काश्तकारों की मदद करने वाला है और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन की इस काम से बहुत कुछ होगा। इसके अलावा १५० वेयर हाउसेज हम कायम करने वाले हैं, एक वेयर हाउस करीब २५ हजार में बनेगा, इन के अलावा हम ५० और भी वेयर हाउसेज बनायेंगे जो एक-एक जिले में एक-एक बनेंगे और वहां का जो सब से बड़ा मार्केट होगा जहां से सामान बिक्री होता है और दूसरे सूबों में या प्रदेश के अन्दर दूसरे जिलों में जाता है इस तरह से सब के बड़े ५० वेयर हाउसेज बनेंगे, इसमें यह जरूरत है कि जो रुपया मार्केटिंग सोसाइटी देगी उसी के द्वारा किसान का माल बिक्री होगा और जब अपने यहां या दूसरे सूबों में उसकी मांग होगी तो वह माल अच्छे भाव पर बेचा जा सकेगा। इसी तरह से जो ये हमारे वेयर हाउसेज होंगे उनका एक वेयर हाउसिंग कारपोरेशन भी पूरे सूबे का होगा जो इस किस्म के कार्य की देखभाल करेगा। इस तरह से इसके जितने सदस्य होंगे, जो रुपया लेंगे उन सब का माल हमारे पास आ सकता है। जरूरी नहीं है आना अगर पैसा दे देते हैं लेकिन अगर गल्ला देते हैं तो उसको बेच कर अपना पैसा (marketing society) ले लेगी और बाकी जो पैसा होगा वह किसान को वापस कर दिया जायगा। इसमें करीब ६७ लाख रुपया खर्च होने वाला है ५ वर्ष के अन्दर। इसमें काफी पैसा केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है और हमारी यह कोशिश होगी कि कैश क्राप पर काफी रुपया दे सकें कैश क्राप का काम मदरास में काफी अच्छा है। दूसरा काम जो होने वाला है वह प्रोसेसिंग का है। कृषि क्राप को इस्तेमाल करने लायक बनाने को प्रोसेसिंग कहते हैं। हिन्दी में इसका कोई शब्द मिला नहीं। सामान्यतः कच्चा माल धान या ईख है। उससे चीनी बना लेते हैं और धान से चावल बना लेते हैं। तिलहन है उससे तेल बना लेते हैं। इस तरह के जो काम हैं उनमें काश्तकारों को मदद देने में तरह-तरह के प्रोसेसिंग का इन्तजाम किया जायगा। इसमें भी करीब साढ़े तीन लाख रुपया खर्च होने वाला है। तीन वर्ष के अन्दर इसमें ९५ हजार सबसिडी रक्खा है जो ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ को मेनटेन करने के लिये और ट्रेनिंग इत्यादि के लिये होगा।

अब मैं थोड़ा सा सीड स्टोर्स के बारे में कहना चाहता हूं। इस वक्त १,१७१ सीड स्टोर्स हैं। पांच वर्ष के अन्दर खयाल यह है कि सेचुरेशन प्वाइन्ट तक पहुंचा देंगे ताकि इतना कहना सीड मिल सके जिसमें किसी को और जगह जाने की आवश्यकता न हो। तै हुआ है कि हर क्राप में जहां एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं वहां तीन सीड स्टोर्स खोले जायं। दो सीड स्टोर्स कोआपरेटिव की तरफ से होंगे और एक सीड स्टोर एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। जो एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट का सीड स्टोर होगा उसमें ढाई हजार मन गल्ला रहेगा और जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के होंगे उनमें करीब-करीब दो हजार मन गल्ला होगा। इस तरह से ८५० एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं। १,१७१ से बढ़ कर २,५५० सीड स्टोर्स हो जायेंगे। आज भी १,१७१ हमारे हैं और २३५ एग्रिकल्चर वालों के हैं यानी १,४०० के करीब सीड स्टोर्स हैं। इनमें अब इतना सीड बटेगा जिसमें किसी को सीड की दिक्कत नहीं होगी, यह सीड 'ए' क्लास का सीड होगा और ५ वर्ष के बाद 'ए' क्लास का सीड फिर से बदल दिया जायगा जिसमें अच्छे से अच्छा सीड लोगों को आसानी से मिल सके।

मिल्क यूनियन हमारे देश में बहुत कम हैं। जिस देश में दूध और घी की कमी नहीं थी वहां आज चारों तरफ घी और दूध की कमी दिखाई दे रही है। इसलिये मेरे विचार से कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि इन चीजों में भी काफी प्रगति हो। इस वक्त हमारे सात मिल्क यूनियन्स बन रहे हैं। इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी १४ मिल्क यूनियनें, दो क्रीम बनाने के कारखाने, और दो मिल्क पाउडर के कारखाने खोले जायेंगे और दस नये घी बनाने के कारखाने खोले जायेंगे जैसा कि शिकोहाबाद में है। इस समय ६ हैं, ६ से सोलह हो जायेंगे। इसके लिये एक स्टेट मिल्क बोर्ड भी बन रहा है। इसमें सात लाख के करीब सब्सीडी होगी।

कहने का तात्पर्य यह है कि इस वक्त दूध की बहुत कमी है। हम जहां मिल्क (milk) यूनियनें खोलते हैं वहां यह भी करते हैं कि वहां के जानवरों की तरक्की के लिये खासकर गाय की तरक्की के लिये खास प्रबंध करते हैं और अच्छी से अच्छी गाय मंगाने की कोशिश करते हैं, सांड मंगाने की कोशिश करते हैं। उनके लिये चरने का इंतजाम करते हैं। इस तरह का इंतजाम करते हैं जिसमें दूध बढ़े भी और जो दूध बढ़े उसको जहां उसकी आवश्यकता हो, जो गांव से फाजिल हो, वह ले जा करके जहां कहीं उसकी मांग हो, उसकी बिक्री करें और अधिक से अधिक गांव वालों को उसके जरिये से फायदा पहुचावें। मेरा ख्याल है कि इस तरह से धीरे-धीरे हर जिले में थोड़े दिन के अन्दर इस तरह की मिल्क यूनियनें बना देंगे जिससे दूध भी अच्छा मिलेगा, दूध बढ़ेगा भी और उनके लिये चारे वगैरह का भी इन्तजाम हो जायगा।

कोआपरेटिव फार्मिंग के अन्तर्गत इस वक्त १६३ कोआपरेटिव फार्म चल रहे हैं। इस पांच वर्ष में १०० और बढ़ाने की बात है इस तरह से २६३ इस सूबे में कोआपरेटिव फार्म हो जायेंगे। कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में दो विचारधारायें हैं। जिसको सभी लोग जानते हैं। कई तरह की कोआपरेटिव फार्मिंग्स होती हैं। एक होती है कलेक्टिव कोआपरेटिव फार्मिंग। इसमें जो आपका खेत है वह सब इकट्ठा हो जाता है, फिर उससे निकल नहीं सकता। यह कोआपरेटिव फार्मिंग तो बहुत कम कामयाब होने वाली है। एक होती है बैटर कोआपरेटिव फार्मिंग, जिसमें कि साधनों को इकट्ठा करके उस गाड़ी को चलाने का प्रयत्न किया जाता है। वह ज्यादा कामयाब हो रही है और जगह भी ऐसी Societies बनी हैं और हमारे यहां भी वही ज्यादा कामयाब होने वाली है। उसमें अगर आप १००,२००,४०० एकड़ का खेत मिला कर काम करना चाहते हैं, तो सबके पास साधन होते नहीं, अगर साधन इकट्ठे हो जायं तो उपज बढ़ सकती है और अगर कोई अलग होना चाहे तो अलग भी हो सकता है। इसलिये उसमें झगड़े का सवाल बहुत नहीं है और जितना अपना खेत होता है उसके अनुसार पैदावार मिल जाती है। इसलिये उसमें ज्यादा झगड़े की बात नहीं है। वैसे हम मिल कर अभी बहुत कम काम करते हैं, इस देश में, लेकिन धीरे-धीरे हमारी प्रगति हो रही है और भविष्य में मिल कर काम कर सकेंगे।

अब थोड़ी सी बात मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में कह देना चाहता हूं। अभी तक हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर बिलारी, मुरादाबाद जिले में और एक फैजाबाद में है। अब हम पांच सेंटर और खोल रहे हैं। दो के लिये मकान ले लिया है एक लखनऊ में और एक बनारस में। एक और ट्रेनिंग सेंटर मेरठ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने खोल रखा है। उसमें मैनेजर और अकाउन्टेंट जो बैंक का काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देने की बात है। बाकी सेंटर्स में जो हम नये-नये सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स भरती कर रहे हैं काफी तादाद में, उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं। उसमें १३ मोबाईल ट्रेनिंग यूनिट्स भी होंगी। मेरा ख्याल यह है कि आज जो कुछ खराबी कोआपरेटिव सोसाइटीज में दिखायी पड़ी है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब इसका काम कंट्रोल के जमाने में बढ़ा और उससे निश्चित आमदनी थी उसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं तो उसमें ऐसे-ऐसे लोग नौकरी में रख लिये गये जिनको हिसाब रखने का न कोई ज्ञान था, न तजुर्बा, न ट्रेनिंग और न क्वालिफिकेशन। उनकी क्वालिफिकेशन केवल यही थी कि हमारे या आपके साथी हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको रख लिया गया। नतीजा यह हुआ कि सब जगह हिसाब-किताब में गड़बड़ी हुई और चूंकि अपने आदमी को रख लिया था तो देखभाल भी ठीक नहीं हुई और उनके खिलाफ आज बहुत सी बातें कहीं जाती हैं। अब इस बात की जरूरत है कि हम ट्रेंड पर्सनल रखें और जितने आदमी चाहे ऐकाउन्टेंट हों, मैनेजर हों, या इस तरह की जिम्मेदारी की जगह के लिये हों उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से हो। हमारे जो गैरसरकारी आदमी हैं जो सरपंच हैं, पंच हैं उन्हें भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं। यदि आज हमारे सोसाइटी के जितने सदस्य हैं उनसे पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया तो कहते हैं कि सुपरवाइजर ने हमसे ऐसा करवा लिया, हमको मालूम नहीं क्या लिखा हुआ था। तो

[श्री मंगलाप्रसाद]

मैं चाहता हूं कि वह महसूस करें कि यह सोसाइटी उनकी है, उसके वे मालिक हैं, जो गलत सही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं और उनको देखना चाहिये, खुद उसमें हिस्सा लेना चाहिये, यह भावना उनके अन्दर पैदा होनी चाहिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा काम आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि उनकी ट्रेनिंग भी हो। वह उसको जानें, उसका हिसाब किताब रख सकें और देख सकें। अगर ऐसा हुआ तभी हमारी तरक्की हो सकती है। इस कार्य के लिये १३ मोबाइल यूनिट्स रखी हैं, जो जगह २ जा करके नजदीक २ के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ट्रेनिंग देने वाले हैं और अब वह अधिक जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। इस काम के लिये कुल ३४ लाख रुपया रखा गया। इस पांच वर्ष के अन्दर इसमें हजारों, लाखों आदमी को ट्रेन्ड करने वाले हैं। इसलिये यह रकम कोई बहुत ज्यादा नहीं है।

एक काम रानीखेत में हो रहा है दवाइयों का और मेरा ख्याल है कि काफी अच्छा हो रहा है और दिनों-दिन काफी अच्छा होता जायगा। उसमें जिन लोगों ने देखा है कुछ हमारे डाक्टर महोदय भी गये थे जिन्होंने इंडस्ट्री बजट के समय उसकी तारीफ भी की। उसका कार्य बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और काफी जोरों से हो रहा है। बहुत से हमारे माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि भट्टे का काम जो चल रहा है वह खराब काम है। कुछ लोग ऐसी राय रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि भट्टों ने डेवलपमेंट के काम में जितनी मदद की है उतनी शायद किसी और काम ने नहीं की। स्कूल बनाना, कालेज बनाना, जितनी डेवलपमेंट की ऐक्टीविटीज गांवों में सड़कें, नालियां बनना, पंचायत घर बनाना जितने काम इसने किये हैं उतना शायद और किसी ने नहीं किया है और ईंटों की कीमत भी कम हुई है। पहले ५० रुपये हजार की ईंट लेकर स्कूल, कालेज वगैरह बनाते थे, लेकिन अब बहुत सस्ते में उस काम को कर लेते हैं। सन् १९५३-५४ में ५२० ब्रिक किलन्स थे, अब ७५२ हो गये और उसमें जो फायदा हुआ है वह १७ लाख का हुआ है और ९८ करोड़ ईंटा हमने तैयार किया और बेंचा। इस तरह से फर्टीलाइजर का काम सन् १९५४ में हमने १८ हजार टन बेचा था और १९५५ में ३५ हजार टन बेंचा। ये थोड़े से हमने आपके सामने आंकड़े रखे और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य, और जो यहां नहीं हैं बहुत से हमारे गैरसरकारी काम करने वाले, उन सबसे अपील करूंगा कि चूंकि इस काम को एक नये ढंग से किया जा रहा है, एक इसको नई रूप-रेखा दी जा रही है, इसलिये सब हाथ बटावें और मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि अब सख्ती से काम लेने की आवश्यकता है। जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूं कि सेक्रेट्री नान-आफिशियल बनाया जाय और उसके बाद इस तरह से और जितनी सोसाइटीज हैं जहां काम करने वाले अच्छे मिलें, वहां इनको लिया जाय, तो हमारा काम काफी बढ़ेगा। हम यह भी महसूस करते हैं कि आज नहीं साल भर, दो साल के अन्दर जो सभापति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह भी बदल जाय और गैरसरकारी हो। हम यह भी आपसे कहते हैं कि आज जो हमारे बहुत से प्रान्त की तरफ से बैंक खुले हुए हैं जैसे कानपुर इत्यादि में वहां डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक होने चाहिए, वहां यू० पी०, कोआपरेटिव बैंक के ब्रांचेज नहीं होने चाहिये, क्योंकि जब हमारे प्रान्तीय बैंक की ब्रांच वहां होती है तो वहां के लोग इनीशियेटिव नहीं लेते। हम उसको बदलने वाले हैं। मुझे आशा है कि बहुत सी त्रुटियों के होते हुए भी, बहुत सी खराबियों के होते हुए भी यदि हम लोग सब मिल कर काम करेंगे तो इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। मैं यह चाहूंगा कि आप अपने सुझाव जहां कहीं भी आप समझें कि यहां पर त्रुटि है या खराबी है, और इस तरह से दूर हो सकती है, तो आप अवश्य दें। आखीर यह किसी दल विशेष का कार्य नहीं है, बल्कि यह जो आर्थिक उन्नति देश की सहकारिता के जरिये होने वाली है वह सभी के हित के लिए है और मैं समझता हूं कि जो सुझाव आप देंगे वह इसी भावना से होगा कि देश तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े और सहकारिता आन्दोलन के जरिये से तरक्की हो, इसमें आप सब लोग हमारे साथ होंगे। मुझे आशा है कि इस अनुदान को आप सहर्ष स्वीकार करेंगे।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २६—सहकारिता के आधार पर ऋण, में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का यह जो मुहकमा है जिसको हमारे माननीय मंत्री जी ने हाथ में लिया है, कई वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन इसमें सन्तोषजनक उन्नति नहीं हो रही है। जब बजट पर जनरल बहस हो रही थी उस वक्त भी माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही थी और इन पिछले वर्षों में जो सहकारिता का आन्दोलन रहा है वह उन्नति नहीं कर पाया है। इसकी ओर खासतौर से ध्यान जाना चाहिए कि क्यों नहीं हमारे प्रदेश में सहकारिता का आन्दोलन जोर पकड़ रहा है। मेरी समझ में इसका खास कारण यह है कि गवर्नमेंट की नीति इसके लिए जिम्मेदार है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि सहकारिता के आधार पर हमारे प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वह बने क्योंकि अभी तक हमारा देश जो है वह पूंजीवादी मनोवृत्ति में रहा है और व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बड़ा जोर रहा है और यह सरकार भी अब तक यह भी तय नहीं कर पायी है कि कितने सेक्टर्स में कोआपरेटिव आधार पर उन्नति की जाय और कितने में बड़े-बड़े उद्योग-धंधे और-और चीजें चलें। और पिछले वर्षों में जो कुछ काम हुआ है सहकारिता विभाग की ओर से उसे हमारे माननीय मंत्री जी ने गिनाया, कुछ बीज गोदाम खुले, कुछ मिल्क यूनियन बने और कुछ ईंटों के भट्ठे खुले इत्यादि। इन्हीं के सम्बन्ध में मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूं। पहली चीज १९५४–५५ की इस रिपोर्ट में यह दी गई है कि सबसे अधिक चमत्कारिक उन्नति हुई है ईंटों के भट्ठों के सम्बन्ध में। ईंटों के भट्ठे वास्तव में बहुत खुले और पूर्वी जिलों में, जहां का मैं रहने वाला हूं उधर काफी संख्या में खुले। लेकिन ईंटों के भट्ठे जो कोआपरेटिव की ओर से खुलते हैं उनको ईंटों की जो कीमत है वह अभी तक करीब २५ रुपये हजार हो पायी है। इससे देहात की जनता कम इसको खरीद पाती है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसके मुकाबिले में उसी स्थान पर प्राइवेट भट्ठे खुल जायं तो यह उद्योग भी गिर जायगा। इसलिये मेरी समझ में ईंटों के भट्ठे कोआपरेटिव के जो हैं उनकी ईंटों की कीमत को कम करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो मिल्क यूनियन वगैरह काम कर रही हैं वह भी शहरों में ही कुछ काम कर रही हैं और शहरों के लोगों के लिए ही कुछ काम हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो केन कोआपरेटिव काम करती हैं उनके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि केन कोआपरेटिव और इंडस्ट्रयल कोआपरेटिव एक ही मंत्री के सिपुर्द होने चाहिए। और राज्यों में यह अलग-अलग नहीं है। मगर यही एक प्रदेश है कि जहां कि सरकार केन कोआपरेटिव और इंडस्ट्रअल कोआपरेटिव मुहकमे अलग रखती है और ये विभिन्न मन्त्रियों के हाथ में हैं। इनकी एकता जरूरी है और एक मंत्री के हाथ में यह होना चाहिये। फिर इसके बाद जहां तक कि सहकारी नलकूप खेती के लिये बने हुए हैं वे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजली उनको नहीं मिल रही है। तो सरकार को चाहिये कि बिजली उनको दे ताकि वे उन्नति कर सकें। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बड़ी मुश्किल से मेरठ में कुछ नलकूपों को बिजली मिल सकी है। कोआपरेटिव फार्मिंग की जहां तक बात है कोआपरेटिव फार्मिंग्स की कुछ सोसाइटियां बनी थीं जो, राजनीतिक पीड़ित लोगों को नैनीताल में मिली थीं, लेकिन मुझे जहां तक मालूम हुआ है यह सोसाइटियां जो हैं वह फेल हो गई हैं और अधिकांश उनमें से फेल हो रही हैं। अब तो कई ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं जिनको नोटिस आयी है कि आप लोगों के जिम्मे इतना कर्जा है और उनकी कोआपरेटिव ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। खादर में जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उन्हीं की तरक्की हो रही है जो कोआपरेटिव्स (सहकारी) फार्मिंग वगैरा की हैं, उनकी कम उन्नति हो रही है इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये।

[श्री विश्रामराय]

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि सहकारिता के सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और जब तक कि डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हमारी सरकार काफी तौर से ध्यान नहीं देती और स्मालस्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना नहीं बनाती है तब तक सहकारिता का आन्दोलन कामयाब नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कमी जो है वह एफीशियेंसी की है और आनेस्टी की है। जहां जाइये कोआपरेटिव्ज में देहातों में हर जगह गबन है। प्रदेश के पचास प्रतिशत कोआपरेटिव्ज में गबन है। आडिट की जरूरत के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी आज चेत रहे हैं कि आडिट को मजबूत होना चाहिये, लेकिन अब तक आडिट का काम बहुत कम हुआ है। जितनी सोसाइटियां हैं उनमें से अधिकांश में गबन है। गबन को तय करने के लिये आर्बिट्रेशन रखा गया है। आर्बिट्रेशन से फैसला ले लेते हैं। बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनके लिये लोगों को गबन का पैसा अदा कराके तय कर लिया जाता है और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने गबन किया फिर भी वे छूट गये। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यह खुशी की बात है कि पंचवर्षीय योजना में आडिट की ओर ध्यान गया है। आडिट का जो तरीका है, आडिट की जो मशीनरी है वह फिर से बनाई जा रही है, उसका पुनर्संगठन हो रहा है और इस तरफ लोगों का ध्यान दिलाया जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी को कुछ सहायता भी मिल गई है और वह यह है कि पंचवर्षीय योजना में आल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कुछ रुपये मिलने जा रहे हैं। इसकी तरफ पहले ही से अंग्रेजी सरकार के वक्त में भी रूरल क्रेडिट की ओर ध्यान दिया गया, लेकिन देहातों में रूरल क्रेडिट की अवस्था यह है कि देहातों में जब महंगाई होती जाती है तो कर्जा लेने में कमी होने लगती है और जब महंगाई कम होती जाती है अर्थात् सस्ती होती जाती है तब फिर देहातों का आदमी कर्ज से लद जाता है। इसकी तरफ पहले ही सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यही खास वजह है जिसकी वजह से देहात के लोगों को दिलचस्पी नहीं हुई सहकारिता की तरफ। कंट्रोल के वक्त में तो यह दिलचस्पी हुई और कंज्यूमर्स कोआपरेटिव बहुत तेजी से खुले, क्योंकि कंट्रोल की चीजों के मिलने में दिक्कत थी, लेकिन यदि आप इन कोआपरेटिव्ज की हालत को देखिये तो मैं समझता हूं कि ५० प्रतिशत से ज्यादा की हालत खराब है और उनका कोई पुरसांहाल नहीं है। सरकार ने मेरा ख्याल है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर किसी भी भाग में वह कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज नहीं चल सकती हैं। कोआपरेटिव की उन्नति के लिये यही आवश्यक नहीं है कि चीजों का उत्पादन ज्यादा हो, उत्पादन बढ़े बल्कि वितरण का काम भी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिये और देहातों में ऐसे ही लोग नहीं हैं जिनके पास जमीन है उनको कर्जा मिले बल्कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ऐसे लोगों के लिये जरूरी है कर्जा दिया जाय और नये-नये उद्योग धंधे खुलें। यह अच्छी बात है कि पंचवर्षीय योजना में इस तरफ ध्यान दिया गया है।

गल्ले के गोदामों को खोलने के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा है कि वह खोलने जा रहे हैं। इसकी ओर भी अच्छी तरह से ध्यान देना है और गल्ले के गोदाम खोल देने चाहिये। गवर्नमेंट को प्राइस सपोर्ट स्कीम में इस काम को करना चाहिये था। कुछ थोड़ा सा गुड़ वगैरह खरीदा गया था जब उसका भाव गिर रहा था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया नहीं तो कोआपरेटिव्ज को बहुत सा रुपया मिला होता और कोआपरेटिव सोसाइटीज की उन्नति हुई होती। खांडसारी और गुड़ के उद्योगों के सम्बन्ध में भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और इसकी ओर यह बहुत ही उचित कदम है कि देहातों में पचास गोदाम १९५६-५७ में खुलने वाले हैं। और उन गोदामों में सरकार गल्ला खरीद कर रखेगी जिससे देहात के लोगों को कुछ कीमतें अच्छी मिलेंगी, इस बीच में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो बड़े-बड़े खरीदार हैं देहातों

में वे गल्ले को खरीद लेते हैं और सस्ते दाम पर खरीदते है और जब गल्ला महंगा होता है उस वक्त काफी मुनाफा करते हैं। इससे कोआपरेटिव को काफी फायदा होगा। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सबसे बड़ी बात यह है कि कोआपरेटिव मूवमेंट को चलाने के लिये कोई नया तरीका सरकार ने नहीं अपनाया है। हमारे मंत्री जी ने परसाल भी कहा था और उससे पहले साल भी कहा था कि हम एक नया बिल लाने वाले हैं। पहले मालूम हुआ कि पंत जी उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं फिर मालूम हुआ कि हाफ़िज जी ड्राफ्ट कर रहे हैं और अब मालूम हुआ कि डिपार्टमेंट के पास आ गया है। सन् १९१२ का जो कोआपरेटिव का कानून है वही आज तक काम कर रहा है। उसमें अफसरों का जोर ज्यादा है और जनता का कोई भी इनीशियेटिव नहीं है। नये बिल को जल्दी से लाना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री जी कब तक उस बिल को लायेंगे। कुछ उसकी रूप रेखा इस रिपोर्ट में दी गयी है। उसको पढ़ने से मालूम होता है कि रजिस्ट्रार महोदय उसमें सर्वे-सर्वा होंगे। हमारी तो यही राय है कि अगर कोआपरेटिव मूवमेंट को जिन्दा रखना है तो अफसरों का कम से कम अधिकार रहना चाहिये और मेरी समझ में अफसरों को केवल एकाउन्ट्स और व्यवस्था की देखरेख करनी चाहिये। सरकार अधिक से अधिक कोआपरेटिव में कर्जा दे। कोआपरेटिव मूवमेंट को चलाने में जितना ही गवर्नमेंट का हाथ रहेगा उतनी ही जनता की दिलचस्पी उसमें नहीं रह सकेगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब जिलों में जो सेक्रेट्री कोआपरेटिव अफसर के नीचे होंगे उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि उतना ही कदम उठाने से कोई सुधार नहीं होने वाला है। जनता में कोआपरेटिव के लिये काफी दिलचस्पी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। मंत्री जी ही नहीं, पूरी गवर्नमेंट इसके लिये जिम्मेदार है कि वह कोआपरेटिव मूवमेंट को चलाना नहीं चाहती है। इधर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुछ ध्यान दिया है और एक कमेटी बिठा कर रिपोर्ट दी है, इसलिये थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना में कुछ कहने को मिल गया है। मैं चाहता हूं कि जैसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोआपरेटिव कामनवेल्थ का नारा लगाया था और अब सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी का नारा लगाया है, और अगर वास्तव में वह सरकार जनतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है तो कोआपरेटिव के आधार पर ग्राम अर्थ व्यवस्था को कायम करना होगा, क्योंकि हमारा देश ग्रामों में बसा हुआ है और सहकारिता के बिना हमारी अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती और काटेज इंडस्ट्री पनप नहीं सकती। और जब तक काटेज इंडस्ट्री नहीं पनपेगी तब तक इस देश में पूंजीपतियों का बोलबाला रहेगा। यह सरकार पूंजीवाद को नियंत्रित तो करना चाहती है, किसी किसी का राष्ट्रीयकरण भी कर लिया है लेकिन सोशलाइजेशन की ओर सरकार का कोई कदम नहीं है। जब तक सोशलाइजेशन की ओर कदम नहीं होगा तब तक यह देश सोशलिज्म की ओर नहीं जा सकता। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और सहकारिता की जो रिपोर्ट है उसको भी पढ़ने की कोशिश की, तो मैं इस बात की सरकार को बधाई दूंगा कि उसने जो तजवीज पेश की है उसमें तो यह मालूम होता है कि देश का और हमारे किसानों का उपकार होगा। लेकिन मैं साफ-साफ यह कहना चाहता हूं कि जितना सरकार इस बारे में कहती है उसका बहुत कम हिस्सा अमल में आता है। हम देखते हैं कि अभी हमारे मंत्री जी इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन आखिर में उतनी दिलचस्पी नहीं रहती। यहां यह देखा जाता है कि श्रीमन्, एक नई स्कीम सरकार ने किसानों के लिये चलाई है जिसका मैं स्वागत करता हूं, वह मार्केटिंग फेडरेशन की स्कीम है। यह सही बात है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

कि अगर यह स्कीम सही रूप से चलायी गई तो इससे किसानों का बड़ा भारी लाभ होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ा भारी खतरा यह भी है कि अगर एक जगह भी सरकार कदम उठाने में गलती कर गयी या सोसाइटी खराब बन गयी और इस काम में नाकामयाबी हो गयी, तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जायगा। इससे बहुत से कार्य बिगड़ सकते हैं। जहां-जहां यह खोली जायं वहां बहुत समझदारी से और पूरी चीज को समझ कर ऐसे लोगों को दी जाँय, जो इसका कार्य अच्छी तरह से चला सकें। मैं देखता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में पुराने कार्यकर्ता चले आये हैं उनकी कदर ही ज्यादा मानी जाती है और उनको कानूनी वाकफियत होने की वजह से वह ऐसे हावी हो जाते हैं कि नये कार्यकर्ताओं को आने की गुंजायश नहीं रह जाती है।

यह ऐक्ट बहुत पुराना हो गया है इसलिये इसमें तब्दीली की बहुत जरूरत है। इसके नियम भी बदले जाने चाहिये। किसानों को तथा कोआपरेटिव में भाग लेने वाले लोगों को इससे ज्यादा फायदा होना चाहिये। यह ठीक है कि सरकार को इस पर नियंत्रण रखना चाहिये और उसकी देखरेख रहनी चाहिये। लेकिन इसमें अधिकतर भाग जनता को ही लेने देना चाहिये और सरकार को उसे गाइड करना चाहिये। आप इस प्रकार उसको सहयोग देते रहें कि वह इत्मीनान से अपना कार्य करते रहें। श्रीमन्, उदाहरण के लिये मैं कहता हूं कि सरकार ने बीज देने के लिये बीज गोदाम खोले और उनमें किसानों को जो अनाज दिया गया उसका आज तक कर्जा चला आ रहा है बजाय इसके कि वह तमाम चीज माफ हो जाती, अनाज के लेने के बाद समाप्त कर देते या माफ कर देते। हम देखते हैं कि बिल्डिंग के लिये रुपया दिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा सूद लेकर सोसाइटी से लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को उत्साह हो तो कम से कम सोसाइटीज के शेयर होल्डर्स को कुछ फायदा होना चाहिये। जो मेम्बर देहातों में होते हैं उनको मुनाफा भी कभी नहीं बांटा जाता है। मंत्री जी ने बतलाया १३ हजार से बढ़ कर ४१ हजार सोसाइटीज हो गई हैं। इनके बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सरकार सोसाइटीज को मुनाफा बांटने के लिये मजबूर कर दे तो कोआपरेटिव आन्दोलन बढ़ेगा।

मैं कहूंगा कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के कर्ज के बारे में बतलाया गया कि जमींदारी बिल में कुछ तब्दीली करके कर्जा देने के लिये प्रबन्ध किया जायगा। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह फायदा भूमिधरों को ही न हो बल्कि जितने भी किसान हैं चाहे वह सीरदार हों, चाहे अधिवासी हों या किसान हों सब को कर्जा मिलना चाहिये। उनके जमींन के लिखने पर या खेती पर उनको कर्जा मिल जाना चाहिये। श्रीमन्, देखना यह है कि दूसरे लोग कर्जा देते हैं और उनका वसूल हो जाता है तो फिर सरकार को क्या भय है कि वह रुपया नहीं दे सकते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों का रुपया लगा हुआ है वह बहुत बड़े सूद पर लगा हुआ है। मंत्री जी ने कहा कि रिजर्व बैंक से डेढ़ प्रतिशत पर मिलता है.....

श्री अध्यक्ष—दो मिनट में आप खत्म कर देंगे।

राजा वीरेंद्रशाह—तीन मिनट में खत्म कर दूंगा। तो मुझे यह कहना है कि जब डेढ़ परसेंट में आपको मिलता है तो आप कहते हैं कि हम साढ़े तीन परसेंट में देते हैं और यहाँ आप कहते हैं कि लखनऊ के बैंक से साढ़े तीन परसेंट में हम देते हैं और अभी मंत्री जी ने बताया कि जिलों में वह ९ परसेंट तक पहुंचता है। तो ९ परसेंट का सूद काफी होता है। इसको घटना चाहिये। अगर मंत्री जी चाहते हैं कि लोगों को फायदा हो तो सवा ६ परसेंट आज होना चाहिये। डेढ़ से आप ६ कर लीजिये, यह ठीक है। पहले साढ़े बारह था लेकिन आज वह ९ परसेंट तक आ गया है, मैं मंत्री जी को कहूंगा कि दो तीन साल बाद

आप सवा ६ परसेंट करना चाहते हैं उसको आप अभी कर दीजिये तभी उससे लोगों को फायदा होगा। बहुत सी सोसाइटीज जो बन गई हैं उनको कर्जा नहीं मिलता है। सरकार को चाहिये कि रिजर्व बैंक से और ज्यादा कर्ज ले और अगर वह किसानों की तरक्की करना चाहती है, उनको फायदा पहुंचाना चाहती है और चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया अपने तरक्की के काम करने के लिये मिले तो उसको रिजर्व बैंक से और रुपया लेकर उन सोसाइटीज को रुपया देना चाहिये।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाबवाला, मैं कोआपरेटिव के मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने चन्द सालों के अन्दर काफी तरक्की इस मुहकमे में की है। बहुत सी हजारों नई सोसाइटीज बनायी गयीं और उसके मुख्तलिफ सीगे में तरक्की की गयी, जिनको डिप्टी मिनिस्टर साहब ने मुफस्सिल अपनी तकरीर में बयान किया। उन्होंने यह भी बतलाया कि अभी तक उस मुहकमे ने क्या तरक्की की है और आगे क्या तरक्की उसमें होने वाली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जब कि हमारा नुक्ते-नजर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी हो गया है तो जो यह हमारा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है उसके जरिये से हम उस काम को पूरा कर सकते हैं क्योंकि कोआपरेटिव के जरिये से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मुल्क में और खासकर हमारा सूबा इस तरह का है जहां पर लोग ज्यादा देहात में रहते हैं और देहात में बसते हैं। लिहाजा मुझे कहना यह है जो हमारा यह डिपार्टमेंट बनाया गया था वह १९१२ में बनाया गया था, जो उस वक्त इसका नुक्ते नजर था उसमें बहुत तब्दीली होनी चाहिये, क्योंकि अगर आपका यह ख्याल रहता है कि इतनी पुरानी मशीनरी को ही नये पुर्जे लगाकर मौजूदा हालात के अन्दर, मौजूदा जमाने में काम में लाया जाय तो उसका चलना मुश्किल है। लिहाजा मैं यह कहता हूं कि आपको इस चीज को इस नुक्ते नजर से देखना चाहिये और इस डिपार्टमेंट का ओवरहाल करना चाहिये ताकि पब्लिक और सरकार में जो सहयोग की जरूरत है वह हो सके। इसी सूरत से तरक्की हो सकती है।

हुजूरवाला, दूसरी बात यह है कि जिस वक्त डाक्टर काटजू साहब आये तो उन्होंने मल्टी परपज सोसाइटी बनाने पर जोर दिया और हजारों बनायी गयीं। मल्टी-परपज सोसाइटी का मतलब यह है कि और भी इससे काम लिया जाय और मुख्तलिफ तरीके की सोसाइटीज बनायी जायं। इस तरह से बहुत सी सोसाइटी बनायी गयीं। जब कि वह मल्टीपरपज सोसाइटी में टर्न हो चुकी हैं तो उनसे वह इन्तजाम भी पूरा होना चाहिये और उन सोसाइटीज की तरह से ही उनको काम करना चाहिये। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि इस डिपार्टमेंट में बहुत सी एक्स बाडी हैं, जैसे कोआपरेटिव यूनियन है, केन यूनियन है, यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव फैडरेशन है, यू० पी० मारकेटिंग फैडरेशन है। वह अपने अलग-अलग काम करते हैं। किसी डिपार्टमेंट में कोआर्डिनेशन नहीं है। हेडक्वार्टर पर एक कौंसिल बननी चाहिये और उस कौंसिल के बनने पर सब में आपस में कोआर्डिनेशन होना चाहिये। अब बजाय इसके यह हो कि हर यूनियन अपना-अपना काम करती है और एक दूसरे यूनियन से कोई वास्ता नहीं रहता है; तो नतीजा यह होता है कि बड़ी खासी रायवलरी पैदा हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सूबे की लेबिल पर एक कमेटी बनायी जाय, कौंसिल बनायी जाय, उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार हों, यूनियन हों, मिनिस्टर साहब हों या डिप्टी मिनिस्टर साहब हों। उसमें पंचसाला पालिसी बनाकर कोआर्डिनेशन के साथ काम करायें वरना ये तमाम वेअर हाउसेज वगैरा जो बना रहे हैं, जो स्कीम्स आप बना रहे हैं उनके बनने में मुश्किल नजर आती है।

जब तक डिस्ट्रिक्ट बैंक आपके मजबूत न होंगे तब तक काम नहीं चल सकता। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि वह प्रांविशियल बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऐजाज रसूल]

में शेयर ले रही है। अब देखना यह है कि गांवों में इसका क्या असर होता है ? सबसे पहले जो होना चाहिये वह यह कि बैंकों का ब्याज कम होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बैंक आजकल ७ फीसदी सूद ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है डिस्ट्रिक्ट बैंक और सैंट्रल बैंक में कोई खिलाफत न हो। इसके अलावा जल्दी से जल्दी सोसाइटीज की रजिस्ट्री करनी चाहिये। रजिस्ट्री होने के बाद उनको कर्जा देना चाहिये। ताकि बैंकों की रेट आफ इंटरेस्ट कम हो जाय और ३ फीसदी पर गांवों में हम रुपया दे सकें क्योंकि गांवों में अभी तक लोगों पर काफी कर्जा है। मैं यह जानता हूं कि इस थोड़े जमाने में ही काफी तरक्की इस कोआपरेटिव मूवमेंट की हुई है, लेकिन हमें उसे अभी बहुत बढ़ाना बाकी है। आपको अब जल्दी से काम करना चाहिये वक्त पर कर्जा देना चाहिये। बैंकों और सोसाइटीज को जल्दी से खोलना चाहिये। अगर देर होगी तो मुश्किल सामने आ जायेगी।

दूसरी बात यह है कि लोअर लेबिल के जो आफीसर्स होते हैं वे तो रूरल माइंडेड होते हैं लेकिन सी० ओ० वगैरा का हैड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उनका सोसाइटियों से कोई वास्ता नहीं रहता। अगर वे दौरे के लिये देहात में जाते हैं तो बड़ी जल्दी करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जितने दिन मुकर्रर हैं उनको किसी तरह से पूरा करें, कभी-कभी वे उनको भी पूरा नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि वह दौरा ठीक से नहीं कर पाते। बैंकों की हालत बिगड़ती जाती है। इसलिये सी० ओ० को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर रखने के बजाय, देहात में जहां ज्यादा सोसाइटीज हों वहां पर उनका हैड क्वार्टर रखना चाहिये। इसके साथ-साथ डिप्टी रजिस्ट्रार साहब नीज दूसरे आफीसरान को भी देहात का दौरा करना चाहिये बजाय इसके कि बैंक चले गये और वहां से बैलेंसशीट देखकर लौट आये। अगर आपको कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाना है तो इन आफीसरों के लिये भी दिन मुकर्रर कीजिये ताकि वे टूर में सोसाइटीज की हालत को खुद देखें। उसका नतीजा यह होता है कि वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स के अलावा जाकर नहीं देखते और हालात का उनको पता नहीं रहता। यह भी मैं आपके सामने सुझाव के तौर पर रख देना जरूरी समझता हूं। मैं देखता हूं कि सुर्ख रोशनी मेरे सामने हो गई और मैं थोड़े से वक्त में बहुत कम कह सका हूं और अभी कहने को मेरे पास बहुत है और वक्त कम है। विलेज सोसाइटीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ी खुशी की बात है कि उनकी सोसाइटीज की ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि जो सुपरवाइजर्स हैं और जिनकी डायरीज बैंक को देखने का अधिकार दिया गया है वह डायरीज उन के पास नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रार साहब और डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वह इस को देखें कि बैंकों के पास उनकी डायरीज जायं और डुपलीकेट में जायं तो और भी अच्छा है ताकि उनको मालूम हो जाय, उनके मूवमेंट्स के बारे में। अगर उनको पता नहीं होता तो नतीजा यह होता है कि बिलकुल आजाद हो गये हैं और जिस जगह चाहें घूमते हैं और चाहे जैसे काम करते हैं, इस लिये जरूरत है कि सख्त हिदायत दी जायं कि सुपरवाइजर्स की डायरीज वक्त से बैंक्स के पास आयें ताकि वह उनके मूवमेंट्स देख सकें। ए० आर० भी जिले में रहते हैं और सी० ओ० भी डिस्ट्रिक्ट ही में रहते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं रहता और कोई वाकफियत नहीं रहती।

दूसरी बात यह है कि जो कर्जा दिया जाता है वह हेडक्वार्टर्स पर ही दिया जाता है और वहां तक पहुंचने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो छोटी-छोटी तहसीलों में अगर बैंक बना दिये जायं और वहीं काश्तकारों को रुपया दे दिया जाय करे तो उनको आसानी रहेगी। नतीजा यह होता है कि वह कर्जे की दरख्वास्त देते हैं और हेडक्वार्टर्स पर जिले के जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि आज खजांची साहब नहीं हैं और उनको पड़े रहना पड़ता है और दूसरी तारीख पर उनको बुलाया जाता है। इससे उन्हें बहुत परेशानी होती है,

इसलिये तारीख मुकर्रर कर के तहसील हैडक्वार्टर्स पर उनको रुपया देने का इन्तजाम कर दिया जाय तो बेहतर है और उन लोगों को ज्यादा दूर भी न जाना पड़ेगा।

हुजूरवाला, मैं यह और कहना चाहता हूं कि दूध के मामले में भी काफी तरक्की हो रही है और उसके लिये काफी रुपया भी रखा गया है, लेकिन मैं एक पर्सनल बात भी जरा कह दूं तो बेजा न होगा कि हमारी एक गोदा सोसाइटी है और वह तमाम सूबे में एक नई सोसाइटी है और उसने अपने रुपये से काफी तरक्की की है, अपने रुपये से ही उसने इमारत भी बनाई है, इसलिये इस मौके पर मैं माननीय मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम अब उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। उम्मीद है कि वह हमारी दरख्वास्त पर तवज्जह करेंगे।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। यों तो यह सदन सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह से समझता ही है। भारतीय संविधान में सहकारिता के महत्व को समझते हुये ही कोआपरेटिव कामनवेल्थ को आधार माना है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से अपने प्रदेश और देश के अन्दर इस आन्दोलन को चलाने की जरूरत है, उसकी अभी बहुत कमी है। मेरे कहने का आशय यह है कि जहां कहीं भी हम देखें, सभी प्रकार की सोसाइटियों जैसे ईट भट्ठों की सोसाइटी, गल्ले की सोसाइटी या अन्य प्रकार की सोसाइटियों पर इस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का ही आधिपत्य रहता है। यहां तक कि सोसाइटियों के चुनाव में भी उनका अप्रत्यक्ष हाथ होता है और प्रयत्न यह रहता है कि उनके पक्ष के आदमी आयें। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बड़ी गड़बड़ी फैल गई है। कंट्रोल के जमाने में इस विभाग के प्रसार में बड़ी तेजी आई और सभी प्रकार का सामान जो कंट्रोल द्वारा मिलता था इस विभाग द्वारा वितरित होता था लेकिन वह समय अब समाप्त हुआ अब मैं देखता हूं कि जो छोटे कर्मचारी जैसे सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स हैं उनका एक ही काम रह गया है कि वे किसी तरह से अपनी स्वार्थ पूर्ति करें और भ्रष्टाचार बढ़ावें। मैं यह चाहता हूं कि इस विभाग के जो भी आधिकारी और कर्मचारी हैं वे अपने प्रयासों द्वारा जनता में सहकारिता की भावना को बढ़ावें ताकि लोग सहकारिता के महत्व को समझें। लेकिन कंट्रोल के जमाने में इस विभाग ने जितना ही अधिक विस्तार किया था इधर मैं देखता हूं कि उतनी ही कमी होती जा रही है। काम ठप्प होता जा रहा है और बहुत जगह उस विभाग का काम खत्म हो गया है। इस विभाग के कर्मचारियों को देहातों में सहकारिता का विस्तार करना चाहिये वे यह देखें कि कितनी सोसाइटियां सफलतापूर्वक देहातों में काम कर रही हैं। बगैर इसके काम नहीं चल सकता। आगे चल कर जितनी सोसाइटीज कायम होंगी गांवों में उतनी ही उन्नति होगी। अब पंचवर्षीय योजना को लीजिये उसके द्वारा गृह उद्योग, ग्राम उद्योग स्थापित किये जायेंगे। वे तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक गांव के लोगों में सहकारिता की भावना नहीं होगी और सहकारिता तब तक नहीं पनप सकती है और न उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो सकती है। जब तक इस विभाग के अधिकारी सतर्कता नहीं बर्तेंगे। हम चाहते हैं कि देहात की माली हालत सुधरे और गांव का स्तर ऊंचा हो। यह सबसे जरूरी काम है और इस विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस विभाग के जितने कर्मचारी हैं उनका एक मात्र काम यह होना चाहिये कि देहातों में जाकर वे देखें कि अमुक जिले में कितनी नयी सोसाइटीज स्थापित की गयीं। हर प्रकार की सोसाइटीज कायम हों, गन्ने की, बीजों की इत्यादि इत्यादि।

एक बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि बीज भंडारों से जो बीज बांटा जाता है उसमें २५ परसैंट का सूद रक्खा गया है। मेरे बचपन में भी सवाई सूद पर गल्ला बांटा जाता था। वह सामन्तशाही का युग था। परन्तु आज सोसाइटीज द्वारा जब जनता को अधिक लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है तब एक चौथाई सूद लेना मेरी समझ में नहीं आता। इससे जनता का बड़ा शोषण हो रहा है। जो सूद की दर रक्खी गयी है वह बहुत अधिक है। जबकि लक्ष्य यह है कि हमारे सारे प्रदेश के अन्दर सोसाइटियों का जाल बिछे और जनता को

[श्री शिवराम राय]

लाभ पहुंचे। दूसरी तरफ अभी प्रारंभिक अवस्था में इतना ज्यादा सूद लेना किसी तरह शोभा नहीं देता है। इसमें यह भावना नहीं टपकती कि लोगों का कल्याण होगा। कल्याण करने के लिये और लोगों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि सूद की दर कम रक्खी जाय। जो उपज का चौथाई सूद लिया जाता है वह कम कर दिया जाय ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले और लोग सोसाइटीज के महत्व को समझें और आकर इससे फायदा उठायें। जब तक यह नहीं होगा तब तक जनता इसकी अहमियत को नहीं समझेगी और आगे नहीं बढ़ेगी। यह बात बार-बार बजट सेशन में यहां कही गयी। कहा जाता है कि यह आंदोलन बड़े जोर से बढ़ रहा है। मैं तो नहीं देख रहा हूं कि बढ़ रहा है। आजमगढ़ जिले में २२ लाख की आबादी है। कंट्रोल के जमाने में सोसाइटीज कायम हुयीं। कुछ बीज गोदाम खुले लेकिन अब वे फिर अवनति की तरफ जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग में काम करने वाले सोते रहते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि कितना आंदोलन बढ़ा और कितनी सोसाइटीज कायम हुयीं। जो आडिट करने वाले हैं उनमें भी खुल्लमखुल्ला यह देखा जाता है कि जहां गबन हुये हैं और उन्होंने जाकर जांच की आडिट करने के बाद एकदम रिपोर्ट दे दी कि बिलकुल सही हिसाब है। मेरा दावा है कि आजमगढ़ में अगर सही तरह से इन्क्वायरी की जाय तो शायद ही कुछ सोसाइटियां ऐसी हों जहां कुछ न कुछ गड़बड़ी न हो। जबकि इस विभाग पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इस तरह से लोग सोते रहेंगे, ठीक देखभाल नहीं करेंगे तो बड़ी दयनीय दशा हो जायगी क्योंकि यही एक आधार है जिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको पूरा करने के लिये मैं चाहता हूं कि निरन्तर इस पर ध्यान दिया जाय क्योंकि जब तक ध्यान नहीं दिया जायगा काम नहीं चलेगा। बराबर देखरेख होनी चाहिये। यह कहा गया है कि इसमें और भी कर्मचारी रखे जायेंगे। इसीलिये रुपया रखा गया है ताकि बहुत ज्यादा काम बढ़ाया जाय। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जितना काम आपका है, उसमें आप इस तरह से सतर्कता बरतें कि उसी से आप बहुत ज्यादा काम बढ़ा सकें। बजाय इसके कि नये नये अधिकारी आप ला कर रख दें, इससे काम नहीं चलेगा। जो काम करने वाले आज हैं वही अपनी ड्यूटी ठीक तरह से अदा करते हैं या नहीं इसके लिये सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि पूरा सहकारी आंदोलन चलाया जाय। कर्मचारियों की योग्यता का मापदंड यह रक्खा जाय कि वे अपने प्रचार व प्रभाव द्वारा कितनी नयी सोसाइटियां स्थापित कर लेते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो काम चलने वाला नहीं है, यह बहुत आवश्यक है। आज के युग में जब हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो अपने मुल्क में सोसाइटियों के जरिये ही हम विकास कर सकते हैं। जब हम अपने भविष्य के लिये कार्यक्रम बनाते हैं तो देखना यह है कि जितने लोग इसमें लगाये गये हैं उनका काम क्या है? वह अपनी ड्यूटी अदा करते हैं या नहीं करते हैं। जब तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छी तरह से अपने कर्मचारियों को देखें कि वह कार्यरत हैं या अपने कार्यों में सुस्ती दिखाते हैं।

श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विश्रामराय के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही देवरिया जिले में जो कोआपरेटिव गोदामों में गड़बड़ियां हैं उनकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां कोआपरेटिव के दो बीज गोदाम हैं एक कसया में और एक जोकवा में। उस बीज गोदाम से जो बीज दिया गया उसकी वसूली ओला पड़ने के कारण मुल्तवी कर दी थी गयी थी और तावान जो पच्चास फीसदी या जो कुछ सन् १९५१ तक लगा था माफ कर दिया गया था। मैंने यहां असेम्बली में सवाल किया। मंत्री जी ने जवाब दिया कि वह तावान ओला पीड़ित क्षेत्र में माफ कर दिया गया है। फिर भी वह तावान स्थानीय अधिकारियों द्वारा वसूल हुआ। उस सवाल को मैं थोड़ा सा पढ़कर सुना देना चाहता हूं। चरणसिंह जी ने कहा कि १९५२ से पहले और १९५२ तक का जो बीज दिया गया है उसका तावान माफ कर दिया गया है। जो उन्होंने १९ अप्रैल, १९५४

को जवाब दिया, और जिसे मैंने डी० सी० ओ० देवरिया को दिखा दिया था। फिर भी उसके बाद ही सैकड़ों आदमियों से तावान वसूल किया गया कुड़की के जरिये और अब भी उन पर तावान लगाया गया है। इस पर जरा भी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह का हुकुम होता है और अधिकारी लोगों की तरफ से लापरवाही की जाती है। साथ ही मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां जो मैनेजर का चुनाव हुआ उसका नाम पारसनाथ मिश्र है। वह पहले बैंक का साधारण क्लर्क था उस समय उसने बब्बन लाल मुड़ेरा रतन पट्टी के खाते से कुछ रुपया निकाल लिया, और गलत कागज बना कर दे दिया। उसके ऊपर यह मामला कमेटी में पेश हुआ और उसको सजा भी मिली। ऐसे आदमी को, अच्छे-अच्छे उम्मीदवारों के होते हुये चुना गया। इस तरह से कैसे कसिया और देवरिया की कोआपरेटिव सोसाइटियों से लोगों का भला होगा। इस तरह की धांधली वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। मैं उस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस पर मैंने लिखा पढ़ी की मगर कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

इसके बाद गन्ने का बीज जो बांटा जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। गन्ने के सुधार के लिये जो बीज बांटने की व्यवस्था है वहां पर डेवलपमेंट की तरफ से कुछ दलाल लोग हैं जिनका बीज रिजर्व कर लिया जाता है और उनको जितना कि उनके पास बीज देने को नहीं रहता है उससे अधिक के लिये उन्हें फर्जी बांड दे दिया जाता है। और जिन लोगों को बीज मिलता है उनसे मिले बीज से ज्यादा का बांड भरा लिया जाता है और जो सब्सिडी मिलती है उसको अधिकारी और वे तथाकथित दलाल आदमी बांट लेते हैं। इसी तरह से कठकुइयां कमेटी के अन्दर काफी गड़बड़ियां हुयी थीं। इसके अलावा सुधार के लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी बैंक के तीन साल के बाद खड़े होने का अधिकार तीन साल तक लगातार न होना चाहिये जिससे दूसरे लोगों को मौका मिल सके। साथ ही चुनाव क्षेत्र बना दिया जाय और हर साइड के मेम्बर चुनाव में आयें और तभी उनकी दिलचस्पी होगी और कोआपरेटिव का काम ढंग से चलेगा। इन तमाम गड़बड़ियों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

इसके बाद गुड़ के बारे में मैं कहना चाहता हूं। गुड़ जिस वक्त बनता है तो उसका बाजार में भाव बहुत गिरा रहता है उस वक्त में गुड़ खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। बैंकों की तरफ से हर जगह गुड़ के लिये मंडी बना दी जायं जो गुड़ खरीद लें और जिस वक्त गुड़ मंहगा हो तो उस वक्त किसानों से कुछ सूद ले करके उनको गुड़ वापस कर दिया जाय, जिससे वह मंहगे दाम पर गुड़ बेच सकें। होता यह है कि जिस वक्त गुड़ बनता है तो सस्ता रहता है और पूंजीपति उसको उसी वक्त खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद मंहगे समय पर बेचते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। गुड़ हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा बिजनेस है और इस तरह की लापरवाही से सब चौपट होता जा रहा है, जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बलवन्तसिंह (ज़िला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष, कुछ विभाग ऐसे हैं कि जो अंग्रेजों के काल की देन हैं। ऐसा ही यह सहकारी विभाग भी। अंग्रेज जिस वक्त गये तो सहकारी विभाग हमारे लिये छोड़ गये। किन्तु आमतौर से हम इस बात पर विचार नहीं करते कि हमारे देश के अन्दर आज क्या दशा है और उस दशा के अनुसार अपने आपको हमें किस तरह ढालना है। जो ढांचा पहले का बना हुआ है उसी के अनुसार हम काम करने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हमको टक्करें लगती हैं और फिर हम सुधरने की कोशिश करते हैं। मैं यह समझता हूं कि हमारा यह सहकारी विभाग बहुत पुराने जमाने का बना है और इसका कानून इतना पुराना और ऐसा बिहंगम है कि उस कानून के आधार पर जो काम इस जमाने में किया जाय वह कहां तक ठीक होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह देखता हूं कि एक-एक आदमी एक-एक जिले में सारी कोआपरेटिव का मालिक हुआ बैठा रहता है और मंत्री जी, उपमंत्री जी जानते हैं और सारे डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं और नतीजा यह होता है कि काम कुछ चलता नहीं। अब इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि कानून में तब्दीली लायी जाय और

[श्री बलवन्तसिंह]

आजकल के जमाने के अनुसार हमको अपने कानून को बदलना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि कोआपरेशन कोई डिपार्टमेंट नहीं बल्कि यह तो जीवन का एक तरीका है। सहकारिता से हम जीवन के हर पहलू में काम ले सकते हैं और यही कारण है कि जिस समय हमने अपने राज्य का नाम रखा वह कोआपरेटिव कामनवेल्थ रक्खा क्योंकि हम समझते हैं कि कोआपरेटिव के जरिये से ही हमारा पिछड़ा हुआ देश अपने आपको उन्नत कर सकता है। हम यह जानते हैं कि हमारे पास धन की कमी है मगर हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पास व्यक्तिगत रूप से धन है। अगर हम उस धनको इकट्ठा करें, थोड़ा-थोड़ा सब लोग दें, तो वही धन हमारे पास अधिक मात्रा में हो जाता है। यही तो कोआपरेटिव है अथवा सहकारिता है। मगर हम यह देखते हैं कि कुछ ऐसे ढंग से काम चलता है कि जिससे गांव के लोगों को भी या दूसरे लोगों को भी एक चीज का बिलकुल ज्ञान नहीं होता। कोआपरेटिव सोसाइटियां बनती हैं और चीजें बनती हैं मगर सही-सही माने में लोगों के अन्दर जो भावनायें आनी चाहियें वह भावनायें नहीं आतीं। हमने कई मर्तबे देखा कि कोआपरेटिव की दूकानें हमने बनायीं मगर चूंकि वह कोआपरेटिव की भावनायें लोगों के अन्दर नहीं थीं इस वजह से वह काम फेल हुये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के सामने सबसे पहली चीज यह रखूंगा कि कोआपरेटिव के सम्बन्ध में सबसे पहली जरूरत प्रोपेगेंडा की है। प्रोपेगेंडा ठीक तरह से होता है तो हमारा कोआपरेटिव कामयाब होगा। दूसरी चीज यह है कि हमको यह नहीं चाहिये कि दूसरे देशों में क्या-क्या चीजें चल रही हैं उनकी नकल करें। मैं समझता हूं कि उससे हम बाज दफा बहुत ही गलती कर जाते हैं। मैं इस चीज को जानता हूं और सबके सामने बतलाना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत लोगों ने करके देखी मगर उसमें नाकामयाबी हुयी। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने स्वतः ही सहकारी फार्म बनायी और आखिर में आकर ट्रैक्टर अलग किये, बैल अलग किये, किसी ने कोई पुर्जा लिया, किसी ने कोई पुर्जा लिया और इस तरह से वह चीज खत्म हो गयी। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि चूंकि दूसरे देशों में कोआपरेटिव फार्मिंग है इस कारण से हमको इधर नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे यहां कोआपरेटिव का बहुत बड़ा स्थान है और वह स्थान कोआपरेटव मार्केटिंग में है। अगर हम सामान की बिक्री का तरीका कोआपरेटिव ढंग से करें तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में और अपने प्रान्त में इसमें काफी कामयाबी मिल सकती है। कोआपरेटिव प्रोडक्शन का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसकी गुंजाइश अभी हमारे पास बहुत कम है। यह हो सकता है कि एक समय के बाद हम उसमें भी कामयाब हो जायं मगर अभी वह स्थिति नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे यहां गन्ने का विभाग है। गन्ने के विभाग में हमारी बिक्री का काम बहुत बेहतर चल रहा है और हमारे पास बहुत कुछ रुपया पैसा भी है और बड़ा अच्छा काम चल रहा है, चाहे आप उसको एक डिपार्टमेंट में रखें चाहे दो डिपार्टमेंट में रखें, मैं इसके बारे में नहीं कहता मगर मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव के तरीके से जो गन्ने की बिक्री का काम चल रहा है वह बड़ा अच्छा चल रहा है और उसके अन्दर कम दिक्कतें होती हैं। दो तीन बातें मैं इस सम्बन्ध में और बतलाना चाहता हूं जिनको हमें सोच लेना चाहिये। हमारे यहां आमतौर से कोआपरेटिव में बहुत गबन होते हैं उसका एक मुख्य कारण मैं यह समझता हूं कि हमारे यहां के लोगों में हिसाब रखने का ज्ञान बहुत थोड़ा है। उसका ज्ञान न होने के कारण अक्सर उसमें गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात मैं समझता हूं कि आडिट की भी कमी है। डिपार्टमेंटल आडिट कभी नहीं होना चाहिये क्योंकि आमतौर से कोशिश यह की जाती है कि उसी डिपार्टमेंट के लोग काम करने वाले होते हैं और उसी डिपार्टमेंट के लोग आडिट करने वाले भी होते हैं तो कोशिश यह की जाती है कि मामले जाहिर न किये जायें, क्योंकि उनसे मुहकमों की बदनामी आयेगी। इसलिये इस मुहकमें में हिसाब जांच की व्यवस्था ठीक नहीं होती। और यह भी है कि उसी स्तर के लोग वहां क्लर्क होते हैं और उसी स्तर के लोग आडिट करने वाले भी होते हैं इससे भी बड़ी गड़बड़ हो जाती जाती है। इसलिये आडिट हमेशा गवर्नमेंटल एजेंसी से होना चाहिये तभी जाकर ये गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल मामले ठीक हो सकते हैं।

इसलिये मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंटल एजेंसी के जरिये से ही हिसाब का आडिट कराना चाहिये। तीसरी बात यह है कि बहुत सी चीजें जिनके अन्तर्गत कोआपरेटिव की बहुत गुंजाइश है, जैसे घी का बिजनेस है। दूध का काम तो बहुत बड़े-बड़े शहरों में ही हो सकता है। वह जहां भी हो सकता है ठीक है लेकिन बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां छोटे-छोटे शहरों में, गांवों में घी का व्यापार हो सकता है। उसके लिये हमारे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को पूरा प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि गरीब आदमी जो लैन्डलेस हैं उनको और जरिये से पैसा नहीं मिलता है, तो उन लोगों को इस बात से पैसा मिल सकता है और मैं समझता हूं कि जो हम लोगों के तकावी के नियम हैं उनके जरिये से हम उन लैन्डलेस को रुपया नहीं दिलवा सकते तो कोआपरेटिव के जरिये से जो हट्टे कट्टे आदमी हैं और जिनमें अच्छी कार्य करने की शक्ति है उनको कोआपरेटिव से सूद पर रुपया मिलना चाहिये जिससे वे कारोबार कर सकें। उनका जो माल हो वह कोआपरेटिव के जरिये से बिकवा सकें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का निर्माण और देश के लोगों की उन्नति हो सकेगी।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सहकारिता का विवाद आज भवन में जारी है। मैं ज्यादा न कहकर दो चार बातों को ही जो मेरे अनुभव में हैं कह देना मुनासिब समझती हूं। सहकारिता या बहुत दिशाओं में उन्नति के साधन हैं लेकिन यह सहकारिता के भावों से किया जावे तब, अगर बिजनेस के भाव से किया जाता है तो मैं समझती हूं कि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं, गन्ने की भी हैं और दूसरे-दूसरे कामों की बनी हैं, बीज गोदाम बनाये गये हैं लेकिन मैं आपसे दो एक बातें बताना चाहती हूं। बीज गोदाम में मैं खुद गयी और मैंने देखा कि जैसा बीज किसानों से वसूल किया जाता है वैसा फिर उनको वापस नहीं किया जाता। यह बहुत दुखद घटना प्रतीत होती है। उसके अन्दर मिट्टी मिली होती है और उसके अन्दर और अनाज मिला देते हैं। यदि कोआपरेटिव ढंग से यह होता है तो यह कोआपरेटिव ढंग नहीं हुआ यह खुलेआम चोरी हुयी। इसी तरह की और भी बातें देखती हूं। हिसाब किताब भी नहीं है। मैंने गांवों में गांव वालों से कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटी बनाओ, शेयर इकट्ठे कराओ इससे तुम्हें उन्नति प्राप्त होगी और इससे तुम कंट्रोल के जमाने में नमक की व्यवस्था कर सकते हो और बहुत सी चीजें कर सकते हो, लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि एक भी शेयर रजिस्टर्ड नहीं है पता नहीं रुपया कहां गया? हरचन्द कोशिश करने पर भी पता नहीं चला कि रुपया कहां गया और आज भी पता नहीं है। इसी तरह से किसानों का रुपया जो सोसाइटी में जमा होता है, गन्ने की सोसाइटियों में जमा होता है और दूसरी सोसाइटियों में जमा होता है, लेकिन किसी किसान को पता नहीं है कि उसका कितना शेयर उसमें जमा हुआ कोई हिसाब-किताब का आज तक पता नहीं है, इसका मैं क्या नाम लूं। हमारे माननीय मंत्री जी को चाहिये कि इसकी जांच करें और यह देखें कि किसानों का रुपया कहां जाता है? सूद में मिलने का यही अर्थ है कि सूद जितना सरकार लेती है उतना ही लेना चाहिये यह नहीं कि सूद इतना हो जाय कि वह मूल से ज्यादा हो जाय तो यह चीज सहकारिता के लिये अशोभनीय है। सहकारिता का अर्थ है कि उसमें लोगों की उन्नति हो, आपस में आपसदारी बढ़े, लोगों में सहयोग बढ़े, लेकिन इस तरह की चीजों के होने से परेशानी होती है। हजारों आदमी कहते हैं कि गन्ने की सोसाइटियां हैं। गन्ने को लेकर लोग मिल के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको बजाय राहत मिलने के उसको परेशानी होती है। अभी मैं हरदोई से लौटकर आयी हूं। कितने किसान पूछते हैं कि हमें पुरजी नहीं मिली है कहां से मिलेगी? सहकारिता क्या हो गयी मुसीबत हो गयी। मैं खुद दौड़ती हूं और कहती फिरती हूं कि पुरजी तो दे दो, लगान तो दे दें, वरना कुर्की हो जायेगी। किसान के पास खेती होती है अगर उसको उससे सहकारिता से मदद न मिले तो उससे लाभ क्या? सहकारिता के माने हैं किसान को सुविधा मिले, मेल हो, उन्नति हो, लेकिन सहकारिता जिसमें पूरी-पूरी मदद उनको न मिले तो उससे तो परेशानी होती है। मैं सिर्फ यह बात आपके द्वारा बताना चाहती हूं कि सहकारिता में किसान को सुविधा मिलनी चाहिये, गांव की उन्नति होनी

[श्रीमती लक्ष्मीदेवी]

चाहिये ऐसे तरीके और साधन इस्तेमाल करने चाहिये। यह नहीं कि बंधन डाल दिया जाय, वे अपने अनाज को न बेच सकें। अगर सहकारिता के तरीके से गल्ला गांव में जमा होता है तो उसको जरूरत पर रुपया भी मिलना चाहिये। अगर सहकारिता के तरीके से घी गांव में जमा होता है तो समय पर उसको रुपया भी मिलना चाहिये। इसी तरीके से जो कमोडिटीज हैं उनकी सहकारिता बड़ी सुन्दर है, लेकिन इसके साथ-साथ उनको समय पर रुपया भी मिलना चाहिये। इसलिये मैं पुनः यह चेतावनी देना चाहती हूं कि उनके जो कर्मचारी हैं वे जरा सुविधा से काम लें और यह जो सहकारिता का सिस्टम अलग-अलग है वह न होकर एक में मिल कर चलना चाहिये ताकि एक आदमी के पास पहुंचने से सब मालूम हो जाय नहीं तो इस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, पता ही नहीं चलता कि कहां जायं, उससे बड़ी मुश्किल हो जाती है। इतना ही कह कर मैं समाप्त करती हूं।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय यह अनुदान जिस पर बहस हो रही है बड़े महत्व का है। वैसे इस अनुदान पर आम तौर से १० या १५ मिनट इस आदरणीय भवन में लिये जाते थे पर इस साल विरोधी दल की तरफ़ से भी काफ़ी समय लिया गया इससे भी साबित होता है कि अब माननीय सदस्यों का और सरकार का इस तरफ़ काफ़ी ध्यान गया है। जहां तक अब तक की सहकारिता का सम्बन्ध है वह एक बहुत पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में एक कानून बना सन् १९०४ में, फिर उसकी तब्दीली हुई १९१२ में। उसका एक ही मतलब था कि कुछ किसानों को थोड़े ऋण की सुविधा के लिये दे दिया जाय। यह कहा जाता है, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने अनुदान को पेश करते हुये कहा भी कि अब तक हमारी सहकारिता नाकामयाब रही। ऐसी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। मैं समझता हूं इसका सब से बड़ा कारण एक ही था और वह यह कि हमने केवल कर्ज़े की तरफ़ ध्यान दिया और मर्ज पैदा न हो, उसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया। जैसे हम शफाखाना खोल कर वहां दवा देने का प्रबन्ध करें, लेकिन स्वास्थ्य के लिये कोई साधन न जुटायें। वही हाल हमने किया कि केवल कर्जा देने की तरफ़ हमने ध्यान दिया और जिससे अच्छे नतायज निकल सकते थे वह हमने नहीं सोचा। जैसे पैदावार किस ढंग से अच्छी की जा सकती है और उस पैदावार का उचित दाम बाजार में पैदा करने वाले को किस ढंग से मिल सकता है। इस तरफ सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया। यही वजह थी कि अधिकांश हमें अपनी सहकारिता में कामयाबी नहीं हुई। अब केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ गया है और हमारे प्रदेश की सरकार भी, जैसा कि वित्त मंत्री जी के बजट भाषण से साफ है और उन्होंने ठीक ही कहा है कि सहकारिता सोशलिस्ट समाज का एक रहबर है और साथी है। मैं तो इससे आगे कहता हूं। अगर कोई बुनियाद हो सकती है कि किसी सोसाइटी की जो सोशलिस्ट पेटर्न को ले कर चलना चाहती है तो वह सहकारिता ही है। अगर किसी सोसाइटी का केन्द्रीयकरण करना है तो कम्युनिज्म आ सकता है, लेकिन जहां विकेन्द्रीयकरण करना हो और सच्ची डेमोक्रेसी लाना है तो उसके लिये सब से अच्छा तरीका अगर कोई आज दुनिया में हो सकता है तो वह सहकारिता है। इसलिये हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार ने इस तरफ अब ध्यान दिया है। मुझे आशा है कि आगे चल कर सहकारिता बहुत अच्छे ढंग से कामयाब होगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो बुनियादी हैं और उसमें अगर हम आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तो यह जरूरी होता है कि उसमें सरकार को अपना हाथ और ज्यादा बढ़ाना चाहिये। यह पहले जमाने की बात है कि जहां राजा होते थे उनका काम केवल जनता में एक कानूनी पद्धति को कायम रखना था। अब वह नहीं है। अब तो प्रजातंत्र है और सरकार सारे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की जिम्मेदार है। इसलिये यह कह देना कि जनता की तरफ़ से ही सहकारिता का आन्दोलन शुरू हो, मैं समझता हूं अब वह जमाना नहीं है। अब तो यह है कि चूंकि सरकार देश की आर्थिक दशा को सुधारने की जिम्मेदार है, इसलिये यह उसका फर्ज है कि वह इस किस्म की नीति बनाये कि जिससे

सहकारिता को आगे बढ़ाया जाय। इसके लिये बहुत सी बातें माननीय मंत्री जी ने अपना अनुदान पेश करते हुये रखीं। वह ऐसी योजना है जिससे बहुत कुछ उन्नति हो सकती है लेकिन उसमें कुछ बातें बुनियादी हैं, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने यहां फरमाया कि एक तो हमारे इस प्रदेश का कोई कोआपरेटिव कानून ही नहीं है। मार्केटिंग कानून जो होता है उसके अन्तर्गत कुछ रूल्स होते हैं, उनके मातहत हम काम करते हैं। तो सब से जरूरी है कि हम अपना एक कानून बनायें और उस कानून का काफ़ी विस्तार करें और उसमें अच्छी-अच्छी बातें रखें। दूसरी बात यह है कि जहां तक मार्केटिंग को हम ऋण के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वहां यह जरूरी हो जाता है कि मंडियों को हम एक अनुशासित ढंग से रखें, उसके लिये कानून हो ताकि उनकी प्रथा को ठीक रखा जाय। उसका कानून एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग हो, यह कई प्रदेशों में बन चुका है और उसके बारे में हमारे रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सन् १९४९ में एक बिल भी सर्कुलेट किया था सारे प्रदेशों को कि इसके आधार पर कानून बनाये जायं। हमारी प्रादेशिक सरकार के पास भी वह आया लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक उस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिये जरूरी है कि चूंकि कोआपरेटिव से हम सहकारिता के द्वारा बाजारों में व्यापार करने आना चाहते हैं इसलिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारा मार्केटिंग का ऐक्ट है वह जल्दी से जल्दी तैयार हो जाय। और उसमें भी यह नहीं कि जैसे पहले जमाने में दूसरे प्रदेशों के कानून बने उस आधार पर ही एक कानून बना दिया जाय बल्कि चूंकि प्रादेशिक सरकार की और केन्द्रीय सरकार की यह घोषणा है कि हमारा सारा काम और खास कर मार्केटिंग, ट्रेड और कामर्स और जो उद्योग धंधे हैं इन सब का काम सहकारिता के द्वारा होगा तो इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि उस मार्केटिंग ऐक्ट में यह प्राविजन लाजिमी होना चाहिये कि जहां हमारी सोसाइटियां अच्छे ढंग से संगठित हो जायं वहां केवल कोआपरेटिव सोसाइटी ही उस मंडी में व्यापार करे। ऐसे आमतौर से दो, एक प्रदेशों में कानून बने भी हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है सन् १९४९ में मध्यप्रदेश में इसी आशय का एक कानून बना था और सन् १९५४ में उसका संशोधन उन्होंने किया है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और जहां तक सरकार की नीति जो अभी तक उपेक्षा की रही और जो ध्यान सहकारिता की तरफ उसको देना था वह नहीं दिया गया, वह दिया जायगा, जैसा कि मैंने अर्ज किया और माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में कहा कि अब सरकार की नीति यह होगी कि सारे मुकदमों के जितने अधिकारी हैं वह सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जैसे पी० डब्ल्यू० डी० का है, वहां भी हमारी सहकारिता समितियां बनें और जिस तरह से ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण होता है वह बन्द कर दिया जाय। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक हमारी प्रादेशिक सरकार की नीति का संबंध है, उस पर सरकार को बहुत साफ ढंग से अमल करना चाहिये।

मैं कंट्रोल की चीजों के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि उनके सम्बन्ध में भी सरकार सहकारिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, जैसे हमारी चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी सीमेंट व्यक्तिगत लोगों को दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि ऐसी चीजें जो सरकार के कंट्रोल में हैं, जैसे कोयला या सीमेंट और खास कर चुर्क की सीमेंट, वह सब सरकार को सहकारी समितियों को ही देनी चाहिये और व्यक्तिगत लोगों को न देनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के भाषण से और सन् १९५५ की रिपोर्ट जो सदन की मेज पर रखी गयी है, उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में सोसाइटियों और उसके सदस्यों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि सहकारी समितियां बढ़ी हैं

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

लेकिन उसके साथ ही साथ जो कर्जा आदि दिया जाता है उसमें घटाव हुआ है, उत्पादन में भी घाटा हुआ है। इससे मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज का काम बढ़ा है। श्रीमान् जी, आप देखेंगे कि वस्तुओं के बेचने से ५२-५३ में १३ लाख रु० आये हैं, १९५३-५४ में १२ लाख लेकिन १९५४-५५ में वह और घट कर केवल ११ लाख ही रह गये। इसके बाद अगर हम क्षेत्रीय विकास तथा क्रय-विक्रय संघों की प्रगति के बारे में देखें तो हमें मालूम होगा कि ऋण जो दिया है वह ५१-५२ में ९९ लाख रुपया, ५२-५३ में ६० लाख, ५३-५४ में ५७ लाख और ५४-५५ में ५२ लाख रह गया है। बेची गयी वस्तुओं का मूल्य हम देखें तो ५१-५२ में ४५९ लाख आता है और ५४-५५ में वह घट कर २३७ लाख ही रह गया है। अब अगर हम प्रादेशिक सहकारी संघ की प्रगति को देखें तो मालूम होगा कि सन् १९५३ में उसके कारोबार की पूंजी ४७४ लाख रुपया थी जब कि ५४-५५ में वह घट कर सिर्फ ३६५ लाख रुपया ही रह गयी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर तरफ घटती ही होती जा रही है। जब इस तरह से सब जगह पैसा घटता ही जा रहा है तो मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद की भावना खत्म होती जा रही है और सहकारिता की भावना लोगों में बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि सरकार इस मूवमेंट को भले प्रकार से बढ़ावा देना नहीं चाहती है। अगर देना चाहती तो जैसा कि अभी राणा साहब ने कहा कि वह चुर्क फैक्टरी के लाइसेंस व्यक्तिगत लोगों को न देकर कोआपरेटिव सोसाइटीज को देती। सीमेंट का इस प्रकार से बेचना सब से बड़ा प्रमाण है कि सरकार सहकारिता को बढ़ावा देना नहीं चाहती।

इसके अतिरिक्त मन्त्री महोदय ने कहा कि ईंटों के भट्ठों से सहकारिता के आधार पर आवश्यकता को हल किया गया है। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में ईंटों के भट्ठे सहकारिता के आधार पर बहुत बड़ी तादाद में लगे हैं। हमारे जिले आजमगढ़ में भी इस प्रकार के ७० भट्ठे हैं। लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि शायद ही कोई ऐसा भट्ठा होगा जो ईंट बनाने में जो पैसा लगाता है, उसी अनुपात से जनता को देता भी हो। श्रीमन्, १८ रुपया हजार भट्ठों पर ईंट की लागत होती है लेकिन २३ से २५ रुपया हजार तक उन सहकारी भट्ठों पर ईंट बेची जाती है। अगर यह माना जाय कि सहकारिता के आधार पर जो सामान तैयार किया जाता है उसकी क़ीमत व्यक्तिगत पैदा करने वाले से बढ़ कर होनी चाहिये तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि वह सच्ची सहकारिता नहीं है। सहकारिता में तो जनता को लाभ होना चाहिये। श्रीमन्, बहुत से ऐसे भी स्थान हैं जहां पर सोसाइटीज नहीं हैं। अब कोयला जो दिया जाता है वह कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही दिया जाता है। हमारे यहां आजमगढ़ में दो तहसीलों के भागों में कोआपरेटिव सोसाइटीज नहीं हैं। वहां लोगों को व्यक्तिगतरूप से कोयला नहीं दिया जाता है क्योंकि सरकार के यह आदेश हैं कि सहकारी भट्ठों को ही प्रोत्साहन दिया जाय। ऐसी हालत में लोग अपने घर और कुंवे आदि बनाने के लिये भी भट्ठा नहीं लगा पाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों पर जहां अभी तक कोआपरेटिव भट्ठे नहीं चल पाये हैं लोगों तक व्यक्तिगत रूप से भट्ठों के लिये कोयला देने की व्यवस्था करें।

हमारे प्रदेश में सोसाइटीज गन्ना बेचने का भी काम करती हैं। इस काम में उनको बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर तो रुपया देने में बड़ी कठिनाई होती है। उनके जो गन्ने के दाम हैं वह बहुत कठिनाई से उनको मिलते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां पर गन्ने की कोआपरेटिव यूनियन हैं उनको मिलमालिक और सरकार का सहयोग नहीं मिलता है। अगर एक दो उदाहरण माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। जहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी गन्ने का कारोबार करती हैं उनकी बड़ी बुरी हालत है। यह कोआपरेटिव सोसाइटी पिछले दिनों

गल्ले का काम भी गल्ले के अभावग्रस्त जिलों में करती रही हैं। वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी को गल्ले के वितरण करने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी है और सरकार के सप्लाई विभाग ने उनके साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया है। पिछले दिनों गल्ले के खरीदने का जो काम अपने प्रदेश में हुआ है उसको शिकायत के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो गुड़ और गल्ले खरीदने का काम सरकार की तरफ से किया गया वह ऐसा नहीं रहा, जिससे सरकार को उसके लिये बधाई दी जा सके। श्रीमन्, बहुत कम तादाद में गुड़ अपने प्रदेश में खरीदा गया था। इस प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर गन्ना मिलों को दिया जाता है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर चीनी मिलें नहीं हैं। जहां के गन्ने का गुड़ बनाया जाता है और गुड़ की व्यवस्था ठीक न होने के कारण सस्ता बेच देते हैं। इसके लिये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये। आप कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से उसके खरीदने एवं बेचने का प्रबन्ध करें। इसी प्रकार से गल्ले के भाव के सम्बन्ध में सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये।

बैंकों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकार को यह दो तरफा पालिसी नहीं अख्तयार करनी चाहिये। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये कि रिजर्व बैंक तो सूद २।। रुपये सैकड़ा के हिसाब से दे और कोआपरेटिव सोसाइटी से लेने वाले लोगों से जो गरीब लोग हैं उनसे ८ रुपया ९ रुपया, और ७ रुपया सूद लें। जितना सूद ऊपर के बैंक को दिया जाता है उतना ही सूद कोआपरेटिव सोसाइटी से लेने की कोशिश करनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरटिव सोसाइटी का हिसाब किताब बहुत खराब है। जब तक कोआपरेटिव सोसाइटी से यह गड़बड़ी खत्म नहीं की जाती तब तक वह सफल नहीं हो सकती है। मैं इसके लिये १, २ उदाहरण नहीं बल्कि हजारों उदाहरण दे सकता हूं। सरकार के हाकिम लोग और सरकारी कर्मचारी इस तरह का काम करते हैं कि जिससे सरकार और जनता में अन्तर पड़ जाता है। जैसा कि अभी मैथाणी जी ने बतलाया कि गढ़वाल में जो कोआपरेटिव फेडरेशन हैं अगर उसके हिसाब किताब की जाँच की जाय तो पता चलेगा कि किस प्रकार उसके हिसाब किताब में गड़बड़ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सरकार सही अर्थ में कोआपरेटिव को और सहकारिता के अधार पर चलाना चाहती है तो सरकार को उस पर अमल करना चाहिये और केन्द्रीयकरण करने की नीति को खत्म करना चाहिये। सहकारिता के आधार पर उद्योगों को खोलना चाहिये और मिल भी सहकारिता के आधार पर चलने चाहिये। प्रदेश के अन्दर जितने भी उद्योग खुलने वाले हैं उन सब का एक स्रोत होना चाहिये जो सहकारिता का हो। मैं समझता हूं अगर सरकार इस प्रकार से करेगी तो प्रदेश की जनता खुशहाल हो सकेगी।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह सहकारिता का विभाग उतना ही आवश्यक है जितना कि कृषि के लिये सिंचाई विभाग आवश्यक है, परन्तु इन दोनों विभागों के दो कानून इतने पुराने हैं कि ठीक तरीके से उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इस समय जो अनुदान है मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस ढंग से इस अनुदान के अन्दर बातें रखी गयी हैं यदि इसी प्रकार से शीघ्रता के साथ कार्य किया गया तो मुझे आशा है कि शीघ्र ही हमारे प्रदेश में उन्नति हो जायगी जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में यह विभाग एक ऐसा है कि जिसके कारण किसानों को और दस्तकारी करने वालों को राहत मिल सकती है सर्वप्रथम किसानों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो उपज किसानों की है उसका सदुपयोग तभी हो सकता है जब यह विभाग उनकी सहायता करे। कुल भारतवर्ष में १६० करोड़ मन गन्ना पैदा होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि समस्त भारत में जब कि ५० शुगर्स के कारखाने लगाये जाने वाले हैं

[श्री श्रीचन्द्र]

तो हमारे प्रदेश को कुल चार ही कारखाने मिलेंगे जबकि देश का आधा से अधिक गन्ना हमारे यहां पैदा होता है। ८६ करोड़ मन गन्ना हमारे प्रदेश में पैदा होता है और २५ करोड़ मन शुगर कारखानों से पेरा जाता है। शेष ६१ करोड़ मन में २१ करोड़ मन गन्ना ऐसा है जो शुगर फैक्टरियों में नहीं जा सकता है और विवश होकर उसे कोल्हू में पेर कर गुड़ बनाया जाता है। इसलिये ४० करोड़ मन गन्ना ऐसा बचा जहां कारखाने लग सकते हैं। लेकिन उसके लिये करीब ४० करोड़ रुपया ही चाहिये। ३ आने फी मन के हिसाब से सेस लिया जा रहा है और यह ४० करोड़ मन गन्ने पर साढ़े सात करोड़ रुपया हो जाता है जिसकी हमारी प्रदेशीय सरकार को प्रतिवर्ष हानि हो रही है। शकर पर ४ रुपये २ आने मन सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ड्यूटी है और ४० करोड़ मन गन्ने की चार करोड़ मन चीनी पर साढ़े सोलह करोड़ रुपया का नुकसान हमारी केन्द्रीय सरकार का हो रहा है। गुड़ बनाने में आधा रुपया तो किसानों को मिलता है। कोल्हू में ६१ करोड़ मन गन्ने पर २९ करोड़ रुपये की हानि हो रही है, जब कि यदि हम २९,१६ १/२ और ७ १/२ को जोड़ें तो कुल हानि ५७ करोड़ रुपये की हमारे प्रदेश को और केन्द्र को हो रही है इसे बचाने के लिये हमारी प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी करे और कहे कि हमारे प्रदेश का हिस्सा हमें मिलना चाहिये। एक शुगर फैक्ट्री लगाने में ८० लाख रुपये के करीब लगता है जबकि उसमें से हमारी प्रदेशीय सरकार को १/३ देना है और २/३ केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये इस प्रकार ३० प्रतिशत लाभ हमारी सरकार को होगा अर्थात जो रुपया हमारा लगेगा वह ३ साल में पूरा हो जायगा। यह मेरा निवेदन है गन्ने के बारे में।

दूसरी बात यह है कि हमारे देहात की मुख्य पैदावार चावल और गेहूं हैं। हम देखते हैं कि फसल के मौके पर गेहूं का भाव १० रुपये मन हो जाता है और फसल खत्म होने पर वही १६ रुपये मन हो जाता है। यह किसान की हानि होती है। इसलिये सहकारिता के आधार पर जैसा इस अनुदान में भी है गोदाम बनने से यह हानि बच जावेगी। फसल पर किसान का गेहूं रखवाकर उसे मामूली सूद पर रुपया दे दिया जाय और जब महंगा भाव हो जाय और वह कहे तब उसकी चीज बेच दी जाय। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक मंडी भी हर जिले में सहकारिता के आधार पर हो। इसी प्रकार दूसरी दस्तकारी की वस्तुयें हैं जो सेठ साहूकार कर्ज में ही ले लेते हैं। मेरे जिले का एक बड़ा उद्योग कम्बलों का कैराने में है। कम्बल बनाने वाले १ रुपये पर ४ आने तक ब्याज लाला लोगों को, बनियों को, मेरा मतलब किसी जाति पर आक्षेप का नहीं है। इतना अधिक ब्याज वे व्यापारियों को देते हैं। जब कम्बल तैयार हो जाते हैं तो वे लोग उनके सब कम्बल जमा करा लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां और भी उद्योग हैं। कान्दले में भी काफी दस्तकारी होती है और चमड़े का काम भी अच्छा होता है वहां भी व्यापारी लोग अपने कमरे दस्तकारों के सामान से भर लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका सर्वे कराया जाय और यदि किसानों को और दस्तकारों को सरकार रुपया देगी तो शीघ्र से शीघ्र उन्नति होगी और किसान, मजदूर और दस्तकार बच जायेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कठिनाई है कि केवल १० मिनट के समय में इतने बड़े विषय पर क्या-क्या कहा जाय? यह इतना बड़ा मसला है कि केवल यह सदन ही नहीं सरकार और उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्मचारी और जो बाहर कोआपरेटिव से सम्बन्ध रखते हैं यह महसूस करते हैं कि कोआपरेटिव को ठीक चलाने के लिये बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें सिद्धान्तों पर जाना होगा और देखना होगा कि कहां तक हम उन सिद्धांतों को मानकर चल रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसके लिये कांग्रेस पार्टी अपना ध्येय बना चुकी है। खासतौर से कि इस देश में कोआपरेटिव कामनवैल्थ की स्थापना हो। कोआपरेटिव मूवमेन्ट के बिना यह नहीं हो सकता है। यह इस विभाग के साथ ज्यादती है कि इतना थोड़ा सा समय इस विषय के लिये दिया जाय। अधिक अच्छा तो यह होता कि वोट आन एकाउन्ट होकर विवाद होता और सरकार भी उससे अधिक लाभ उठा सकती थी। बहरहाल देखना यह है कि यह विभाग जनता को कितना खींचता है और क्या यह मूवमेन्ट की शक्ल लेता है या केवल सरकारी विभाग बनकर ही रह जाता है। अभी तो यही कहना होगा कि यह जनता का मूवमेन्ट नहीं हो पाया है और सरकार का विभाग ही है। वह भी बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आप देखें कि हम बहुत ही पिछड़े हुये हैं। आपकी आज्ञा से मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। १ हजार की आबादी पर हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियों की सदस्यता केवल २३·८ है। वैस्ट बंगाल में ३९, मदरास में ६२·८ और बम्बई में ६५·५ है। १५ प्रदेश ऐसे हैं जहां हमसे सदस्यता अधिक है। तो हम १५ राज्यों से इस मामले में पिछड़े हुये हैं। जहां तक वर्किंग कैपीटल का प्रश्न है वह आनों में पर हेड, यू० पी० में ६६, मध्य प्रदेश में ७३·७, वैस्ट बंगाल में १०२·९, मदरास में २०७·५, और बम्बई में ४०४.४ आने है। १३ स्टेट्स ऐसी है कि वर्किंग कैपेसिटी पर हैड यू० पी० से ज्यादा है। इसमें जो उधार दिया जाता है वह यू० पी० में लोन पर हैड २२.८ है, वैस्ट बंगाल में ८४·० है, मध्य प्रदेश में ९६.७ है, मदरास में ५८.८ है, बम्बई में १६९.५ है और पैप्सू में ४८४.८ है। इस तरह से १७ स्टेट्स ऐसी हैं जो हमारे यहां से लोन में ज्यादा अच्छी हैं, तो इस प्रकार से १३,१५ और १७ किसी तरह से देखा जाय हम बहुत पिछडे हुये, हैं जहां तक सहकारिता का सवाल है। अब सवाल यह है कि हम क्यों पिछड़े हुये है? क्या हम तवज्जह देना चाहते हैं? क्या हम कुछ करना चाहते हैं, यह सवाल पैदा होता है। मेरा ख्याल यह है कि शायद हम अभी इस विचार तक नहीं पहुंच पाये हैं। हमने फैसला नहीं किया है कि हम कोआपरेटिव मूवमेन्ट को पूरी तेजी से चलायेगें।

उदाहरण के तौर पर प्रोडक्शन का मामला है। इसमें चार शुगर फैक्टरीज बनायेंगे। इसमें से २५ इन्वैस्ट करेंगे, जो चलायेंगे और काफी रुपया प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार लोन देगी। मेरा खयाल यह है कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट के पास करीब एक करोड़ रुपया है जो इन चारों फैक्टरीज को चलाने के लिये काफी है। फिर कोआपरेटिव ढंग से किसानों के पास से भी रुपया आ सकता है। फिर क्या जरूरत है कि दो कोआपरेटिव चलायें और दो प्राइवेट इंडिवीजुअल को दी जायंगी। इसलिये हम प्रोडक्शन में ढीले चलते हैं। थोड़ा सा हम कोआपरेटिव को देते हैं और थोड़ा सा प्राइवेट एंटरप्राइज को दे देते हैं। हम कहते हैं कि जब हम इसे खत्म नहीं कर पाते हैं तो समझ में नहीं आता कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट कैसे बनेगा, यह साफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक रोज हाउस में डिश्कसन हो जाय कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। और इतना प्राइवेट ऐंटरप्राइज को देना चाहते हैं और कितना सोशलिस्टिक पैटर्न के प्वाइंट आफ व्यू से आगे बढ़ना चाहते है।

डिस्ट्रिब्यूशन के लिहाज से भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। सीमेन्ट का जिक्र किया गया। यह कंट्रोल आर्टीकल है। सब सीमेन्ट कोआपरेटिव के मार्फत क्यों नहीं बेची जाती है? क्यों प्राइवेट लोगों को इसकी ऐजेन्सी दी जाती है? आज देखने

[श्री मोहनलाल गौतम]

की जरूरत है कि कितनी ऐजेन्सीज प्राइवेट लोगों को दी हैं और कितनी कोआपरेटिव्ज को दी है। अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई। क्या हम कोआपरेटिव मूवमेन्ट को बढ़ाना चाहते है या नहीं? मेरा खयाल है कि नहीं। जब किसान के घर में गेहूं आया हो सस्ता हो गया गवर्नमेंट ने कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश की और किसानों को ८/९रुपये मन गेहूं बेचना पड़ा। बाद में १६, १७ रुपये मन गेहूं बिका। इसमें फर्क यह है कि एक तरफ किसान को जमीन का लगान देना पड़ता है। जमीन तैयार करना है, आबपाशी देता है। बैल मर जाय उसका खर्चा करना है और साल भर तक खाना है, इन सबके लिये किसान को तो ८, ९ रुपये मन के हिसाब से मिलता है और बीच में लोगों को ८, ७ रुपये मन ज्यादा वैसे ही मिल गया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ढीला रहेगा तो कोआपरेटिव मूवमेन्ट कैसे आगे बढ़ सकेगा?

अंत में एक बात कह देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव में बहुत गबन हुआ है और मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट ढीली रही है। मैं चाहता हूं कि साफ बात हो जाय कि कहां-कहां गबन हुआ और गवर्नमेन्ट ने उसके संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की? मेरे पास ऐसी मिसालें हैं कि गवर्नमेन्ट ने गबन के बावजूद और कोर्ट से फैसला होने के बाद भी मुनासिब कार्यवाही नहीं की कि रुपया वसूल हो जाय, इस तरह की चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को सख्ती करनी चाहिये। यह चीजें गबन अगर इसी तरह से होंगे तो यह विभाग नहीं चलेगा और न कोआपरेटिव मूवमेन्ट आगे बढ़ सकता है। लोग इस को ढिलाई से समझते हैं तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जितनी सख्ती करना चाहिए थी वह की है? मेरे नजदीक वह नहीं की जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए थी वह नहीं बरती गई। इसलिये गवर्नमेन्ट का ध्यान जहां-जहां गबन हो वहां जाना चाहिए जो कोई भी बेईमानी करे पब्लिक मनी का दुरुपयोग करे चाहे वह बड़े से बड़े आदमी का भाई दोस्त ही क्यों न हो या वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो उस गबन के लिये उस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिये और कोई रियायत न की जाय। मैं इस वक्त तो नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे मालूम है अगर मौका हुआ तो मैं फिर कभी इसी सदन के सामने बता भी दूंगा इस वक्त मैं इसलिये इनकार करता हूं कि इस वक्त बताने से वह चीज अधूरी रह जायगी लेकिन आखिर में इस वक्त मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि वह जो कोई भी हों चाहे जिस के भाई भतीजे ही वह क्यों न हों उन के खिलाफ सख्ती से सरकार को कदम उठाना चाहिए।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव मूवमेन्ट और कोआपरेटिव बजट पर इस समय सदन में विचार हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण आइटम है हमारे सभी कामों के लिये जो हम अपने सूबे में करने जारहे हैं। हम ने एलान किया है कि हम इस देश के समाज को सोशलिस्टिक ढंग पर बनाना चाहते हैं। अगर हमारा यह एलान सही है और हम ईमानदारी से अपने देश को समाजवादी उसूलों पर ढालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें काफी आगे अभी इस रास्ते पर बढ़ना है। अपने देश को समाजवादी ढांचे में ढालने के लिये हमारे देश के पास जो साधन हैं वह कोआपरेटिव सोसाइटीज का ही है और इसीलिये हमें इस काम के लिये कोआपरेटिव विभाग की ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिये। अब तक हमारे यहां इस विभाग की खास अहमियत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं थी और वह इसलिए नहीं थी कि अंग्रेजों ने इस को इस उद्देश्य से नही बनाया था कि उन्हे यहां कोई समाजवादी ढांचा बनाना था । उन्होंने इस दृष्टिकोण से यह विभाग उस समय नहीं बनाया था लेकिन चूंकि संसार में कोआपरेटिव मूवमेन्ट का प्रचार हो गया था इसलिये अंग्रेजों ने भी उसको इस देश में रायज किया और उन के जमाने में वह उसी तरह से चलता रहा लेकिन अब जब से हम ने तय किया है कि हम अपने समाज को सोशलिस्टिक पैटर्न पर ढालना चाहते हैं तो हमें इस कोआपरेटिव मूवमेन्ट की तरफ खास तवज्जह करना होगी । अब तक दूसरे दोस्तों ने कहा कि इस विभाग का काम केवल कर्जा देना हीं नहीं है, मैं तो यह कहूंगा कि अगर वह प्रीलिमिनरी स्टेज उनका न होता तो यह कोआपरेटिव सोसाइटीज ही न बनतीं और हम आज इस हालत में उनकी तरक्की क्या देख सकते थे ? अब हमने यह तय कर लिया है कि हम हर गांव में कोआपरेटिव सोसाइटी जल्द से जल्द बनायेंगे और मुझे तो खुशी है कि कोआपरेटिव विभाग ने इस मामले में बिलकुल सुस्ती नहीं बरती है बल्कि बहुत तेजी से कदम उठाया है और उसने गांव - गांव में कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाना शुरू कर दिया है और वह इस मामले में कामयाब भी साबित हुआ है । जब वह पूरे तौर से बन जायगी तो हम उनसे विशेष काम लेंगें और वह काम भी हमें उन से बड़े पैमाने पर लेना है और वह ऐसा काम लेना है कि जिसके जरिए से हमें अपने समाज को एक खास सिम्त में ले जाना है, इस खयाल से यह बड़े महत्व की चीज है । मुझे खुशी है कि हमारे सूबे में यह विभाग बहुत अच्छे हाथों में है और जो शिथिलता पिछले दिनों इस विभाग में आ गई थी वह अब नहीं रही है। अगर हम अपने पुराने तजुर्बे से कुछ लाभ उठावें तो ज्यादा अच्छा होगा । हमने जो अन्सारों की कमेटी थी, जिसके जिम्मे सूत के वितरण का धन्धा था उसे चला कर देखा तो हमें सेड एक्सपीरियंस हुआ । इस महकमे ने खूबी के साथ काम अन्जाम नहीं दिया और मेरा खयाल यह है कि उसका कारण चाहे कुछ रहा हो लेकिन अब आयन्दा इस किस्म की कोई गुंजायश नहीं रहनी चाहिये कि हमको यह कहने का मौका मिले कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में काम नहीं किया गया । अब इस बजट में जो रुपया हम मांग रहे हैं, उसमें नये-नये काम करने जा रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि किसान पैदा करता है और उद्योग धन्धे पनप रहे हैं। लेकिन इस बजट के पहले कभी किसी बजट में इस बात की कोशिश नहीं की गई थी कि जो पैदावार करने वाला है उसकी पैदावार कैसे सुरक्षित रक्खें, उद्योग धन्धों को कैसे बढ़ायें ? हमने इस बजट में इस बात को प्रधानता दी है और काफी रुपया रक्खा है और जो सामान तैयार होते रहे उसकी बिक्री के वास्ते बाजार तलाश करने के लिये और दूकान बनाने के लिये और उनकी मदद करने के लिये हमने एक नया कदम इस साल इस बजट में उठाया है और मैं समझता हूं कि यह सरकार इस बात के लिये धन्यवाद की पात्र है। जो काम आज तक नहीं होता रहा और जिसकी जरूरत महसूस की जाती थी वह काम इस बजट में शुरू कर दिया गया है और उसी के जरिये समाजवाद सोसाइटी का निर्माण इस सूबे में हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, दो तीन सुझाव मैं देना चाहता हूं । पहला यह कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट हमारा काम कर रहा है, उसमें इधर-उधर कई तरह से किसी न किसी डिपार्टमेन्ट के जरिये से सहकारिता का काम लिया जा रहा है। मेरा खयाल है कि यह भी वजह है जिससे इस विभाग का काम ठीक नहीं चल रहा है । गन्ने की सोसाइटीज हैं वे भी कोआपरेटिव ढंग की हैं लेकिन मुख्तलिफ आदमियों के हाथ में हैं । मेरे खयाल में केन डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट जो है इसको बन्द करके इसे कोआपरेटिव के मातहत कर देना चाहिये तो गन्ने के मामले में जितनी परेशानियां होती हैं वे एक खास किस्म के इन्तजाम के मातहत आकर खत्म हो जायंगी और इस तरह से काफी फायदा हम उनको पहुंचा सकेंगे।

[श्री खूबसिंह]

जहां तक सूद का सम्बन्ध है इसके सुताल्लिक एक सुझाव देना चाहता हूं। वह यह कि जो बीज हम देते हैं वह २५ फीसदी सूद पर देते हैं। मेरा खयाल है कि हमने काफी काम आगे बढ़ा दिया है और हमें जरूरत इस बात की नहीं है कि थोड़े से काम में ज्यादा प्राफिट कमायें। काम बढ़ गया है इसलिये थोड़े से ही प्राफिट से काम चल सकता है। २५ फीसदी का ब्याज जो बीज पर लगता है वह बहुत ज्यादा है और वह सवा ६ फीसदी से ज्यादा न होना चाहिये इससे जितना फायदा लोगों को पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच रहा है।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की प्रगति अपने प्रान्त में अच्छी है। परन्तु जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं और जो बजट सम्बन्धी साहित्य हमें मिला है उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी प्रगति बहुत न्यूनतम प्रगति है। जब इस पर विचार किया जाय कि यह प्रगति क्यों नहीं है तो दो कारणों पर मैं पहुंचता हूं। एक तो यह कि जो कर्मचारी जिलों में काम करते हैं वे ईमानदारी से काम नहीं करते और यही कारण है कि आये दिन हमें अखबारों में यह पढ़ने को मिलता है कि बहुत से गबन हो रहे हैं। श्रीमन, मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी की सेवा में सबसे पहले अर्पित करना चाहता हूं कि यह सही है कि मंत्री महोदय का ध्यान गबन की तरफ गया और इसीलिये आडिटरों की नियुक्ति जिला बेसिस पर वे करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा कदम है लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि ये आडिटर जो माननीय मंत्री जी नियुक्त करने जा रहे हैं वे कोआपरेटिव विभाग के मातहत न हों, जो जिलाधिकारी हैं उनके मातहत हों। वह आडिटर्स अगर उस मुहकमे के मातहत होंगे तो मैं यह समझता हूं कि यह जो विचार माननीय मंत्री जी का है उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। श्रीमन्, जहां तक कोआपरेटिव मूवमेन्ट का प्रश्न है हमारे प्रान्त में बिलकुल यह कहना पड़ता है कि एक तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग पर आधारित है। आप अगर देखें जो कर्जे दिये गये हैं, बड़े-बड़े कर्ज दिये गये हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता चाहे सहकारी खेती के लिए हों चाहे सहकारी उद्योग के लिये हों चाहे सहकारी गृह उद्योग के लिए हों श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री जी गौर से देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कहीं न कहीं फेवरटिज्म है। हमारे यहां केन्द्र के मिनिस्टर महोदय हैं उनके बेटा-बेटी नाती, पोते सब के नाम से एक सहकारी फार्म खोल दिया है और सहकारी फार्म खोल देने के बाद सरकार से कर्ज की सुविधा, बीज की सुविधा जितना कानपुर का १३ का बीज है सब देवरिया को चला जाता है। इस तरह से फेवरटिज्म के आधार पर सहयोगी विकास या सहयोग को अगर किया जायगा तो मैं समझता हूं कि जो सरकार की मंशा है कि ग्रामीण लोगों को फायदा हो वह नहीं होगा। मैं चाहूंगा और मेरा दावा है कि सहयोगिता से ज्यादा लाभ हुआ है शहरों को, नगरों को, कस्बों को, गांवों को लाभ नहीं हुआ है। यदि गांव में सिर्फ कर्जा देने की ही व्यवस्था सुचारु रूप से यह कोआपरेटिव वाले कर दें तो मेरा दावा है कि किसानों को बड़ी राहत मिल जाय। आज देहातों में किसान लगभग ढाई अरब के कर्जा लेता है। जिसमें कुछ बैंक देती हैं और अधिकतर २५ रुपये सूद पर देहाती मनी लेंडर्स देते हैं। जब उसकी फस्ल तैयार होती है तो उसके दरवाजे पर पहरा देते हैं और सारी फसल उसकी सूद में ले कर जप्त कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि यदि कोआपरेटिव मूवमेन्ट को चलाना है और जैसा कि माननीय गौतम जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया कि मार्केटिंग की व्यवस्था और सहयोग दोनों की व्यवस्था करना चाहिए,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह नहीं कहता कि यह नहीं होना चाहिये । यह बड़ी अच्छी बात है मगर अगर कोआपरेटिव इतना ही कर ले कि वह कर्जा देने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कर दे तो मेरा दावा है कि किसानों की आज जो स्थिति है उससे उनकी स्थिति दो तीन साल में अच्छी हो जायगी ।

दूसरे कोआपरेटिव आज जो बीज देती हैं तो उस समय देती हैं जब कातिक का महीना खत्म हो जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसा सुचारु प्रबन्ध होना चाहिये कि देहात में जैसा कि बजट साहित्य पढ़ने से मालूम हुआ ३० गांवों का क्षेत्र बना कर कर्जा देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं । तो मैं चाहूंगा कि जहां कर्जा देने की व्यवस्था हो वहां इसकी भी व्यवस्था हो कि ग्रामीण व्यक्ति जो भी उद्योग धंधा करता है उसके पास कुछ बचत होती है, उस बचत को वह उन गांवों के केन्द्र में ला कर जमा कर दें चाहे वह बचत दो ही आने ही क्यों न हो । इसकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह कोआपरेटिव बीज देने का तरीका है । बीज वापस करते समय कोआपरेटिव वाले बड़ी ज्यादती करते हैं । जो बीस रुपये के शेयर्स होते हैं उसका हिसाब किताब शेयरहोल्डर्स को नहीं दिया जाता । जो बीज ले जाता है अगर नियत समय से कुछ देर हो गयी तो उसको पेनाल्टी देनी पड़ती है । इन सारी चीजों का सुधार माननीय मंत्री को करना चाहिये और इसका सुधार हुआ तो कोआपरेटिव की तरफ लोगों की रुचि होगी । मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं, बाढ़ आया करती हैं, सरकारी कर्मचारियों के पहुंचने की सुविधा नहीं है वहां कोआपरेटिव का संगठन नहीं किया गया है । मैं चाहूंगा कि वह अपने विभाग को आदेश दें कि कोआपरेटिव का संगठन ऐसे जगहों पर किया जाय जो सबसे पिछड़े हुए हैं, जहां एन० ई० एस० ब्लाक्स चल रहे हैं, जो शहरों के पास हैं, जहां बैंक्स से उनको रुपया मिल सकता है, अपना जेवर रख कर रुपया ले सकते हैं, वहां कोआपरेटिव के संगठन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता वहां है जो पिछड़े हुए इलाके हैं । उधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान इस सदन के समक्ष माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं । और साथ ही साथ इस साधन को हमारे प्रदेश में प्रचलित करने में जहां-जहां कमजोरियां हैं, उनके बारे में सुझाव देने की कोशिश करूंगा ।

श्रीमन्, यह बात अवश्य कहने की है कि यह सहकारिता का आधार हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिये बहुत जरूरी और सहायक है । किन्तु जिस प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है, वह उपयुक्त नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामों में, कस्बों में और शहरों में जो कोआपरेटिव इन्सपेक्टर या अन्य अधिकारी हैं वह जाकर जनसाधारण में इसका प्रचार उस प्रकार से नहीं करते हैं जैसा कि होना चाहिए । आज ग्रामों के हरिजनों को और कस्बों के हरिजनों को इस बात की जरा भी सूचना नहीं है कि यहां कोई कोआपरेटिव विभाग है और उससे हरिजनों को औद्योगिक तथा अन्य किसी प्रकार के कामों में सहयोग प्राप्त हो सकता है । हम लोग जब किन्हीं बड़ी-बड़ी मीटिंगों में अथवा जलसों में जाकर इस तरह का प्रचार करते हैं तो झुंड के झुंड लोग आकर हमसे प्रश्न करते हैं और मुझे इसका अनुभव है कि मैं स्वयं जाकर उन विभागों में, आफिसों में, कोआपरेटिव सोसाइटियों के इंस्पेक्टरों से और वहां के अधिकारियों

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

से कई बार मिला और कहा कि इंस्पेक्टर हरिजनों की बस्ती में जा कर इस बात का प्रचार करें। तो मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से प्रत्येक जिले में प्लानिंग कमेटियां अथवा हरिजन सब कमेटियां आज बनी हैं, जिसमें कि वहां के रहने वाले कुछ कार्यकर्ताओं को सम्मलित किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से कोआपरेटिव सोसाइटी भी प्रत्येक जिले में बनायी जायं और जिसमें वहां के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहें, ताकि जो इसका विधान है, उसकी उपयोगिता का जिक्र तथा गरीब हरिजनों में जाकर उसका प्रचार करें। मैं बतलाना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में जो मेहतर कर्मचारी काम करते हैं, वह इतने ज्यादा कर्ज में दबे हैं कि उनके परिवार के कई लोग काम करते हैं और फिर भी भर पेट खाने को नहीं पाते। श्रीमन्, याद होगा कि जिस तरह से मंसूरी की म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों के कर्जे को समाप्त किया गया था, ठीक उसी प्रकार से बहुत कम ब्याज पर रुपया कर्ज देकर उनके कर्जे को समाप्त किया जाय और मुर्गी व सुअर पालने के लिए अधिक से अधिक अनुदान कोआपरेटिव सोसाइटी के आधार पर दिया जाय। स्थानीय निकायों में जहां हमारे २,४ (दो चार) आदमी मिल कर सुअर वगैरह पालते हैं तो उन पर जुर्माना किया जाता है। मेरे पास हरदोई से शिकायत आयी है कि वहां मेहतरों को सुअर पालने पर जुर्माना किया गया और भी कई जिले की म्युनिसिपैलिटी से इस तरह की शिकायत आयी है। तो मैं चाहूंगा कि इनकी गरीबी को दूर करने के लिए कोई साधन उपयुक्त करना होगा। अभी हरद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेला हो रहा है, इलाहाबाद में कुम्भ मेला हुआ, १०, २०, हजार झाड़ू उन मेलों में सरकार द्वारा ली जाती है, जिन्हें मेहतर लोग बनाते हैं तो इसको भी अगर कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये किया जाय तो काफी अच्छा होगा। ठीक इसी तरह से गरीबों के मुहल्ले में जाकर अनिवार्य रूप से सहकारिता समिति बनायी जायं, और उनके जरिये से हरिजनों के बिजनेस आदि चलायें तो काफी फायदा हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि इस आधार पर इन हरिजनों के लिए अवश्य सोचा जाय और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए प्रत्येक हरिजन बस्ती में अनिवार्य कोआपरेटिव सोसाइटियां बनायी जायं, ताकि इनका उद्धार हो सके।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय। बहुत से लोग रह गये हैं बोलने के लिए और बड़ा अनिवार्य विषय है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विरोध है इस से।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि एक घंटा तो ज्यादा होगा। अगर आधे घंटे की बात हो तो हम भी सहमत होंगे, क्योंकि और भी हमारे बहुत से इन्गेजमेंट्स होते हैं शाम को और लोगों को जाना होता है।

श्री शिवनारायण—मुझे उपाध्याय जी का प्रस्ताव मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से सदन की यह राय है कि आधा घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाय।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं। हमें बड़ी खुशी है कि इस प्रदेश के अन्दर हमारी सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटीज का जाल चारों ओर फैलाया है देहात और शहरों में और इस प्रान्त के कोने-कोने में। परन्तु इतना ही काफी नहीं है कि हम कोआपरेटिव सोसाइटीज को स्टार्ट कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। उसके साथ-साथ हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन सोसाइटीज की नींव को सुदृढ़ बनावें और उनको जीवन दान करने में पूरा-पूरा सहयोग करते रहें। हमें पता है कि कितनी ही कोआपरेटिव सोसाइटीज देहातों के अन्दर बनी थीं और वह उन सोसाइटियों का अब दिवाला होने जा रहा है। बहुत सी सोसाइटीज का रुपया तो खत्म हो चुका है, और जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी बची हुई है, वह भी कोआपरेटिव सोसाइटी के नौकरों-चाकरों की तनख्वाहों में समाप्त होती जा रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का निहायत अदब के साथ इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि जिस जोश से, जिस प्रेम से, जिस संगठन की भावना से, हमारी जनता ने कोआपरेटिव सोसाइटीज को बिल्ड करने में रुपये से पैसे से सहयोग दिया है, उनका वह विश्वास सरकार के ऊपर से, और कोआपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर से कहीं उठ न जाय। मुझे इसका बड़ा भय है और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह फर्ज है कि वह उस पूंजी की रक्षा करे और उस पूंजी को ऐसे व्यवसाय में लगायें जहां कि वह रुपया सुरक्षित रह सकता है। वरना मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चन्द दिनों के बाद हमें इस सदन में यह आवाज उठानी पड़ेगी कि सोसाइटीज खत्म हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान गांधी जी की इस पिक्चर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सन् १९५२ में जब हम सदन के अन्दर दाखिल हुए थे, मैंने देखा गांधी जी की सहयोगी आंखें इस सदन की ओर देख रही थीं। परन्तु आज उनकी आंख किताब की ओर आकर्षित है, सदन की ओर नहीं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि अवश्य इस बात के ऊपर छान बीन होनी चाहिए कि उनका यह नानकोआपरेशन अब क्यों है? हम चाहते हैं कि हमारे काम जो कि सत्यता के आधार पर आगे चलने चाहिए थे, उनमें झूंठ का आधार और आसरा नहीं लिया जाना चाहिए, वरना हमारी जो प्रगति है, वह दुर्गति में परिणत हो जायगी। इतना ही नहीं बल्कि हम लोग बहुत बुरी हालत में हो जायेंगे। इस लिए हम चाहते हैं कि सच्चाई से और ईमानदारी से काम होना चाहिए और इन कोआपरेटिव सोसाइटीज का निरीक्षण अच्छी तरह से होना चाहिए। मैं आपके समक्ष और मन्त्री महोदय के समक्ष एक वाकये का वर्णन करना चाहता हूं। कोटद्वारा जिला गढ़वाल में एक साहब ने चाय के लिए बहुत कोशिश की, उन्होंने बड़ी खुशामद की, घूस दे रहे थे। इस बात के लिए कि यू० पी० के अन्दर यह चाय चालू की जाय और कई हजार रुपये वह खर्च कर रहे थे। मैंने खुले आम लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार किया और गुरुद्वारे में उस रोज विशेषकर हमारे कोआपरेटिव विभाग के रजिस्ट्रार भी मौजूद थे, उनके सामने मैंने यह बताया था कि यह चाय एक धोका है और बहुत खराब थी। परन्तु बावजूद उस बात के सरकारी अधिकारियों ने न सिर्फ उसको लिया बल्कि मुझे खेद है कि कोआपरेटिव विभाग ने उस चाय पर विशेष बल दिया और आज सारे यू० पी० के बाजारों में वह चाय चालू है। यह खुशी की बात है कि उस चाय को अधिक लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन सारी कोआपरेटिव सोसाइटीज गढ़वाल में और दूसरी-दूसरी जगहों पर वह आज भी मौजूद है। इस का जवाब हमारी सरकार क्या दे सकती है क्योंकि यह डकैती की जाती है और सरकार इन डकैतों को पनाह देती है, यह क्यों है? जब सरकार की नजर में यह चीज खुले आम बाजार में रखी जाती है। क्या हम बेईमानों को प्रोत्साहन देने के लिए यहां बैठे हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, हमें मुल्क की व्यवस्था करनी है, तो हमें इसको देखना ही होगा कि किसी की तारीफ करने के लिए यहां नहीं आये हैं। हमारा मुल्क, यही हालत यदि रही, तो डूब जायेगा और इसका दायित्व उन लोगों पर होगा जो गीत गाना चाहते हैं तारीफों के, प्रोपेगैन्डा करना चाहते हैं और जो सच्चाई को थपेड़े मार कर हाउस के अन्दर सच्चाई के लिए कोई स्थान नहीं रहने देना चाहते। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज गांधी जी का नानकोआपरेशन इस सदन के साथ है। हम देखते हैं कि उनकी आंखें सदन की ओर नहीं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार ने यह कोआपरेटिव मूवमेंट बड़े कीमत पर इस हाउस में चलाया है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमें सच्ची बातों को कहने के लिए भी सदन में समय नहीं दिया जाता।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जब हम मुल्क को अग्रसर करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इस सदन में बैठकर झूठ बोलें और इस मुल्क में बढ़ने वाले चोरों को और डाकुओं को पनाह दें और अत्याचारों को पनपावें। इस देश में हमने बड़े-बड़े आघात सहे हैं। लेकिन आज हम समझते हैं कि हम मुल्क को धोका दे रहे हैं और हम इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं और हमें कोआपरेटिव विभाग की इन चीजों पर बहुत कड़ी नजर रखने की जरूरत है। यह विभाग की ही कृपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे गढ़वाल में कोआपरेटिव सोसाइटी के रजिस्टरों में जो सुपरवाइजर हैं उनके खवाई, खिलाई-पिलाई का हिसाब-किताब सोसाइटी के रजिस्टर में दर्ज है। तीन चौथाई सोसाइटियां मुल्क में साफ हो गयी हैं और बहुत से लोगों ने एम्बेजिलमेंट और मिसऐप्रोप्रिएशन किये हैं और उसका परिणाम यह है कि इन कोआपरेटिव सोसाइटियों पर से हमारी जनता का विश्वास उठता जाता है और इस से कांग्रेस सरकार के प्रति हमारी जनता के दिलों में घृणा पैदा होती जा रही है। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क को बनाने के लिए सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, जब कि सप्लीमेंटरी बजट इस सदन के सामने पेश हुआ था उस समय मैंने सहकारिता के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थीं और मुझे माननीय मन्त्री जी ने इस बात का विश्वास दिला दिया है कि वह इसकी छानबीन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस पर वह कुछ कार्यवाही करेंगे। इस लिए हर रोज उन्हीं बातों को दोहराना मैं उचित नहीं समझता हूं। पर मैं आज माननीय मन्त्री जी को इस अनुदान के मौके पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं आज इस सदन में सुन रहा हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटियां खराब हैं, उनमें गबन हो रहा है, बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। यह बात सच भी है और बहुत हद तक जहां सोसाइटियां अच्छे हाथों में हैं, वहां ये बातें नहीं भी होती हैं, ऐसी भी बात है। बहुत सी सोसाइटियां खराब हैं इस लिए हमें सहकारिता को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, यह मैं समझता हूं सिद्धांततः बिल्कुल गलत बात होगी। हमारा जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, वह निर्भर करता है हमारी सहकारिता के आधार पर क्योंकि अगर हमारे प्रदेश के अन्दर कोआपरेटिव मूवमेंट फेल हो गया तो मैं समझता हूं हम बहुत आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इसलिए इसमें कमी जो हैं उन्हें दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें शिकायत तो यही है कि हमारे कोआपरेटिव विभाग वाले इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वे सोसाइटियां बनाते हैं लेकिन बाद में उनकी देख-रेख नहीं करते हैं। अगर आज कोआपरेटिव सोसाइटीज पर से जनता का विश्वास हट गया, तो फिर हम किधर जायेंगे? साथ ही साथ हमारे प्रदेश की सरकार यह भूल जाती है कि उसे कोआपरेटिव मूवमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या काम करने चाहिए। अगर सरकार इस ओर आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर दूसरा कौन बढ़ेगा? अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पुराना सोसाइटीज ऐक्ट बना हुआ है। उसी के मुताबिक सारी कार्रवाई हो रही है। बम्बई और पंजाब की सोसाइटियां जिस स्तर पर हैं और वहां की सरकार की ओर से जो सहयोग उन सोसाइटीज को मिल रहा है, वही एक कारण है कि वहां की कोआपरेटिव सोसाइटियां आज पनप रही हैं। जो डेविडेन्ड का रेस्ट्रिक्शन हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटीज की इन्कम पर लगा हुआ है, वह भी एक बड़ा भारी रोड़ा है हमारे यहां सोसाइटीज की उन्नति में। हम ६ परसेंट तक डिविडेंड दे सकते हैं जिसकी वजह से लोग यह समझते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के बिजनेस में तो सिर्फ ६ परसेंट तक ही डिविडेंड मिल सकता है, इस लिए हमें उसमें ज्यादा रुपया नहीं लगाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि इसमें सफाई होनी चाहिए। जिस तरह बम्बई और पंजाब में कुछ ज्यादा डिवीडेंड देने की कोशिश की गयी है, उसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी हो तो हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज आगे बढ़ सकती हैं।

दूसरी बात यह कि आफिशल्स का हाथ इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर सिर्फ इसलिए हो कि जहां एकाउन्ट वगैरह का सवाल है, वहां वे देखें कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही

हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि आफिशल इन्टरफियरेंस हमारी सोसाइटीज के अन्दर बिलकुल नहीं होना चाहिए। आज हमारे रजिस्ट्रार साहब या कोआपरेटिव विभाग के अफसर किसी कोआपरेटिव सोसाइटी को पनपने देने की बात न करके उनके रास्ते में रात दिन रोड़े अटकाते हैं। उन्हें वे ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि लोग यह समझें कि यह काम बहुत बुरा है इसे हमें नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आडिट रेस्ट्रिक्शन्स तो वैसे ही रहें, गबन करने वालों को सजा दें। मुझे भी कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज में दिलचस्पी है और मैं ८ कोआपरेटिव सोसाइटीज का मेम्बर हूं, किसी का प्रेसिडेंट, किसी का सेक्रेटरी, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी सोसाइटियों में जिन लोगों ने गबन किया उनको हमने सजा करवाया है। दो तीन सोसाइटीज के अन्दर ऐसा करने वाले लोगों को सजा हुई है और इस से हमारे यहां को कोआपरेटिव सोसाइटीज में लोगों को विश्वास हो गया है कि गड़बड़ी करने वालों को सजा दी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहकारिता में उत्साह दिलायें। लेकिन सरकार का भी सहयोग बहुत जरूरी है। सरकारी अफसरान कोआपरेटिव सोसाइटियों को कुछ नहीं समझते। ३८ हजार कोआपरेटिव सोसाइटियां आपने बना कर रख दी हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। तो ऐसी सोसाइटियां बनाने से फायदा ही क्या है? हमारी जितनी इन्डस्ट्रीज हैं, जितनी विलेज इन्डस्ट्रीज हैं उन सबको कोआपरेटिव के आधार पर चलाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख रहा कि कल परसों जंगलात विभाग का अनुदान चल रहा था उस समय हमारे इलाके के माननीय हरगोविन्द पंत जी ने एक कोआपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ बातें कीं, जिसकी उन्हें कोई सूचना नहीं थी। वह न तो किसी सोसाइटी के मेम्बर हैं और न उन्होंने कोई सोसाइटी ही बनायी है। वह चाहते हैं कि जो सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, उनके रास्ते में रोड़े अटकाये जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर वैयक्तिक हमला नहीं होना चाहिए। जब बात कही गयी थी, उसी दिन आप जवाब दे देते तो ठीक था। अब पिछली बात नहीं उठानी चाहिए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि अगर सोसाइटीज अच्छा काम करती हैं और फिर भी उनके ऊपर हमला होता है, तो सहकारिता आन्दोलन कैसे आगे चल सकता है? कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। यह कह देना कि सारी सोसाइटीज में गबन है, इसलिए सब को खत्म कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार के रिमार्क्स पास किये जाते हैं और जिम्मेदार आदमी करते हैं, तो सहकारिता आन्दोलन कैसे आगे बढ़ सकता है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक झगड़ा कोआपरेटिव विभाग से यह है कि आपका यह कोआपरेटिव बैंक बिलकुल किसी काम का नहीं है। इसका कारण यह है कि इस बैंक में प्रिफरेंशियल शेयर्स दे दिये गये हैं। अगर आप सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिफरेंशियल शेयर्स खत्म होने चाहिए। इसका कारण यह है कि जो बाहर के कैपिटलिस्ट्स हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है और वही बैंक के मालिक बन गये हैं। यही नहीं, जब कोआपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन का सवाल आता है, उसमें प्रौक्सी का आर्टिकिल लगा देते हैं। तो हमारे रजिस्ट्रार कहते हैं कि प्रोक्सी कैसे हो सकती है, सहकारिता का क्या अर्थ, जब तक मेम्बर्स हाजिर नहीं हो सकते हैं। और सोसाइटी के लिए तो ऐसी बात की जाती है और यह जो हमारा बैंक है, इसमें प्रोक्सी सिस्टम रखा गया है और प्रिफरेंशियल शेयर्स वाले जितने लोग हैं, प्रौक्सी का फार्म इकट्ठा कर बैंक में अपना कब्जा बनाये हुए हैं। ये लोग सहकारिता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इस लिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह प्रिफरेंशियल शेयर्स को खत्म कर दिया जाय और कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही शेयर्स खरीदने का अधिकार होना चाहिए। जब उनके शेयर्स होंगे, तभी सहकारिता आगे बढ़ सकती है और नहीं तो नहीं बढ़ सकती है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मन्त्री महोदय ने कहा कि हम ८ प्रतिशत सूद लेते हैं। रिजर्व बैंक से डेढ़ प्रतिशत पर रुपया मिलता है और किसान तक पहुंचने में ८ प्रतिशत ब्याज हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, जनता तक डेढ़ या सवा छै प्रतिशत से ज्यादा सूद नहीं लिया जाना चाहिए। सवा छै या छै प्रतिशत भी सूद ज्यादा है और यदि हमें सहकारिता की तरक्की करना है, तो सूद कम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जिले के जो बैंक हैं और जो वहां की सोसाइटीज के शेयरहोल्डर्स हैं, उनको डायरेक्टली डेढ़ परसेंट पर रुपया मिल जाना चाहिए ताकि उस रुपये से कोआपरेटिव इन्डस्ट्रीज खुल सकें और वह तरक्की कर सकें। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब कि सूद कम किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि वह कहते हैं कि सहकारिता का आधार लाभ कमाना नहीं है। वह बतलायें कि यह जो हमारा प्रांविश्यल कोआपरेटिव बैंक है, क्या इसने इस साल ५ लाख रुपया नहीं कमाया है, यह किस लिये किया जाता है? गरीब जनता का खून चूसकर ५ लाख रुपया कमाया जा सकता है, तो क्या यह सहकारिता है? मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह बतावें। जब उन से कहता हूं कि आप बैंक खोलिये, तो यह खोल नहीं सकते हैं। हमारे यहां पार साल जून में उन्होंने कहा था कि रानीखेत में बैंक खुलेगा। हमारी इस के लिए बड़ी मांग है। हमारी कोआपरेटिव सोसाइटी का लाखों रुपया पड़ा हुआ है जो हम दूसरे बैंकों में रख रहे हैं, लेकिन आज तक वहां कोआपरेटिव बैंक नहीं खुला। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि अगर वह अपने डिपार्टमेंट को नहीं सम्हाल पाते हैं तो इस्तीफा दे दें या इस विभाग को छोड़ कर किसी दूसरे विभाग को सम्हालें। आज उनके विभाग के अफसरों पर उनका रोब नहीं है, वह अफसरों से काम नहीं करा सकते हैं। सहकारिता एक ऐसी चीज है कि जो हमारे प्रदेश की बुनियाद है। अगर इसमें वह हमारा सहयोग चाहते हैं, प्रदेश की जनता का सहयोग चाहते हैं तो उन्हें इसको सम्हालना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा और जो हमारा एटीट्यूड है, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, उसमें कुछ रैडिकल चेंज करने की आवश्यकता होगी। मैं ज्यादा क्या कहूं, श्रीमन्, थोड़े से शब्दों में मैंने कह दिया और मैं चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह सोसाइटियां पनपें, बढ़ें, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमें गांव वालों को ज्यादा से ज्यादा रुपया कोशिश करके देना चाहिए।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कई ऐसे भाषण हुए जिन में से कुछ को सुन कर मुझे खेद हुआ। मैं आपकी अनुमति से यह स्पष्ट कर दूं कि सहकारिता विभाग या उसके कर्मचारियों के साथ मेरा प्रायः "न" के बराबर सम्बन्ध है। केवल एक साधारण विद्यार्थी (जिला गोरखपुर) होने के नाते मैं इस सम्बन्ध में कुछ जानता हूं। इस लिए जिस जोश के साथ इधर बैठे हुए हमारे एक मित्र ने और दो एक और मित्रों ने इसके कर्मचारियों की निन्दा की उस के बारे में मैं कुछ विशेष तो नहीं कह सकता। एक बात और है उधर बैठे हुए मेरे मित्र ने आपके सामने ही दो, तीन दिन पहले यह कहा था कि परिपूर्णानन्द बराबर सरकारी कर्मचारियों की तारीफ करते हैं और ऐसी उनकी चापलूसी करने की आदत नहीं है। इसी शब्द का उपयोग उन्होंने किया था। मैं केवल यह निवेदन कर दूं, जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, कि किसी व्यक्ति की सब से बड़ी चापलूसी यह है कि आप उस से कह दें कि आप चापलूसी पसन्द नहीं करते हैं। तो मैं आपके द्वारा उन से यह निवेदन कर दूं कि वह चापलूसी पसन्द नहीं करते पर यह अच्छा नहीं मालूम होता। हमारे एक मित्र ने कहा कि इस प्रदेश की नौका डूब जायगी अगर यही हाल रहा और सरकारी कर्मचारियों का ठीक प्रबन्ध नहीं होता। मैं कहता हूं कि नौका डूबने की जिम्मेदारी खाली सरकारी कर्मचारियों की ही न होगी, बल्कि हम लोगों की भी होगी और यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कहा जाय कि हमारे द्वारा जो होता है, वह सही होता है, और सरकारी कर्मचारियों की सारी गलती है, तो यह उचित नहीं है। मैं

समझता हूं कि हम यह कहने के अधिकारी नहीं हैं। मुझे गौतम जी से एक चीज निवेदन करनी है कि रिश्तेदारियां बहुत होती हैं। किसी कर्मचारी की निन्दा करते समय किसी की रिश्तेदारी को किसी प्रकार से जोड़ देना यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना, मोल लेना है और ऐसा करने पर आज हमको, आपको, हर एक को बहुत दूर तक अपनी रिश्तेदारियों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी .....

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा था कि अगर कहीं गलत कार्य होता है, तो चाहे कितने बड़े आदमी के भाई, भतीजे हों, लेकिन उनकी रियायत नहीं करनी चाहिए और अगर वह चाहें, तो मैं उसका नाम ले दूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--खैर, श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव की दुर्दशा के बारे में जो दो चार बातें कही गयीं, जिसने कहा वह भी जानते हैं। रूरल क्रेडिट सर्वे की पुस्तक तो है उनके सामने, हमारे माननीय मित्र के हाथ में है, और उसमें दो, तीन चीजे ऐसी साफ हैं कि जिनको देखने से यहां के कोआपरेटिव मूवमेंट की बहुत सी परिस्थिति साफ हो जायगी। आज अगर यह कहा जाय कि पेप्सू ऐसी जगह ४८४ रुपया फी आदमी का कोआपरेटिव लोन पर औसत पड़ता है और उत्तर प्रदेश में इतना कम पड़ता है, तो इसी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि बम्बई में प्रति फैमली के हिसाब से कोआपरेटिव लोन का १६·२ औसत है। मद्रास का ४·४ है और उत्तर प्रदेश का २·२ औसत है। तो फिर उत्तर प्रदेश हर तरीके से तीसरे नम्बर पर इस क्रेडिट के मामले में है।

दूसरी चीज यह है कि जिस समय, जैसा कि उसी रिपोर्ट के देखने से पता चलता है कि बम्बई में उसकी रूरल क्रेडिट रिक्वायरमेंट का उसको ४६ प्रतिशत सरकार से मिलता था उस समय उत्तर प्रदेश को उसकी रिक्वायरमेंट का केवल ४·१ प्रतिशत मिलता था। आज से ३, ४ साल पहले रिजर्व बैंक आफ इन्डिया बम्बई को ८, ९ करोड़ रुपया ऐसी क्रेडिट के लिए दिया करता था और उस समय उत्तर प्रदेश को केवल १६ लाख रुपया मिला करता था। तो अब यह देखने की चीज है कि इस बीच में हमने कितनी प्रगति की और हम कितने आगे बढ़ गये। आज १६ लाख के बजाय हम ५।। करोड़ क्रेडिट के लिए जनता को दे रहे हैं। श्रीमन्, यही नहीं १८ लाख ५० हजार मन गल्ला उसके कोआपरेटिव स्टोर से उधार दिया जाता है। तो इसकी कीमत को भी उसमें जोड़ा जाय तो मालूम होगा कितना हमारा काम बहुत बढ़ गया है। हमारे यहां ३८ लाख कोआपरेटिव के मेम्बर हैं जिस से उधार रकम का हिसाब फी मेम्बर पीछे २३ रुपया पड़ता है। यही नहीं, और औसत निकालने की चेष्टा की जाय और इस तरह से देखा जाय तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार हमारे कोआपरेटिव सदस्य ६ प्रतिशत हैं। इस प्रतिशत को भी याद रखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक चीज और भी ध्यान में रखने की है। ६ प्रतिशत सदस्यों को अपने प्रदेश में हम २३ रुपया प्रति सदस्य पीछे उधार देते हैं यदि हम उस ४·१ प्रतिशत के हिसाब को देखें, जो हम ३, ४ साल पहले देते थे, तो हमने इन ३, ४ साल के अन्दर इतनी प्रगति की है कि इस सहकारिता के आधार पर ११ प्रतिशत देने लगे हैं। यह ७ प्रतिशत की वृद्धि जो है, वह वास्तव में एक तारीफ की चीज है। उधर के बैठने वाले सदस्य अगर इसका भी जिक्र करते कि इतनी वृद्धि हुई है, तो कुछ समझ में बात आती। सन् १९४६–४७ में हमारे यहां कोआपरेटिव सोसाइटी की संख्या १३ हजार थी। वह सन् १९५१ में २७,३०० हो गयी और ५५ में वह ३८ हजार की संख्या तक पहुंच गयी और अब सन् १९५६ में उनकी संख्या ४१ हजार तक होने वाली है। यही नहीं, बल्कि उनका जो शेयर कैपिटल था वह ४९ लाख था, सन् १९४६–४७ में लेकिन अब ५५ में वह २२० लाख है। हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी बहुत अयोग्य हों और कोआपरेटिव में भी बहुत भूले हों, लेकिन इन आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई यह कह दे कि गलत हैं। फिर मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि हम बहुत काफी नीचे उतर गये हैं, कि आखिर इन आंकड़ों के बारे में उनकी क्या राय है। हमारे यहां शेयर कैपिटल ४९ लाख सन् १९४६–४७

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

में था, लेकिन ५५ में वह २२० लाख हो गया और सोसाइटी हमारे यहां ४६--४७ में १३ हजार थी अब ५५ में वह ३८ हजार हो गयी और अब ५६ में उनकी संख्या ४१ हजार तक होने जा रही है। और इसके साथ ही पहले ४६, ४७ में ४·१ प्रतिशत हम रिक्वायरमेंट का दिया करते थे अब ११ प्रतिशत देते हैं और जब कि ९ करोड़ के करीब बम्बई को रिजर्व बैंक दिया करता था और उत्तर प्रदेश को १६ लाख देता था। अब हमारे यहां ५।। करोड़ रुपया नकद और साढ़े अठारह लाख मन गल्ला उधार हम देते हैं इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये, और इनके सदस्यों के औसत को देखा जाय तो हर सदस्य पीछे २३ रुपया उधार पड़ता है। इन सब आंकड़ों को सामने रखता हुआ मैं अपने मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग यह समझते हैं कि सहकारिता का आन्दोलन बहुत नीचे गिर गया या जो यह समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी इसकी प्रगति में किसी प्रकार से सहायता नहीं देते कि कहां पर गलती हो रही है। यहां शिकायत का कोई मौका नहीं हो सकता है।

हिसाब-किताब का जिक्र किया गया। उनको यह मालूम नहीं कि गवर्नमेंट ने कोआपरेटिव आडिट आर्गनाइजेशन को अलग कर दिया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसका डाइरेक्ट सम्बन्ध कर दिया है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से उसके अलग होने के बाद कई हजार आडिट हो चुके हैं इसकी जांच कर ली जाय। रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर यह सही है तो इस चीज के औचित्य को मान लिया जाय। मैं गौतम जी से जानना चाहूंगा कि शिकायत फिर किस बात की है? इन चीजों के बारे में तफतीश हो जानी चाहिए चूंकि बहुत सी शंकायें पैदा की गयी हैं कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता बहुत नीचे चली गयी है। मुझे कुछ निवेदन करना पड़ा।

श्री विश्रामराय---श्रीमन्, काफी संख्या में माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है और मुझे खुशी है कि अधिकांश ने मेरा समर्थन किया है कि नये सिरे से कोआपरेटिव का कानून बनना चाहिए और उसकी खराबियां दूर होनी चाहिए। माननीय श्री परिपूर्णानन्द जी के अलावा किसी भाई ने बहुत अधिक समर्थन उसका नहीं किया है। माननीय परिपूर्णानन्दजी तो आंकड़ों के ज्ञान से बहुत कुछ सिद्ध कर देते हैं और सम्भवतः गौतम जी किसी दिन उसका जवाब भी दें। मगर मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों के पास इतने आंकड़े नहीं हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जहां तक जनजीवन का सम्बन्ध है, और जनता में जो कोआपरेटिव का कार्य हो रहा है, उस से स्फूर्ति दिखायी नहीं दे रही है। आल-इन्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पंचवर्षीय योजना में जो आयोजन होने जा रहा है, मुमकिन है उससे कोई नयी स्फूर्ति जनता को मिले,लेकिन जिस प्रकार की कार्य-प्रणाली अभी तक रही है, उससे तो हमारा यही मत है कि यदि यही तरीका सरकार का रहा तो कोआपरेटिव का काम नहीं हो सकता है। बहुत से भाइयों ने कुछ सुझाव भी दिये। एक भाई ने कहा कि सुपरवाइजरों और कोआपरेटिव अफसरों वगैरह को रूरल-माइन्डेड होना चाहिए। मेरा खयाल है कि मानववादी होना चाहिए। जो सोशलिस्टिक सोसाइटी की कामना है, वही नहीं, बल्कि हमारे समाज की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब तक उनमें ह्यूमन सिम्पैथी और कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक मेरा खयाल है कि कामयाबी नहीं हो सकती। इसके लिए न केवल अफसर ही बल्कि सारी सरकार ही अभी ऐसी है कि जो अभी पूंजीवाद से छुटकारा नहीं पायी है। एक साहब ने तहसीलों पर बैंक खोलने की बात कही। यह सही है कि जिले की केन्द्र जगह जाने में लोगों को कष्ट होता है और कई दिन तक इन्तजार करना होता है। जिला सोसाइटियों के चुनाव में अवश्य अफसरों का अप्रत्यक्ष हाथ होता है और एक गुट गैर सरकारी प्रतिनिधियों का जरूर बन जाता है। जैसा राजवंशी राय जी ने कहा उसके क्षेत्र बन जाने चाहिए जिनसे चुनाव हों। फतेहसिंह जी ने कहा कि ऐग्रीकलचरल मार्केटिंग प्रोडयूस के लिए एक कानून आना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश में १९४९ में और ५४ में हुआ और मन्डियों में कोआपरेटिव

का कन्ट्रोल होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार को ध्यान देना चाहिए। सीमेंट और कोयले की सहकारी समितियां बननी चाहियें। इतना बड़ा काम हमारा डैम, ट्यूब-वेल का और बिजली का हो रहा है, जिसमें इनकी आवश्यकता होती है। सहकारी समितियों के जरिये से काम किये जायें तो ठीक है। लेकिन सहकारी समितियों को इन पर काफी नफा नहीं लेना चाहिए। पारसाल मैंने देखा कि काफी कोयला कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा मंगाया गया। लेकिन उन्होंने भाव काफी बढ़ा दिया। देहात के लोगों को वह मजबूर होकर लेना पड़ता था। उनको अधिक भाव पर नहीं बेचना चाहिए था। माननीय श्रीचन्द जी ने कहा कि हमारे देश में ८६ करोड़ मन गन्ना पैदा होता है और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश में ही होता है। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में जो फैक्टरियां खोली जा रही हैं, उनमें से केवल ४ ही हमारे प्रदेश में खोली जा रही हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार से जोर देने की आवश्यकताए है क्योंकि हमारे प्रदेश में अधिक गन्ना होता है, इस लिए फैक्ट्रीज भी अधिक खोली जानी चाहि । जहां तक फैक्टरियों के खोलने का प्रश्न है वहां पर फैक्टरी नहीं खोलनी चाहिए जहां पहले से ही मौजूद हैं लेकिन प्रदेश के अन्य भागों में भी खोलना चाहिए जिस से दूसरे स्थानों पर भी गन्ने को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि यह हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा धन है।

गौतम जी ने पूरे तौर पर हमारा समर्थन ही किया, कटौती के प्रस्ताव का साथ दिया। उन्होंने ऐसी बहुत सी खराबियां बतायीं, जो हमें भी मालूम नहीं थीं। उन्होंने कहा कि यह साफ बताया जाना चाहिए कि कोआपरेटिव कामनवेल्थ में हमारी कोआपरेटिब्ज का क्या स्थान है? गवर्नमेंट इस बारे में क्या इनिशियेटिव लेने जा रही है। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार इस ओर कहां तक जाना चाहती है और कहां तक प्राइवेट कन्सर्न को प्रोत्साहन देना चाहती है।

आखीर में वाल्मीकि जी ने हरिजनों और मेहतरों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि वाल्मीकियों को कोआपरेटिव के जरिये से सुविधा मिलनी चाहिए। लखनऊ युनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने सर्वे किया था, उन्होंने जो आंकड़े बताये हैं, उन से मालूम होता है कि मेहतरों पर बड़ा भारी कर्जा लदा हुआ है। इस लिए उन को और हरिजनों को सरकार को कर्जे के रूप में मदद करनी चाहिए। आज भी उनको प्राइवेट मनीलेन्डर्स से बड़ी ब्याज पर कर्जा लेना पड़ता है।

इस प्रकार से जो भी सुझाव दिये गये हैं, वे सब बहुत अच्छे सुझाव हैं मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी उन सुझावों पर ध्यान देंगे। मेरा खयाल है जब तक गवर्नमेंट अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलती, अपने सिद्धांत को नहीं बदलती, जब तक वह यह साफ नहीं बताती आया वह पूंजीवाद को सहायता देना चाहती है या अपने सोशलिस्टिक पैटर्न के नारे को आगे ले चलना चाहती है। तब तक इस कोआपरेटिव विभाग को कामयाबी नहीं मिल सकती। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है सरकार को जरूर उस ओर ध्यान देना चाहिए। अफसरों, नान आफिशियल्स को भी जो उसमें भाग लेते हैं, सबको ट्रेनिंग देनी चाहिये। अगर आप सच्चे समाजवाद को पनपने देना चाहते हैं, आर्थिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं, उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, कोआपरेटिव्ज की उन्नति करना चाहते हैं तो यह तभी हो सकता है जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलें, गवर्नमेंट की पालिसी में चेंज करें। लेकिन इस ओर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे समाज की रचना तभी बदल सकती है, जन जीवन में तभी तब्दीली हो सकती है, जब कि सरकारी नीति में तब्दीली होगी। यह खुशी की बात है कि रिजर्व बैंक से कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कामयाबी तभी होगी, जब कि सरकार की अर्थ नीति में तब्दीली होगी। मेरे खयाल से तब तक सहकारिताका काम गवर्नमेंट के जरिये से कामयाब नहीं हो सकता। जनता के सहयोग लेने में सरकार की ओर से दिक्कत पैदा की जाती है। जो काम जनता के जरिये से किया जा सकता है, उसमें इलगत नीति अपनायी जाती है। इस दृष्टिकोण के कारण सरकार कार्य को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। यही वजह है कि कोआपरेटिव का मूवमेंट कामयाब नहीं हो रहा है। यह कामयाबी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सरकार अपनी नीति को नहीं बदलती। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

श्री मंगलाप्रसाद—माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस विभाग के लिये बहुत से सुझाव दिये और जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मैं लाभ उठाने का प्रयत्न करूंगा और उम्मीद है कि शायद जो बातें उन्होंने कही हैं उनके कहने का आइन्दा साल उनको मौका न होगा। जो भी मूवमेंट (movement) आगे बढ़ता है उसके बारे में हमेशा कुछ कहने का और सुझाव देने का मौका रहता है इसलिये आइन्दा भी अभी काफी कहने का मौका रहेगा इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

आडिट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं और गन्ने और केन सोसाइटीज के बारे में भी कहा गया हालांकि उन चीजों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे मालूम होता है कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को कोआपरेटिव के सम्बन्ध में अधिक मालूम नहीं है इसलिये मैंने अब तय किया है कि मैं एक पैम्फलेट छपवा कर इस विभाग के वर्किंग के बारे में सब माननीय सदस्यों के पास भिजवा दूं ताकि उनको मालूम हो जाय कि यह विभाग किस तरीके से काम कर रहा है और उसका कितना स्कोप है और क्या क्या लाभ और नुकसान या प्रगति विभाग ने की है? मिसाल के तौर पर हमारे यहां मार्केटिंग फेडरेशन और यूनियन अलग हैं, यूनियन अपने यहां सुपरवाइजरों का एप्वाइमेंट, ट्रांस्फर वगैरा अलग करती हैं और हमसे उस का ताल्लुक नहीं होता। इसलिये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मालूम होता है माननीय सदस्यों को वाकफियत नहीं है, बहुत से साथियों ने केन के बारे में कहा, उसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है, शुगर फैक्टरीज से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये उस पैम्फलेट से मैं माननीय सदस्यों को पूरी वाकफियत कराने का इरादा कर रहा हूं।

आडिट के सिलसिले में मैं कहूंगा कि हमने तय किया है कि इस सम्बन्ध में थोड़ी और सख्ती से काम लिया जाय और वह इस माने में कि अक्सर यह होता है कि सोसाइटीज का आडिट हो जाता है और उसके साल या डेढ़ साल के बाद भी गबन आदि पकड़े जाते हैं। तो इन हालतों में भी जब हमें मालूम होगा कि ऐसा हुआ है तो हम उस सुपरवाइजर या आडिटर के खिलाफ जिसके जमाने में गबन हुआ सख्त कार्यवाही करेंगे। अभी तो हमारा काम आगे बहुत बढ़ने वाला है। हमारे बैंक्स की हालत जो दो तीन बरस पहले थी उस से आज हमारा वर्किंग कैपिटल ढाई तीन गुना अधिक बढ़ गया है, इस साल काफी रुपया बढ़ रहा है। हमारा साल जून में खत्म होता है। ६० लाख का शेयर मनी इस साल जून तक बढ़ जायेगा। १ करोड़ ८० लाख का डिपाजिट्स भी इस साल बढ़ जायगा जबकि ७५ लाख हमसे निकल गया है। क्योंकि हमारा मार्केटिंग का काम बढ़ रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन और बनेंगे इस वास्ते अभी जरूरत इस बात की है कि कोई खास तरह का आडिट का इंतजाम हो जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं की जांच करे, जिसकी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सी हों और ५५० रुपये के ग्रेड के वे आदमी हों, उनकी बैंक के एकाउन्ट्स देखने की कोई क्वालिफिकेशन हो ताकि वह सही तरीके से देख सकें। तभी हमारी यह पोजीशन हो सकती है कि हम देख सकें कि गबन न हों और जो हों उन में हम सख्ती के साथ रुकावट डाल सकें। हम चाहते हैं कि जो सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर वगैरा गबन आदि के जिम्मेदार हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था कि हम एक नान-आफिशियल सेक्रेटरी भी बनाने जा रहे हैं जब कि अब डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर ही सेक्रेटरी होता है। हमारे कुछ भाइयों ने यह कहा कि और प्रदेश हम से काफी आगे बढ़े हुये हैं और हम बहुत पिछड़े हुये हैं। यह बात सही है लेकिन जब से इस काम को संभाला है तब से हमारी कितनी प्रगति हुयी है, इस पर आप हमको जज करें। जहां तक बम्बई और मदरास का सवाल है २५ साल से वहां उस जोर से काम हो रहा है जिस जोर से आज आपने इस काम को शुरू किया है। वहां के बड़े बड़े लोग जो हो सकते थे इन दोनों प्रान्तों के वे इसमें आगे थे। वहां मूवमेंट चलाया नान आफिशियल्स ने और यहां मूवमेंट आफिशियल्स ने चलाया। मैं सारे प्रान्तों में कोआपरेटिव का काम देख आया हूं और मदरास व बम्बई को छोड़ कर यू०पी० से अच्छा कोई नहीं है काम करने में। मैं किसी प्रान्त के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जहां कुछ बातों में मदरास और बम्बई यू० पी०

से आगे बढ़े हुये हैं वहां यू०पी० भी कुछ बातों में इन दोनों से आगे बढ़ा हुआ है। बम्बई अगर ४ वर्ष पहले ४६·२ परसेंट डिमांड मीट करता था उस वक्त हम ४ परसेंट करते थे। और अब बढ़ कर ११ परसेंट तक पहुंचे हैं और इन ५ वर्षों के अन्दर हमारा ध्येय है कि ४० परसेंट जो इस सूबे की डिमांड है उसको पूरा करेंगे। इससे अधिक आप हमसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। जितनी जोरों से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस अवस्था में हमको यह चीज मिली थी उससे अगर आप जज करने का प्रयत्न करेंगे तो आसानी होगी वर्ना आपको दिक्कत होगी।

कुछ लोगों ने कहा कि इंस्पेक्टर्स का हेडक्वार्टर गांव में होना चाहिये। हमने यह तय किया है कि जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं वह जहां उनका हल्का है वहीं जाकर रहें, अगर नहीं रहते हैं तो सख्त कार्यवाही की जायगी।

एक बात और कही कि ड्राट हो या फ्लड जब आ जाता है उस वक्त किसान बरबाद हो जाता है कोआपरेटिव की तरफ से जो कुछ उसको दिया जाता है वह उसके बाद वसूल होता है तो वह बिलकुल बरबाद हो जाते हैं इसके लिये गवर्नमेंट अपना लगान माफ कर देती है। इस पंचवर्षीय योजना में इसका भी प्राविजन है और ४० लाख रुपया रक्खा गया है कि जो अनफोरसीन कैलेमेटीज आ जायं किसानों के ऊपर तो इस फंड से समझ-बूझ कर कुछ हद तक उनको माफी हो।

मार्केटिंग ऐक्ट मुझे तो पता नहीं चला है कि उसको लाने का प्रयत्न किया जा रहा है और वह सप्लाई डिपार्टमेंट से लाया जायगा। जहां तक हमारे ऐक्ट का सवाल है उसकी हैसियत यह है कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने उसे पास करके, मंत्री महोदय ने उसे देख कर लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास भेज दिया है लेकिन इतना काम लीगल डिपार्टमेंट में है कि अभी वह तैयार नहीं हो पाया है। हमारी कोशिश और प्रयत्न है कि वह जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--पार साल भी तो यही बात कही थी।

श्री मंगलाप्रसाद--फर्क यह है कि पारसाल स्टैंडिंग कमेटी से पास नहीं हुआ था और न मंत्री महोदय ने उसे देखा था और न लीगल डिपार्टमेंट में गया हुआ था। अब फर्क इतना है कि सब काम हमने कर दिया है और वह लीगल डिपार्टमेंट में चला गया है।

एक साहब ने कहा कि ब्रिक्स का रेट ऊंचा है और व्यक्तिगत लोग जो बेचते हैं वे सस्ते पर बेचते हैं। व्यक्तिगत तरीके से हम काम नहीं कर सकते। जो कीमत फिक्स की जाती है वह जिलाधीश फिक्स करता है। व्यक्तिगत बेचने वाले मौके पर ज्यादा भी ले लेते हैं लेकिन हम हमेशा एक ही भाव पर बेचते हैं। जहां पर ४०, ४५ रेट था उसको हमने नीचा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर कम करना चाहेगा तो कम कर देंगे लेकिन इस तरह से पलक्चुएशन हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे काम में गड़बड़ी होगी। रोजगार के बहुत से ढंग लोग नहीं समझते। तरह-तरह की बातें वहां की जाती हैं। एक चीज सस्ते में बेच दी जाती है और चीज कुछ और दी जाती है, वह हम नहीं करते। हम एक रेट फिक्स कर देते हैं और उसी पर देते हैं और वही मुनासिब है वर्ना आपकी शिकायत और बढ़ जायगी।

रेट आफ इंट्रेस्ट के बारे में लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा है। इस बात की कोशिश की कोशिश की जा रही है कि बजाय ८, ९ परसेंट के सवा छः परसेंट कर दें। जो बैंक्स अभी हैं उनका टर्नओवर इतना कम है कि अगर बहुत कम सूद कर दें तो उनका काम नहीं चलेगा, वे घाटे में चलने लगेंगे और जो पैसा डिपाजिट करने वाले हैं वे पैसा डिपाजिट नहीं करेंगे। जैसे-जैसे हमारे बैंक्स की हैसियत बढ़ती जायगी वैसे-वैसे हम सूद को कम करते जायेंगे। एक बात और है हमको पैसा डिपाजिट के लिये लोगों से लाना पड़ता है उसके लिये हमको डेविडेंड देना पड़ता है। लाखों रुपये जमा होते हैं और उस पर ४ या ५ परसेंट डिविडेंड देते हैं अगर न दें तो बैंक में पैसा आयेगा नहीं। ४, ५, ६ करोड़ का काम करते हैं और १० करोड़ का टर्न ओवर होता है तो ४, ५ लाख बचा लेना

[श्री मंगला प्रसाद]

कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन डिविडेंड देने के बाद इतना बचता नहीं। इसलिये मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गये होंगे। जैसा मैंने कहा कि कुछ ही दिन में ६ १/४ परसेंट सूद सदस्यों के लिये होने वाला है। मैंने यह भी बताया कि पौने तीन परसेंट तक सूद ले आयेंगे। रिजर्व बैंक का पैसा मिलने वाला है, यू०पी० कोआपरेटिव बैंक का पैसा है, दोनों का मेला मिल जायगा तो पौने तीन परसेंट तक हम पहुंचाने वाले हैं, फिर तो कोई शिकायत की बात आपको न रहेगी। यही मैंने पहले कहा था अगर माननीय सदस्यों ने इसे सुना होता तो दोहराने की जरूरत न होती।

कहा गया कि इंडिविजुअल्स को रुपया दिया गया। यू०पी० कोआपरेटिव बैंकिंग में करोड़ों रुपये का उधार दिया जाता है। उसमें दो तीन लाख रुपया इंडिविजुअल्स को दिया गया है। जो फिक्स्ड डिपोजिट पर रुपया रखता है, और जिस किसी ने ५ हजार जमा किया और एक हजार की उसको जरूरत हो तो हम न दें तो यह कौन सी बैंकिंग होगी? अगर एक हजार रुपया मांगता है तो ६ परसेंट पर दे देते हैं। थोड़े से ही इंडिविजुअल्स को पैसा दिया जाता है। बड़े-बड़े शुगर मर्चेन्ट्स ने हमसे ७, ८ लाख रुपया ७ प्रतिशत पर मांगा लेकिन हमने उनको नहीं दिया क्योंकि हमारा फर्ज है प्राइमरी मेम्बर्स को पहले रुपया देना। इस तरह से इंडिविजुअल्स को हम नहीं देते। १ परसेंट इंडिविजुअल्स को देते होंगे, ९९ परसेन्ट सोसाइटीज के मेम्बर्स को देते हैं।

यह कहा गया कि कोआपरेटिव किसी खास पिछड़ी जगह खोल दिये जायं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस ५ वर्ष के अन्दर एक गांव नहीं बचेगा जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज न खुल जायं। अगर कोई माननीय सदस्य चाहते हों कि उनका पिछड़ा हुआ इलाका है, उनके यहां पहले खुलना चाहिये तो मैं प्रयत्न करूंगा कि उनके यहां पहले खोली जाय। लेकिन शर्त यह है कि हर जगह अच्छे काम करने वाले मिलने चाहिये। जहां अच्छे काम करने वाले मिलेंगे वहां पहले काम शुरू कर देंगे। एक ऐसे पिछड़े इलाके में अगर कोई काम करने वाला मिलता है, उसमें दिलचस्पी लेता है तो बड़ी खुशी की बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं। वहां जितनी जल्दी हो सकेगा काम शुरू कर दिया जायगा।

यह कहा गया कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और केन कोआपरेटिव और यह कोआपरेटिव जैसा कि बहुत और सूबों में है वैसे ही यहां भी कर दिया जाय। यह गवर्नमेंट के विचार करने की बात है और मेरे खयाल में गवर्नमेंट विचार करेगी और जो निर्णय होगा उस पर कार्यवाही हो जायगी।

मेरा ख्याल है कि जितनी बातें कही गयीं सब का थोड़ा बहुत मैंने जवाब दे दिया। मैंने किसी के नाम से जवाब नहीं दिया क्योंकि एक-एक आदमी ने बहुत सी बातें कहीं और सबका जवाब देना मुश्किल है।

मैं फिर अन्त में यही कहूंगा और अपील करूंगा कि सहकारिता से इस देश की आर्थिक दशा दुरुस्त होने वाली है, इसमें सब लोग लग जायं। यदि मैं सोशलिस्ट पैटर्न के ढांचे पर बात करने लगूं तो काफी समय लग जायगा और समय की कमी है ही।

कुछ साहबान ने यह कहा कि इस पर कोई लम्बी बहस होनी चाहिये। मैं उन सबको दावत देता हूं कि जो सदस्य इस पर बहस करना चाहते हैं वह हमारे पास बैठ कर एक-एक आइटम पर घंटे दो घंटे अगर आप बहस करना चाहें, चार घंटे करना चाहें तो उसके लिये कोई समय निर्धारित करके हमारे कमरे में, नहीं तो किसी हाल में, इस मसले पर बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों को पूरी जानकारी हो और जहां हमारी तरफ से कमी हो वह भी दूर हो। जो यह सुझाव दिया गया है मैं उनको वेलकम करता हूं।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि सदन में इस अनुदान के ऊपर जो सुझाव दिये गये उनके लिये मैं आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--सहकारिता के आधार पर ऋण (लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता), के अन्तर्गत १,०६,८५,३०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

समाचार पत्रों में ५ बजे के बाद की कार्यवाही न छपने के संबंध में शिकायत

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--श्रीमन्, मैं एक दो मिनट में एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जब सदन का समय पांच बजे के बाद बढ़ता है तो आमतौर पर प्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनको कठिनाई होती है और डर यह रहता है कि पांच बजे के बाद जो कार्यवाही होती है वह अखबारों में नहीं छपती। तो इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां के आडिटर्स को कुछ हिदायत दें या तो दूसरे शिफ्ट का प्रबंध कर दें, आमतौर से पत्रकार तीन घंटे बैठते हैं और बात में बिलकुल ब्लैक आउट हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप आज ही व्यवस्था दे दें। इस सम्बन्ध में आप प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे यह सुविधा हो जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं बात तो करूंगा लेकिन पैसे का बोझा किसी के ऊपर नहीं लादूंगा क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है उनकी। इस विषय में मैं उनसे बातचीत कर लूंगा और देखूंगा अगर कोई तरीका निकल सके।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--इंजीनियरिंग संस्थायें

***वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)**--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--इंजीनियरिंग संस्थाएं (लेखा शीर्षक १८) के अन्तर्गत ६३,४२,२०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

इस अनुदान के लिये केवल आध घंटा का समय है और मैं नहीं चाहता कि सदन का किसी भी प्रकार से समय लूं। लेकन दो तीन बातें जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है निवेदन कर देना चाहता हूं। इस अनुदान को हमने दो हिस्सों में बांटा है। अब तक जो अनुदान यह आता था, उसमें केवल रुड़की यूनिवर्सिटी थी। अब यह अनुदान इंजीनियरिंग संस्थाओं के नाम से चलेगा। पहला हिस्सा इसका रुड़की यूनिवर्सिटी का है। यह यूनिवर्सिटी काफी दिन से चली आती है। १९४९ में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसमें बहुत से विद्यार्थियों को इस देश की सेवा करने के लिये निकाला गया है। इस यूनिवर्सिटी में १९४९ से लेकर आज तक बहुत सी तब्दीलियां हुयी हैं। सरकार यह चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी को अधिक से अधिक ऊंचे पैमाने पर लाया जाय। इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ पैसा रखा गया है जिसमें हम यह चाहते हैं कि वहां की लाइब्रेरी सुधरे, और ऊंचे से ऊंचा कोर्स जो टेक्निकल एजूकेशन के लिये हो सकता है हम वहां उसको पूरा करें। तो इसमें, पंचवर्षीय योजना के आधार पर २२१ लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें ५६-५७ के बजट में तीन लाख रुपये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मसिंह]

के करीब इस तरीके से वहां पर खर्च होगा। दूसरे आइटम का जहां तक सम्बन्ध है हमारे यहां बहुत से टेक्निकल स्कूल्स चल रहे हैं और जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों को पता है इस बात का, लखनऊ में भी दो स्कूल चल रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्कूल और हैवेट इंजीनियरिंग स्कूल। यद्यपि ये सरकारी स्कूल नहीं उनको भी सहायता दी जाती है। सिविल इंजीनियरिंग स्कूल में इसी वर्ष टेक्निकल असिस्टेंट का एक कोर्स स्थापित किया गया है। उसी के आधार पर एवं दूसरा कोर्स रुड़की में टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से खोला गया है। हमें अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये टेक्निकल आदमियों की आवश्यकता है। गांवों में सड़कें, पुल और मकान बनाने के लिये टेक्निकल आदमियों की आवश्कता है। इसके अतिरिक्त यदि हम पी० डब्लू० डी० और इर्रीगेशन के मुहकमों की तरफ देखें तो चारों तरफ टेक्निकल आदमियों का अभाव है। इसी के आधार पर हमने अभी पिछले वर्ष ही, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हाथरस में कम्प्यूटर्स और सर्वेअर्स आदि को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। यह लोग जो निकलेंगे इनके द्वारा पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका अधिक समय लूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ इसके सम्बन्ध में सुझाव आयेंगे उनको सरकार परिणत करने का प्रयत्न करेगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। इस अनुदान के सम्बन्ध में प्रथम बात नामकरण की आती है। इसका नाम बदल दिया गया है। पिछले साल तक इस अनुदान का नाम रुड़की इंजीनियरिंग के ग्रान्ट के रूप में था। इस वर्ष इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम पर यह सारी रकम दी गयी है। मुझे इस नाम के विरोध में कुछ नहीं कहना है कि नाम का क्यों परिवर्तन किया गया। केवल इतना ही निवेदन करना है कि जितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में खोले जा रहे हैं वह आवश्यकता को देखते हुये अत्यन्त ही कम हैं। जहां तक नये इंस्टीट्यूशंस खोलने का प्रश्न है दो इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं। एक गोरखपुर में और दूसरा रामगढ़ बनारस में। इस बात को देखते हुये चार ऐसे नये केन्द्र खोले जाने वाले हैं जिनमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन०ई०एस० ब्लाक्स के लिये टेक्निकल असिस्टेंट्स को ट्रेनिंग दी जाय, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह चार सेंटर्स कहां खोले जायेंगे। एक सेंटर रुड़की यूनिवर्सिटी में खुल सकता है और एक सिविल इंजीनियरिंग स्कूल में। लेकिन बाकी चार सेंटर अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, मैं चाहूंगा कि जब यह स्थान नियत किये जायं तो रीजनल पैमाने पर ये खोले जायं जैसे एक केन्द्र बुंदेलखंड क्षेत्र में खोला जा सकता है। एक केन्द्र आगरा डिवीजन में खोला जा सकता है और एक केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र में खोला जा सकता है ताकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुये एक ओर वहां पर रोजगार मिल सके और दूसरी ओर जो वहां के भूगोल से परिचित लोग हैं वह शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इसमें रुड़की विश्वविद्यालय के लिये १ करोड़ रुपये की योजना का जिक्र किया गया और ५ मदें बतलायी गईं जिनमें रुपया अनावर्तक और आवर्तक के रूप में बांटा जायगा। लेकिन हमको यह पता नहीं चलता कि रुड़की युनिवर्सिटी की किस मद में कितना रुपया खर्च होने वाला है। और जो मेमोरेन्डम हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें बतलाया जाता है कि रुड़की युनिवर्सिटी में जो रुपया दिया जा रहा है इसमें से कितना व्यय रिसर्च के लिये होगा, कितना प्रशिक्षण के लिये, कितना लाइब्रेरी के लिये होगा, इसका कोई अन्दाजा बजट ऐस्टीमेट्स से हमको नहीं चलता। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि रुड़की विश्वविद्यालय का बजट रुड़की सिन्डीकेट, ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल बनाता है। मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब सदन रुपया स्वीकृत करता है और योजना के नाम पर स्वीकृत करता है तो योजना का रूप क्या है, योजना के नाम पर कितना धन उस संस्था को देने जा रहे हैं, यह अवश्य स्पष्ट होना चाहिये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और भी है ७२ हजार रुपये की एक मद नान-प्लान आइटम के रूप में रखी गई है जो रुड़की युनिवर्सिटी के विकास के शीर्षक में लिखी गई है। मैं नहीं जानता कि यह नान-प्लान आइटम के रूप में ७२ हजार की क्यों मांग की गई है। इसको भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो २३ लाख ६५ हजार की रकम मांग की गई है उसी में इसको भी शामिल करना चाहिये। एक एरोमाडल क्लब खालने की योजना बनाई जाय लेकिन उसकी योजना स्पष्ट नहीं। एक ऐसी योजना जिसका रूप स्पष्ट नहीं है उसके लिये रुपया मांगना कहां तक उचित है यह मंत्री जी जानें। इसमें लिखा हुआ है--

"परन्तु इस योजना के वास्तविक रूप से स्वीकृत होने से पहले व्यय की सविस्तार जांच की जायगी।"

यानी अभी जांच नहीं हुई। योजना के स्वीकृत होने से पहले लिखा है। तो जांच के लिये रुपया नहीं मांगा गया आप योजना के लिये रुपया मांग रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजना को बजट में स्थान दे दिया जाना उपयुक्त नहीं है। इसकी उल्लेखनीय बात यह भी है कि हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल के लिये इस वर्ष कोई सहायता नहीं रखी गयी। पिछले वर्ष करीब ६३ हजार रुपये की रकम सहायता के लिये रखी गयी थी। लेकिन इस वर्ष कोई सहायता नहीं दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कारण को स्पष्ट करे। आवश्यकता तो इस बात की थी कि राजधानी में दो प्रमुख इन्स्टीट्यूशन्स ओवरसियर की ट्रेनिंग के लिये हैं। इनका सरकार उचित नियंत्रण करे। आज कम से कम हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल काफी अव्यवस्थित है। सन् १९५०-५१ में एक कमेटी बैठायी थी सरकार ने जिसने हीवेट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट दी थी जो ३५० सफ़े की थी। उसके अनुसार सरकार को कमेटी बनानी थी जिसमें कुछ ऐक्सपर्ट्स रखने थे। वहां अपने कुछ सदस्यों को नामजद करना था। लेकिन आज इन स्कूलों के नियन्त्रण की ऐसी हालत है जो अत्यन्त ही खेदजनक कही जा सकती है।

मैं एक मिसाल हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल की देना चाहता हूं। मेरी सूचना के अनुसार एक डायरेक्टर आफ स्टडीज़ की नियुक्ति की गई है जो पढ़ाते तो नहीं हैं लेकिन १,५०० रु० माहवार उनको तनख्वाह मिलती है। उसके सम्बन्ध में श्रीमन्, कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिशें भी हैं। मैं केवल उदाहरण के लिये किस प्रकार बदइन्तजामी हो रही है, मैं चाहता हूं कि उसके प्रबन्ध की पूरी जांच हो। १४ विद्यार्थी हीवेट इंजीनियरिंग कालेज में फ़रवरी, १९५६ में भर्ती किये गये जब कि जुलाई में भर्ती होती है और मार्च में इम्तहान होने जा रहा है। जो रुपया हेविट इंजीनियरिंग कालेज के बजट का है वह व्यक्तिगत खर्च के लिये कहा जाय। जो डाइरेक्टर आफ स्टडीज़ हैं उनके लिये कार खरीदने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। अध्यापक, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, बिल्डिंग खराब है लेकिन फिर भी इस प्रकार अंधाधुंध खर्च केवल एक व्यक्ति को जहां तक मुझे सूचना है इस प्रकार कर रहे हैं। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल के इस प्रकार के प्रबन्ध की पूरी पूरी जांच हो। यहां तक सुनने में आया है कि जो वहां हास्टल की बिल्डिंग है उसको स्कूल के एकाउण्ट में ४५० रुपये माहवार किराये पर बताया गया है जब कि उसका किराया १०० रुपया माहवार है और ३५० रुपये का इस तरह गोलमाल किराये में होता है। तो इस तरह की अनेक बातें हैं। मैं सारे ब्योरे में नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इन सब बातों का ज्ञान होगा। अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुये और टेक्निकल जानकारी रखने वाले कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुये, ओवरसियरों

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इंजीनियरों, टेकनिकल असिस्टेंट के रूप में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं की या और भी ग्राम सेवकों के रूप में कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता को देखते हुए टेकनिकल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना बनायी जानी अत्यन्त आवश्यक है। मैं निवेदन कर रहा था कि जितनी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यकतायें हैं कर्मचारियों की, प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए कर्मचारियों की उसको देखते हुये जो वर्तमान अनुदान है वह अत्यन्त ही कम है। केवल ६३ लाख रुपये की रकम इसमें रखी गयी है जिसमें से आधे से ज्यादा रकम केवल रुड़की विश्वविद्यालय के लिये है। तो मैं यह मांग करूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जैसी भी है उसकी आवश्यताओं को पूरा करना है तो इस न्यूनतम बजट से काम बनने वाला नहीं है। आपको और भी अधिक इंस्टीट्यूशंस खोलने होंगे, और भी अधिक संस्थायें खोलनी होंगी और उनका प्रबन्ध सुचारु रूप से चलाना होगा।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, यह टेक्निकल इंजीनियरिंग स्कूल्स जो हमारे इस उत्तर प्रदेश में हैं उनकी बाबत जो बातें मैंने सुनीं उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अभी हमारे दोस्त को यह मालूम नहीं है कि उनके और सरकार के बीच में क्या सम्बन्ध है। रुड़की यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस यूनिवर्सिटी को सरकार की ओर से पूरा खर्चा दिया जाता है बतौर ग्राण्ट के और दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको पूरा खर्चा सरकार नहीं देती है बल्कि ग्राण्ट्स उनको दे देती है। लेकिन जहां तक कि यूनिवर्सिटी होने की हैसियत है वह कोई सरकार का मुहकमा इंजीनियरिंग का जैसे पी० डब्ल्यू० डी० या इरीगेशन या एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ऐसा मुहकमा नहीं है और वहां पर जो इन्तजाम करने वाली जमातें हैं, सिन्डीकेट है, सिनेट है, वाइसचांसलर हैं, वह उस तरीके पर जिस तरीके पर कि दुनियां में यूनिवर्सिटीज के काम करने वाले आजाद होते हैं, आजाद है और यह सरकार उनको सालाना रुपया देती है। तो हम उनसे यह मांग करें या वह तवक्को करें जैसा कि हमारे दोस्त चाहते थे कि एक कारिन्दे से जैसे कोई एक मिलओनर हो या जमींदार होते थे वह एक-एक पैसे का हिसाब देखते थे बही-खाते में लिखा हुआ कि किस-किस चीज में कितना-कितना खर्च हुआ, कितने का तम्बाकू आया, कितने रुपये का गेहूं आया, यह उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। न उनके साथ यह बर्ताव किया जा सकता है कि सरकारी मुहकमें का जिस तरीके से हिसाब होता है उस तरीके से सरकार उस हिसाब को लेकर के दुनिया के सामने उसको पेश करती फिरे। वैसे तो उनके साथ वही बर्ताव किये जा सकते हैं जो एक यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिये और जिस माकूल हद तक उसको इस सदन के सामने रखा जा सकता है उसको रखा गया है और उसी तरीके से रखा जाता रहेगा। रुपया जैसे सेकेण्ड प्लान के लिये कम दिया गया तो उसका मुझको अफसोस है और उससे बहुत ज्यादा रुपया उस यूनिवर्सिटी में और इंजीनियरिंग की तालीम की जरूरत को देखते हुये होना चाहिये था, मगर मौका नहीं है जितना दिया जा सका उतना दिया गया। यहां पर जो स्कूल्स हैं हार्वेट इंजीनियरिंग स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, इनके सम्बन्ध में भी चर्चा सुनी। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी। सही बात है और बहुत पुरानी बात है उस कमेटी को बैठाये हुये और उसको रिपोर्ट दिये हुए बहुत दिन हो गये, बहुत मुद्दत हो गई और उनमें से जिस-जिस काम को सरकार ने समझा कि वे उन स्कूलों में किये जायं वह उन स्कूलों में सरकार ने कराने की कोशिश की। लेकिन जानना यह चाहिये कि वे सरकारी स्कूल नहीं हैं और एडेड स्कूल में जैसा कि एजूकेशन डिपार्टमेंट में होता है उनके लिये नहीं कहा जा सकता है। इसलिये कि सरकार उनको मुस्तकिल तौर पर इम्दाद नहीं देती। मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि इस साल में जो चल रहा है जो ३१ मार्च को खत्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा उसमें उन तमाम स्कूलों को देने के लिये रुपया रखा गया था परन्तु अगला जो साल है, जिसका यह बजट पेश है उसके अन्दर कोई रुपया नहीं रखा गया है । इसी से यह जाहिर है कि उनको हम कोई मुस्तकिल इम्दाद नहीं देते हैं और इस वक्त तक चूंकि इस स्टेट के अन्दर सिवाय इन दोनों स्कूल्स के और रुड़की यूनिवर्सिटी के और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी । तो यहां कोई ऐसा सेट अप नहीं तैयार था जैसा कि एजूकेशन डिपार्टमेंट में तालीम का सेट अप मौजूद है जिसमें कि कोई एजूकेशन बोर्ड मुकर्रर होता, कोई रिकग्नीशन का काम करता है, कोई कुछ करता है, ऐसा कोई सेट अप नहीं था लेकिन अब इन दोनों स्कूलों के लिये जिनकी चर्चा मेम्बरान ने सुनी और जो इधर-उधर काम हुये हैं और काम हो रहे हैं टेक्नीकल तालीम देने के लिये, ओवरसियर्स, कम्पूटर्स और ड्राफ्ट्समैन वगैरः तैयार करने के लिये तो वह और आगे होंगे भी और अभी तक हुये भी हैं । तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको जरूरी समझा अब उसका एक बोर्ड कायम करने का इरादा किया जिसकी कुछ चर्चा मैंने अपनी बजट स्पीच में कर दी और कुछ गवर्नमेंट ऐसा कायदा भी बनायेगी जिनके मुताबिक उन इंस्टीट्यूशंस को जिनको गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद दी जाय उन पर कंट्रोल रखने के लिये जरूरी होता है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट ने जो कायदा रखा है उसी तरह से उनके लिये कुछ कायदे बनाये जायेंगे और उनके ऊपर आइन्दा कुछ शर्तें लगा कर उनसे काम लिया जाय ताकि यहां के रहने वालों को जो वहां पर तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको अच्छी तालीम हासिल हो । उनमें जो बदनामी के जरिये से आप दिक्कतें कह सकते हैं उस किस्म की दिक्कतें पेश न आया करें । मगर इस वक्त तक ऐसा कोई सेट अप नहीं था इसलिये उनसे यह तवक्को करना जैसा अभी कुछ बातें मैंने सुनीं लेकिन गवर्नमेंट को उस पर दखल देने का हक नहीं था । कुछ तालिबइल्म दाखिल वहां किये । मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह खबर गलत होगी । इम्तहान होने वाला है और उसमें रिकग्नीशन रुड़की की तरफ से दी हुई है कि वहां के पढ़ने वाले वहां इम्तहान में बैठ कर अगर पास हो जायं तो उनको सरकारी नौकरी में लेजीबिल समझा जाय । इतना स्टेटस मिला हुआ है । हमारे सदन के सदस्य अगर ऐसा समझें कि गवर्नमेंट उस की हर चीज पर निगाह रखे और उसके बारे में बिल्कुल अख्तियारात वही रखते हैं उस किस्म की बात वहां के लिये नहीं सोच सकते । इस वक्त वह नहीं है आइन्दा हो जाय इसको मैं इन्कार नहीं कर सकता । बाकी अपनी ओर से एक बात अर्ज किया चाहता हूं कि आज इस हिन्दुस्तान में जब कि यहां पर विकास का काम हो रहा है अगर कोई सोचे तो जितनी जरूरत हमको इंजीनियरिंग तालीम की है उतनी हमारे यहां नहीं है । अभी मेरे दोस्त फर्मा रहे थे अपनी तकरीर में कि पंचवर्षीय योजना में जो इन्तजाम टेक्निकल ट्रेनिंग देने का रखा गया है, अगर मैं सही समझा, तो उन्होंने यह फरमाया कि वह काफी नहीं है, यह बात नहीं है । पंच वर्षीय योजना के लिये जितने ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत है उसका तो मुस्तकिल इन्तजाम हमने किया है, और उतना ही किया है जितना कि होना चाहिये । लेकिन उसके साथ एक बात और है । हमारे लिये सिर्फ दूसरी पंचवर्षीय योजना ही तो नहीं है । हमारा तो एक भविष्य है और उन तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिये एक और बात है । एक प्लान के तैयार करने में या एक प्लान के मुताल्लिक तजवीजें करने में इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि सिर्फ उस प्लान के ही अन्दर जितनी जरूरत हो उतनी ही पूरी न हो, बल्कि आइन्दा ५, १०, २० साल के अन्दर भी जो जरूरतें पेश आने वाली हैं उनका भी कुछ न कुछ इन्तजाम हो । उस लिहाज से अगर देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस काम के लिये इस बात की जरूरत महसूस होगी कि कोई इंजीनियर हो । तो इस लिहाज से इंजीनियरिंग की तालीम तो ऐसी चीज है और हमने जो रुड़की को यूनिवर्सिटी बनाया वह सहज इस गरज से बनाया है कि यह पुराना इंस्टीट्यूशन हमारे यहां का है जिसने दुनिया में पहले नाम पैदा कर रखा है और आइन्दा चल कर हमारी कोशिशों से और जो तरक्की हम दें उसके जरिये से वह एक ऐसा

[हाफिज़ मुहम्मद इबाहीम]

इस्टीट्यूशन हो जाय कि दुनिया में जिस किसी किस्म की तालीम इंजीनियरिंग की होती हो उस सब का इन्तजाम उस में हो और मुल्क की जितनी जरूरतें हों वे सब उसके जरिये पूरी होती जायं तो इस किस्म की वह यूनिवर्सिटी है। इसमें हम कैसे इन्तजाम करते चले जा रहे हैं, कोर्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका बाहर के मुल्कों से संबंध बढ़ता चला जा रहा है। वहां के प्रोफेसर्स आते हैं और लेक्चर्स देते हैं और दो-दो वर्ष तक रह रहे हैं। तालीम दे रहे हैं और इंतजाम किया जा रहा है और अब एक ख्वाहिश है कि जो इन्स्टीट्यूशंस हैं उनकी हालत अच्छी की जाय। जहां गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक स्कीम टेक्नीकल एजूकेशन की जारी की। गवर्नमेंट आफ इंडिया मदद दे और इस गवर्नमेंट की तरफ से भी सहायता हो और जो इंस्टीट्यूशन्स स्टेट्स में हैं उन स्टेट्स की तालीम बेहतर बनाई जाय। उनको जो आजादी है वह आजादी वैसी न रहे बल्कि किसी किस्म का कंट्रोल हो और जिस लेजीटीमेंट कंट्रोल को रखना इंस्टीट्यूशन की जरूरत को देख कर और उसको बेहतर चलाने के वास्ते जरूरी मालूम होता हो वह रखा जाय। उसके इंतजाम के लिये दो तिहाई खर्चा वह दे और एक तिहाई हम दें। इसके अलावा जो टेक्नीकल असिस्टेंट्स की ट्रेनिंग खुली है वह यहां भी है और रूड़की में भी है। इसी साल से शुरू हो रही है। जहां तक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन्स का ताल्लुक है वह तरक्की करते चले जायंगे। लेकिन इसके साथ-साथ यह जरूरी है कि यह तवक्को होना चाहिये कि हमें अपने सिर पर ज्यादा जिम्मेदारी का बोझा लेना मुनासिब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ गये हैं कि हमें इस तालीम को तरक्की देना है तो सरकार को इस मामले में मदद मिलनी चाहिये। इससे मेरा मुराद यह है कि इलाहाबाद में इंजीनियरिंग स्कूल ओवरसियर्स की ट्रेनिंग के लिये खोला गया है। इसके कायम करने में कई लाख रुपया खर्च हुआ। उसके लड़के रूड़की में इम्तहान देंगे और जो पास होंगे उनको सनद मिलेगी और नौकरियां मिलेंगी। ऐसे ही एक साहब ने खुर्जा में खोला है और मैं मेम्बर साहबान का मश्कूर हूं और हमें उनसे मदद मिली है और किसी ने जगह दी और किसी ने रुपये से मदद दी है।

ऐसे ही मेरे दोस्त कह रहे थे कि इस सूबे को रीजन्स में बांट कर स्कूल खोलने चाहिये। यह तो मैंने नहीं किया और इसलिये नहीं किया, असल बात यह है कि सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि वह इस किस्म से विकास के काम के साथ इंस्टीट्यूशन्स भी खोल दे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तवक्को करती है कि पब्लिक की तरफ से अगर कदम उठता है तो सरकार हर तरह से मदद करने को तैयार है और मदद कर सकती है। खुर्जा और हाथरस के अलावा एक जगह के लिये और मुझ से लोगों ने कह रखा है सदन के मेम्बरों के जरिये बातें हो रही हैं और वहां भी खोलेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से कह रहा हूं। लेकिन इतना विचार जरूर अपने सामने रखें कि ऐसा न हो कि सहारनपुर का आदमी बलिया जाय, बलिया का आदमी सहारनपुर जाय यह तो मैं कर सकता हूं ताकि कुछ इधर हो, कुछ उधर हो। लेकिन एक निजाम ऐसा कायम हो सके, जैसा कि मेरे दोस्त बतलाते हैं फिलहाल, तो उसके लिये मेरे नजदीक उसका इमकान नहीं है। लेकिन उस तालीम का इन्तजाम हो रहा है और जो कायदे कानून उस के लिये जरूरी हैं वह भी तैयार हो रहे हैं, जो निगरानी की बात है वह भी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे हमारे तालिबइल्मों का फायदा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, रुड़की युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह था कि इस योजना में जो मदें लिखी हुई हैं जैसे केन्द्रीय कार्यालय, अन्वेषण, नेशनल केडेट कोर आदि योजनाओं के लिये जो रुपया रखा गया है उस में यह रुपया लम्प सम में रख दिया गया है। अलग-अलग योजनाओं में कितना रुपया व्यय होगा, यह नहीं

लिखा गया है इससे हमको यह पता नहीं लग पाता कि किस मद में कितना रुपया व्यय होगा और इसका कारण हम अपने सुझाव उनके लिये अलग-अलग नहीं दे पाते कि उसमें इतना रुपया खर्च किया जाय और इसमें कम खर्च होना चाहिये । इसमें यूनिवर्सिटी की अटानोमी को भंग करने का प्रश्न नहीं है, केवल किस मद में कितना रुपया खर्च हुआ है यह हम जानना चाहते हैं ।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई बोर्ड वह बनाना चाहते हैं इसके बारे में निवेदन करते हुये पिछले वर्ष भी कहा गया था कि बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन कायम होगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--टेक्निकल एजूकेशन दूसरी चीज है और इंजीनियरिंग एजूकेशन दूसरी चीज है । किसी और ने कहा होगा, मैं नहीं जानता । मैंने कभी नहीं कहा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी टेक्निकल कामों को इंजीनियरिंग के कामों से अलग समझते हैं तो ठीक है । लेकिन खैर, यह आप एक नयी बात बतला रहे हैं, यह एक नयी खबर है । जो भी हो, कायम हो, अच्छा है ।

जहां तक हेविट इंजीनियरिंग कालेज का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी से हमने अवश्य मांग की थी कि उन्हें जांच कराने का पूरा अधिकार है । जब पहले उन्होंने कमेटी बिठाई थी उन दो कालेजों की जांच करने के लिये तो मैं आज भी मांग करूंगा कि पिछले साल जो नया डिपार्टमेंट हुआ है और उसके अधीन जो डाइरेक्टर आफ स्टेडीज नियुक्त हुये हैं और जो कोई काम नहीं करते और सारा रुपया अनर्गल रूप से व्यय कर रहे हैं और उस में राज्य की भी ग्राण्ट होती है तो मैं इसके लिये मांग करूंगा कि माननीय मंत्री जी हेविट इंजीनियरिंग कालेज के सम्बन्ध में पूरी पूरी जांच कराने की कृपा करें । जहां तक केन्द्रों का सम्बन्ध है मैं अर्ज कर दूं कि टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिये जो सरकार केन्द्र खोलने जा रही है उनके सम्बन्ध में कोई नयी मांग नहीं है । अभी यह निश्चय नहीं किया गया कि अन्य चार स्थान कौन होंगे और उसके लिये रुपया विचाराधीन हैं । तो उनके बारे में मैंने कहा था कि वे रीजनल दृष्टिकोण से स्थापित की जायं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--इंजीनियरिंग संस्थायें (लेखा शीर्षक : १८) के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--इंजीनियरिंग संस्थायें (लेखा शीर्षक : १८), के अन्तर्गत ६३,४२,२०० रु० की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सीरदार बनाये जाने वाले अधिवासियों का लगान निर्धारित करने से सम्बद्ध ५ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न २१ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब अधिवासी जो सीरदार बनाये जा रहे हैं उनके लगान के निर्धारण से सम्बन्धित श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा ५-३-५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न २१ के विषय पर नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद होगा ।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—जिस प्रश्न पर हम इस समय विचार कर रहे हैं वह ४४ लाख अधिवासियों से सम्बन्ध रखता है। मैंने सरकार से यह पूछा था जब जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा मौजूद है अधिवासियों के लगान सर्किल रेट से १३३ १/३ प्रतिशत से लेकर २०० फीसदी तक बढ़ेगा। तो व्यवहार में सरकार २०० फीसदी की दर पर बढ़ा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, माननीय मंत्री जी ने यहां पर एक विचित्र उत्तर इसका दिया था। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा २३३-क तो अधिवासियों के लिये है सीरदार के लिये नहीं है। सीरदार के लिये उन्होंने हवाला दिया था मालगुजारी नियम १९३-ख का उक्त नियम के अनुसार उनका लगान निश्चित किया जायगा। यह समझ में नहीं आता। अधिवासियों का प्रश्न जिस समय विधान सभा के सामने मौजूद था उस समय विरोधी दल की तरफ से जोरदार मांग की गयी कि अगर अधिवासियों को सीरदार बनाया जा रहा है तो उनका लगान दुगुना क्यों किया जा रहा है? तो उसी दौरान में जब कि ऐक्ट पर बहस हो रही थी तो ऐक्ट में १३३ सर्किल रेट्स से लेकर २०० फीसदी तक परिवर्तन उसमें कर दिया गया। विधान सभा के सदस्यों को और विधान परिषद् के सदस्यों को यह मालूम है कि उस समय सरकार से जब पूछा गया कि किस आधार पर यह बढ़ा रही है तो उसने बतलाया था कि यह इस तरह से लिखा है लेकिन फ्लैट रेट से २०० फीसदी नहीं बढ़ाया जायगा। असल में इसके बारे में एक नियम उन्होंने बतला दिया वह अधिनियम की धारा नहीं थी १९(क) के मुताबिक उन्होंने बतलाया। अब सभी किसानों का २०० फीसदी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा अनुरूपक प्रश्न करते हुये कि अधिनियम किस धारा के आधार पर नियम १९३-ख है जिसके मातहत आप ऐसा करने जा रहे हैं तो उन्होंने बतलाया कि यह तो अधिनियम की धारा है जो किताबों में देखी जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह नियम १९३-ख अधिनियम की कौन सी धारा के अनुसार है मुझको वह धारा नहीं मिली जिसमें सीरदार के लिये सरकार ने दुगुना लगान करने की बात कही हो। अधिनियम की धारा २४० में यह घोषणा में है कि जितने अधिवासी हैं वह एक निश्चित ढंग से सीरदार हो जायेंगे लेकिन सीरदार के लिये दुगुना लगान हो जाय इस तरह की धारा मुझको नहीं मिली। मुझे अगर माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी धारा बतलायी होती जिसके जरिये से लगान बढ़ता और १९३-ख का भी पता चलता तो मैं समझता, लेकिन सरकार अब इस तरह से जब करती है तो उसको सारे प्रदेश की जनता को और विधान सभा को अलफ नहीं करना चाहिये और इस तरह से कोई आधार बनाकर २०० फीसदी बढ़ाने की बात नहीं करनी चाहिये। जो बात कही है उसी के आधार पर उनको बढ़ाना चाहिये जिससे कि प्रदेश की जनता को काफी रिलीफ मिले।

*माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं कुछ जवाब दूं मुझे अपने दोस्त के साथ बड़ी हमदर्दी है और जिस मंशा से उन्होंने यह सवाल उठाया है वह पूरा नहीं हो सकता है। इत्तफाक से एक प्रेसमैन मौजूद है और सारे प्रेसमैन मौजूद नहीं हैं। मेरे दोस्त ने जो यह लगान के बढ़ाने की बात कही तो इसमें लगान बढ़ाने का लफ्ज कहां पर है कि बढ़ाया जाय। दफा २४० बी, जो कि २० अक्टूबर, सन् ५४ को नाफिज हुयी, यह कहती है, कि

"Consequences of acquisition of right, title and interests under section 240-A. Where a notification under section 240-A, has been published in the official *gazette*, then, notwithstanding anything contained in Chapters II and IX of this Act, but save as otherwise provided, the following consequences shall ensue in the area to which the notification relates:"

मैं इसका ए छोड़ देता हूं और बी—बन पढ़ता हूं—

"All rents payable by *adhivasi* in respect of the land referred to in section 240-A, for any period after the appointed date which, but for acquisition of rights, title and interest of the landholder therein under

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

the said section would be payable to the landholder, shall vest in and be payable to the State Government and not to the landholder."

इस नोटीफिकेशन के जारी होने के बाद जो ३० अक्टूबर, सन् ५४ को जारी हुआ, तमाम रेन्ट्स अधिवासी अपने क्षेत्रपति इत्यादि या सीरहोल्डर को जो दे रहा था वे आगे से सरकार को देय होंगे । २४०–एम में पावर रूल्स बनाने को है––

"The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this chapter. Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for (*a*) the method of calculating rents, and other dues mentioned in clauses (*b*) and (*c*) of section 240-B. (*b*) the disposal of suits and proceedings stayed under this chapter."

तो यही लिखा है कि आगे को अधिवासी का लगान देय होगा गवर्नमेंट को । उस लगान के कैलकुलेशन का क्या तरीका होगा, उसके लिये रूल मेकिंग पावर है । फिर रूल १९३–बी देखें जिसमें लिखा हुआ है कि––

"Future land revenue in column 10 of Z. A. Form 101 shall be, in case where the rent payable is not fixed or where it is payable in kind, an amount equivalent to double the amount computed at hereditary rates applicable."

यह नियम १९३–बी ऐसे ही नहीं बनाया है बल्कि दफा २४०–एम (२) (ए) के मातहत यह बना है । तो लीगल कवर है । यह गवर्नमेंट ने किसी एग्जीक्यूटिव ऐक्शन से नहीं किया है ।

दूसरी बात यह है कि वह कहते हैं कि हमने जब जोर दिया था कि लगान न बढ़ाया जाय, डबल दी सरकिल रेट न किया जाय, तो इस गवर्नमेंट ने उनके इस दबाव से या उनके सुझाव के नतीजे के तौर पर १३३ १/३ से लेकर २०० तक का नियम बनाया था । अधिनियम में धारा २३३ और २३३–ए रखीं । तो यह उनको मुगालता हो रहा है । बात बल्कि यह है कि बढ़ाने का सवाल कहीं नहीं है चाहे कोई सेक्शन हो या कोई रूल हो । उसमें वह है लगान मुकर्रर नहीं था या जिंसी लगान देता था तब सर्किल रेट से २०० प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता । यह २३३ और २३३–बी में है । तो वे मुफ्त तो जोतते नहीं थे जमींदार को कुछ न कुछ तो अवश्य देते थे । अगर वे कुछ देते थे तो वह सर्किल रेट दुगने से कहीं ज्यादा देते थे । डिटर्मिड नहीं था इसका मतलब यह नहीं कि वह मुफ्त जोतते थे । वह लगान देते थे और सर्किल रेट के दुगने से ज्यादा देते थे । लिहाजा बढ़ाने का सवाल तो है ही नहीं । १३३ से २०० तक की चीज वहां लागू होती है जहां पर लगान जिन्सी था । आपको भी मालूम होगा बुन्देलखंड में जहां लोग जिन्सी लगान देते हैं तो वह लगान सर्किल रेट से अध्यक्ष महोदय, कितना गुना ज्यादा होता है । इसलिये बढ़ाने का सवाल तो पैदा नहीं होता ।

कहा गया कि १३३ से २०० तक की बात तो कही गयी । अधिवासी तो दोनों ही थे लेकिन यही तबाह क्यों किये गये । अब २३३–बी० जिसमें १३३ से २०० तक की बात कही गयी है वह तब तक लागू होती है जब तक वह अधिवासी है । लेकिन वे तो २४० में सीरदार हो गये । जो रेंट वे दे रहे हैं उसका रेंट डिटर्मिड नहीं है तब उसके लिये यह रूल बना १९३-बी० । तो यह रूल उस वक्त के लिये बना दिया गया जब कि वे सीरदार हो गये । अब इस बात से यह साफ हो गया होगा मेरे माननीय मित्र को यह भ्रम किसका था ।

श्री अध्यक्ष––भ्रम निवारण के लिये तो उन्होंने यह पूछा ही था ।

श्री चरणसिंह---तो डेमोक्रेसी में अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का यह काम ही होता है कि वह भ्रम और ब्लफ जैसे शब्दों को सुने।

तीसरी बात इसमें यह है कि २०० ही क्यों रक्खे। १३३ से २०० तक क्यों नहीं रक्खे। अब यह जो मुआविजा दिया जा रहा है वह गवर्नमेंट दे रही है। बढ़ाने का सवाल उसमें भी पैदा नहीं होता। फर्क अब यह है कि अधिवासी मुआविजा दिये बिना सीरदार हो गया। अब यह ६७ प्रतिशत अगर एक दो हजार रुपया गवर्नमेंट के ऐक्सचेकर में आ भी जाय तो वह तो क्षेत्रपति के पंजे से बच गया और उसका मुआविजा गवर्नमेंट को देना होगा, वह रेंट में से तो आयेगा नहीं।

अब यह ४४ लाख का नाम इसलिये लिया जा रहा है कि ४४ लाख को किसी प्रकार से खबर पहुंच जाय। लेकिन जिनसे यह चीज संबंधित है वह ४४ लाख नहीं हैं। ये लोग सिर्फ चंद हजार ही हैं। ये वे लोग हैं जिनके रेंट डिटिरमिन्ड नहीं हैं या वे जिन्सी लगान दे रहे हैं और जिन्होंने २३३ और २३३-ए का फायदा नहीं उठाया। आपकी इजाजत से अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ४,४३२ हजार से शिकमी की तादाद ६१ लाख हो गयी है। इससे यह भी साबित होता है कि गरीब निकाले नहीं गये हैं बल्कि उनकी हिफाजत ही हुयी है। तो इसलिये यह ४४ लाख की जो बात है वह गलत है। मैं समझता हूं कि अब मेरे इतना कहने से उनका भ्रम निवारण हो गया होगा।

श्री शिवनारयण (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दुगुना लगान लिया जा रहा है यह कब तक सरकार लेती रहेगी ?

श्री चरणसिंह---लामियाद।

श्री शिवनारायण---यह जो आपने कहा कि मुआवजा उन्होंने नहीं दिया और वह सरकार दे रही है, तो वह मुआविजा क्यों सरकार उनसे दिलाती ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने राय दी।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार अधिवासियों से एक मुश्त मुआविजा ले कर उनको छुटकारा दे देगी ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकिल रेट हैं वह सन् १३३७ में, अब से २० या २५ साल पहले का है और वह उस वक्त की जो खेती की पैदावार थी उस का पांचवां भाग था और उस हिसाब से जो रेण्ट आता था वह बहुत लो है, ३७ के आसपास के जो भाव थे उसके हिसाब से वह है और अब है सन् ५६ अगर दुगुना भी लगान कराते हैं तो क्या है अगर हम आज सेटिलमेंट कराते हैं तो आज का सरकिल रेट जो आयेगा वह चौगुना होगा उस वक्त से। लिहाजा यह जो उनका भ्रम है कि ज्यादा लिया जा रहा है वह गलत है। माननीय सदस्य अगर चाहें तो मैं सेटिलमेंट करा लूं, आज तो यह दुगुना ही लग रहा है उस हालत में वह चौगुना हो जायगा और उससे किसान का नुकसान होगा जो हम नहीं चाहते।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में विभिन्न स्थानों पर एक ही जिले में एक ही तहसील में कई प्रकार के सर्किल रेट हैं ?

श्री चरणसिंह---जी हां, क्योंकि कई प्रकार की जमीनें हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि दूसरे सूबों के मुकाबिले में जमीन की मालगुजारी इस सूबे में अधिक है और वह उस सर्किल रेट से अधिक है जिसका हवाला अभी माल मंत्री जी दे रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जिन सर्किल रेट्स का मैं हवाला दे रहा हूं उससे मालगुजारी कई मामलों में कम है, उन केसेज में जहां लड़ाई के जमाने में जमीन के रेट्स लगाये गये हैं उनमें ज्यादा है, जहां सरकिल रेट के दुगुने से ज्यादा था वहां हमने घटाया है और जहां कम है उसको हमने बढ़ाया नहीं है । यह हमने एक सीलिंग रखी है । कम को बढ़ाने का सवाल नहीं है हमने तो घटाया ही है । अधिकतर तो ऐसे ही केसेज है जहां सर्किल रेट से कम है, बहुत कम बाज केसेज ऐसे होंगे जिनमें ज्यादा है । जिस रिपोर्ट का माननीय गेंदा सिंह जी जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मैं सोच रहा था कि परसों मेरा बजट आयेगा तो मैं उसको पढ़कर आऊंगा । मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है यह मैं एकनालेज करता हूं और मैं जरा इलरेड आदमी हूं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास इस बात की सूचना है कि एक ही प्रकार की जमीन पर विभिन्न लगानों की दरें हैं और यदि उसे ऐसी सूचना है तो क्या सरकार ऐसी इन्क्वायरी कमेटी बैठायेगी कि एक ही प्रकार की जमीन पर विभिन्न प्रकार के रेट की दरें न रहें ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जो पहला सवाल था वह सर्किल रेट की बाबत था । तो मैंने कहा मुख्तलिफ़ जमीन हैं । सर्किल रेट और रेंट में फर्क है । सर्किल रेट तो स्वायल की क्लास के साथ बैरी करता है । लेकिन एक ही क्लास की स्वायल पर रेन्ट्स जो लिये जा रहे हैं वह मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, और हैं । वह इसलिये कि मुख्तलिफ़ रेंट्स लोग बाग अपने लैंडलार्ड को दे रहे थे । हमने यह किया कि जो रेंट लैण्ड लार्ड को दे रहे थे वह हमको दें, शर्त केवल यह कर दी कि डबल से ज्यादा है तो घटा दिया जाय । रहा कमेटी मुकर्रर करना तो इसका इरादा नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर सारे सूबे में यूनिफाइड रेंट कर लें या राशनेलाइज उनको करना है तो किस बेसिस पर होगा । वह सायल क्लास की बेसिस पर होगा और मौजूदा प्राइस की बेसिस पर होगा । दो ही बेसिस हो सकते हैं । अगर आज यह कर दिया जाय, काम बड़ा भारी है, लेकिन खैर गवर्नमेंट कर सकती है अगर सदन तय कर दे । लेकिन जो दोस्त यह समझते हैं कि इससे लोगों का बर्डन घट जायगा, वह नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मुझे भ्रम था और मंत्री जी को बधाई देता हूं उन्होंने मेरा भ्रम निवारण कर दिया । लेकिन मेरा भ्रम इस माने में निवारण हो गया कि सरकार की तरफ से डेलीबरेटली विधान सभा और प्रदेश की जनता को ब्लफ़ किया जाता है । आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, गोल्ड स्मिथ महोदय जो अंग्रेजी के लेखक थे उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक का यह तरीका था कि वे अपनी हार को कभी हार नहीं मानते थे । २४०-बी का जो हवाला मंत्री जी ने दिया उसमें कहा कि सरकार को लगान फिक्स करने का अधिकार है । तो नयी बात उन्होंने क्या कही । और २४०---ब्रो में उन्होंने अधिवासियों को सीरदार घोषित कर दिया तो ऐसी हालत में मंत्री जी भ्रम को दूर कर रहे हैं और अपने को जस्टीफाई करना शुरू कर दिया । बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मुआवजा सरकार दे रही है और इसमें जो सीरदार बन रहे हैं उनका मुआवजा उनसे नहीं लिया जायगा अधिवासियों से, बल्कि हम एहसान कर रहे हैं प्रदेश के किसान पर । अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है पहले जो अधिवासी मुआवजा देता था वह लगान का १५ गुना देता था । अब सरकार ने १००/२०० वर्ष के लिये दुगुना कर दिया । तो यह कौन सा एहसान करने का नया तरीका मंत्री जी ने बना रखा है, यह मेरी समझ में नहीं आया । तो बेकार का एहसान प्रदेश की जनता पर न लादें । सरकार को रुपये की जरूरत है तो साफ़ कहिये कि आपको रुपये की जरूरत है, लेकिन किसान पर झूठा एहसान करने का क्यों दम भरते हैं ।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी तुलसीदास की एक चौपाई सुना रहे थे । कि ब्रह्मा भी मिल जाय किसी को गुरु के तौर पर तो वह चेतना नहीं हो

[श्री चरणसिंह]

सकती। तो मैं तो एक साधारण आदमी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करता हूं कि किसानों से हमने मुआवजा नहीं लिया जमींदारी खत्म करने को, एक तो मैं यह कहता हूं और दूसरे मैं यह कहता हूं कि जमींदारों को जो मुआवजा दिया जायगा वह अन्ततोगत्वा किसानों से ही आना है। दोनों बातें मेरी सही हैं और जो आदमी ज्यादा गौर न करे वह ऐसा ही कहेगा जैसा कि रामनारायण जी कहते हैं, वह यही कहेगा। मतलब यह है कि हमने जब यह कहा कि जैसे किसानों से नहीं लिया मुआवजा जमींदारी खत्म करने के लिये, ऐसे ही अधिवासियों से भी नहीं लिया। किसान दस गुना दे या न दे जमींदारी मिट कर रहेगी, लेकिन चूंकि मुआवजा देना है तो वह कहीं न कहीं से तो आयेगा ही और एक्सचेकर से ही आयेगा तो अल्टीमेटली फिर उन्हीं की जेब से आयेगा। तो चाहे एक साथ दे दिया या ४०, ५० साल तक, उस वक्त तक देते रहेंगे। तो दोनों बातें सही हैं कि जमींदारी खत्म करने के लिये उसके लिये लाजिमी नहीं था कि किसान मुआवजा दे तब जमींदारी खत्म हो, नहीं, जमींदारी खत्म हो गई। अब वह या तो नकद दे दे या किस्तों में देता रहे देना उसी को है। दोनों बातें सही हैं अध्यक्ष महोदय, सत्य और असत्य में बहुत पतली दीवार है, वह देखें मेरे मित्र। बहुत से अधिवासी पन्द्रह गुना नहीं दे सकते थे। लेकिन उनको सबको एकदम सीरदार बना दिया और मुआवजा आज देना है वह धीरे-धीरे देते रहो। बढ़ाने का सवाल नहीं उठता। जहां दुगुने से ज्यादा है उनको घटा दिया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब यह कार्य समाप्त हुआ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१९ मार्च, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में गांव समाज के पक्ष तथा दूसरों के पक्ष में निर्णित मुकदमों की सूची

(अ) माल के मुकदमें

तहसील	गांव समाज के पक्ष में निर्णित मुकदमें	दूसरों के पक्ष में निर्णित मुकदमें
सगड़ी	२४२	३
घोसी	१,१०५	३८
मुहम्मदाबाद	१३४	७४
सदर	२३०	..
फूलपुर	९२७	१४
लालगंज	२८०	१३
	२,९१८	१४२

(ब) दीवानी के मुकदमें

तहसील	गांव समाज के पक्ष में निर्णित मुकदमें	दूसरों के पक्ष में निर्णित मुकदमें
सगड़ी	२१	५
घोसी	१६	४
मुहम्मदाबाद	२२	६
सदर	१९	४
फूलपुर	२४	९
लालगंज	१५	१०
	११७	३८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

भेड़ फार्म

सन्	जिला			
	देहरादून	टेहरी गढ़वाल		अल्मोड़ा
१९५६-५७	१	..	..	१
१९५७-५८	..	..	१	१
१९५८-५९	..	१	..	१
भेड़ा केन्द्र				
१९५६-५७	१	..	..	१
१९५७-५८	१	१	१	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र

सन्	जिला						
	देहरादून	टेहरी गढ़वाल		अल्मोड़ा	नैनीताल		
१९५७–५८	..	..	२	६	..	..	..
१९५८–५९	..	..	..	..	३	३	२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर में प्रसंगित भूमि वितरण कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यों की सूची

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा, ... संयोजक
श्री छिद्दीलाल वाजपेई, ... सेक्रेटरी

१—श्री चतुर्भुज शर्मा (उप-मंत्री, राजस्व), . . सदस्य
२—श्री लल्लूराम द्विवेदी (सदस्य विधान सभा), . . ,,
३—श्री बालमुकुन्द शास्त्री (प्रेसीडेन्ट, जिला बोर्ड, जालौन), . . ,,
४—श्री रामाधार शर्मा, ... ,,
५—श्री लच्छीराम चौधरी, ... ,,
६—श्री बनवारीलाल, ... ,,
७—श्री चित्तरसिंह निरंजन (सदस्य, विधान सभा), . . ,,
८—श्री बहादुर सिंह, ... ,,
९—श्री विश्वम्भरनाथ, ... ,,
१०—श्री विश्वनाथ व्यास। . . . . . ,,

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५ एल० ए०—१९५६—७९६।